खण्ड-214, अंक-9
गुरूवार, 13 श्रावण, शक संवत् 1882
(4 अगस्त, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 214 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	६०३–६०७
प्रश्नोत्तर	६०७–६१६
देवरिया कचेहरी के शिव मन्दिर के तोड़े जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग	६१६
सीतापुर जिला जेल में सोशलिस्ट बन्दियों के साथ अभिकथित दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	६१६–६२१
रक्षाबन्धन के त्योहार पर अवकाश बढ़ाने के लिये प्रार्थना	६२१
१४ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न ४९–५० से सम्बद्ध एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	६२१–६२१
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ (विचार जारी) ..	६२२–६७०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ४ अगस्त, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य—३५६

अक्षयवरसिंह, श्री
अज़ीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्म शाह, श्री
इन्द्रभूषण गुप्त, श्री
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनसिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपङ्कर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नेरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री

बलदेवसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामआधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री

रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूर्मासिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वायपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री

सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महावीरसिंह, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ४ अगस्त, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सार्वजनिक निर्माण मंत्री के निवास वाली कोठी

**१--श्री हरिश्चन्द्रसिंह (जिला बदायूं)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस सरकारी कोठी में सार्वजनिक निर्माण मंत्री का निवास है वह निवास के प्रयोग्य घोषित कर दी गई है ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--जी नहीं ।

**२--श्री हरिश्चन्द्रसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह कोठी कब और किस प्रकार से नीलाम हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वह कोठी कभी नीलाम नहीं की गई ।

**३--श्री हरिश्चन्द्रसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किस व्यक्ति के नाम से नीलाम समाप्त हुआ और उनका पता क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसका प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि क्या यह सरकारी कोठी रही है और क्या हाल ही में किसी तरह का उसका ट्रान्सफर हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सरकारी कोठी अब भी है । कोई ट्रान्सफर नहीं हुआ ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या गृह मंत्री जी बतायेंगे कि जिस कोठी में माननीय मंत्री जी रहते हैं, उस पर संगमरमर लगा हुआ है ? क्या इस तरह का पत्थर किसी और कोठी पर भी लगा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--संभव है लगा हो । लेकिन संगमरमर लग जाने से कि ी जायदाद का नीलाम या ट्रान्सफर तो नहीं हो जाता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या मंत्री उन सब शंकाओं का, जो इस संबंध में उठाई गई हैं, समाधान करने के लिये यह स्पष्ट करेंगे कि क्या यह बिल्डिंग अब भी पूरी तरह से सरकारी है और क्या माननीय मंत्री जी केवल मंत्री के नाते ही उस बिल्डिंग में रहते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, पी० डब्लू० डी० से उसकी मेंटेनेंस होती है और उसका स्टैंडर्ड रेंट भी जमा होता है। अगर आप समझते हैं कि किसी दूसरे की कोठी है तो सरकार के ऊपर दावा कर दीजिये।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी के पास कोई इस तरह की शिकायत भी आई है कि उक्त मंत्री महोदय ने उस कोठी को डैमेज्ड डिक्लेयर करा कर अपने भतीजे के नाम खरीद लिया है तथा इस रयूमर का आधार क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई। अगर इस तरह की कोई बात फैलाता है तो वह शरारत से भरी हुई बात है।

राजकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का महंगाई भत्ता

****४—श्री त्रिलोकीसिंह** (जिला लखनऊ)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को अन्य सरकारी तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के अनुसार महंगाई भत्ता न देने का क्या कारण है ?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—धनाभाव के कारण राजकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को अन्य सरकारी तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के अनुसार महंगाई भत्ता दिया जाना सम्भव नहीं है।

श्री त्रिलोकीसिंह—माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि अध्यापक जो एक बहुत आवश्यक कार्य कर रहे हैं उन्हें महंगाई भत्ता जितना कि सरकारी कर्मचारियों को मिलता है उतना न सही, कुछ भी देने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बात यह है कि जिनकी तनख्वाह ८० रुपये तक है उनको महंगाई भत्ता १० रुपये मिलता है, इसमें से ५ रुपये तो सरकार देती है और ५ रुपये प्रबन्धक देते हैं और जिनकी तनख्वाह ७५ रुपये से कम है उनको ५ रुपये महंगाई भत्ता मिलता है, जिसमें ढाई रुपये तो सरकार देती है और ढाई रुपये प्रबन्धक या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड के स्कूल हुये तो वह देते हैं। इस प्रकार जो प्रबन्धक देते हैं या प्रबन्धक समितियां देती हैं वे विद्यार्थियों से फीस के रूप में वसूल करते हैं। एजूकेशन कोड के शायद पैरा १०१ में है कि किसी विद्यार्थी से महंगाई भत्ता फीस के रूप में कितना वसूल किया जाय। श्रीमन्, यह सवाल एक बार सन् १९५७ में उठा था, कदाचित् माननीय सदस्य को भी स्मरण हो। उस वक्त जो हिसाब लगाया गया तो वह हिसाब आया करीब २ करोड़ ४ लाख रुपये के जो महंगाई भत्ता देना होगा। अब तो हमने माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन में पुनरावृत्ति कर दी है और एक प्रकार से उसमें काफी वृद्धि कर दी है। इस तरह से आज जो स्थिति है उससे अधिक और कुछ करने की सामर्थ सरकार की नहीं है।

श्री राधवेन्द्रप्रताप सिंह (जिला गोंडा)—यह देखते हुये कि सरकार ने यह घोषणा की थी कि जिला बोर्ड्स के जे०टी० सी० ग्रेड के अध्यापकों और निजी स्कूल के जे० टी० सी० ग्रेड के अध्यापकों का वेतन एक रहेगा तो ५ रुपये महंगाई भत्ता बढ़ाने से जो अन्तर हो गया है, उस को दूर करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अगर जूनियर हाई स्कूलों से आपका मतलब है तो जूनियर हाई स्कूल्स तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स या म्युनिसिपल बोर्ड्स के हैं। उन स्कूलों को तो यह महंगाई भत्ता गवर्नर के भाषण के अनुसार आगे चल कर देंगे। वह तो उनको मिलने ही वाला है।

अगर कोई प्राइवेट स्कूल है तो उसके अध्यापकों को यह महंगाई भत्ता नहीं मिल सकता है। प्राइवेट एडेड इंस्टीट्यूशन्स के अध्यापकों को भत्ता नहीं मिलता है और वह हम इस समय दे भी नहीं सकते हैं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रादेशिक सरकार को लिखा है और इस तरह का कोई आश्वासन दिया है कि एक दो वर्ष के लिये हम सारा महंगाई भत्ता देने को तैयार हैं तथा ऐसी स्थिति में कम से कम आधा रुपया माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को महंगाई भत्ता के रूप में देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं लिखा है कि हम सारा रुपया महंगाई भत्ता दे देंगे । अगर वे देते तो हमें बहुत ही प्रसन्नता होती और हम रुपये को ले लेते और अध्यापकों को महंगाई भत्ता दे देते । हमारी लिखा-पढ़ी अभी उनसे हो रही है और उन्होंने लिखा है कि अगर आप प्लान सीलिंग के अन्दर से लेना चाहते हैं तो उसका ५० प्रतिशत देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर सकती है । उनका कहना है कि २ करोड़ ४ लाख रुपया हम अपने प्लान के भीतर लावें और अपनी कोई योजना काट दें, चाहे प्रारम्भिक की काट दें, चाहे यूनिवर्सिटी की काट दें । यदि हम अपनी ही योजना काट कर प्लान सीलिंग के अन्दर लावें तब वे ५० प्रतिशत तक महंगाई भत्ता अध्यापकों के लिये देने के प्रश्न पर विचार कर सकते हैं, ऐसा है और हमारी बातचीत चल रही है । अगर वह रुपया देंगे तो हम विचार जरूर कर लेंगे ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि बहुत-सा धन जो शिक्षा की मद में प्लानिंग विभाग को देना था वह शिक्षा विभाग उस मद में खर्च नहीं कर सका है और वह इस योजना में व्यय न हो सकेगा, तो यह रुपया जो बच जायगा उसको क्या सरकार ५० प्रतिशत के रूप में महंगाई भत्ता के लिये देना चाहती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मुमकिन है कि माननीय नारायणदत्त जी तिवारी जो उन की बगल में बैठे हैं उन से उन्हें पता लगा हो कि कुछ रुपया शिक्षा विभाग का लैप्स हुआ है । यह सही है कि हमारा कुछ रुपया लैप्स हुआ और उस को हम काम में नहीं ला सके, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि किसी स्कीम को काट कर इस तरह करने की बात मेरी समझ में नहीं आती क्योंकि प्राइमरी एजूकेशन के एक्सपेंशन की कोई नई स्कीम नहीं है । अभी केन्द्र से हमारी बातचीत चल रही है, अगर हम उन को समझा कर पैसा ला सके तो जरूर इस तरफ विचार करेंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं जरा-सी सफाई दे दूं । उन्होंने कहा कि मैंने श्री गेंदासिंह जी को बता दिया होगा, लेकिन मैं उन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चेयरमैन, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के नाते, वह बात दूसरी है कि कोई रिपोर्ट सदन में पेश हो चुकी हो उस से सब को कोई बात मालूम हो जाय, बाकी जो विचाराधीन विषय हैं उन के बारे में मैं कभी ऐसा नहीं करता कि किसी को कुछ बताऊं ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग इस बात पर विचार कर रहा है कि सभी राजकीय सहायता प्राप्त स्कूलों को राजकीय नहीं बनाया जा सकता, लेकिन क्या भविष्य में इन स्कूलों के खर्च के बाद जो आय बचेगी उस के अनुसार क्या सरकार उन स्कूलों में भी महंगाई दिलाने का विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---वह तो ग्रान्ट-इन-एड के रूल के मुताबिक हम करते हैं, रूल में ही है कि उन की आय और खर्च का जो डिफरेंस होता है उस का ५० प्रतिशत सरकार देती है ।

तारांकित प्रश्न

हिन्द कुष्ठ निवारण संघ की प्रादेशिक शाखा का संगठन

*१—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के कुष्ठ निवारण कार्य कलाप को नये रूप से संगठित करने के लिये प्रमुख सरकारी एवं गैर-सरकारी अधिकारियों को सदस्य बनाकर हिन्द कुष्ठ निवारण संघ की प्रादेशिक शाखा का संगठन वर्तमान वित्तीय वर्ष में किया है ?

राजस्व उप-मंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)—जी हां, हिन्द कुष्ठ निवारण संघ की प्रादेशिक शाखा का संगठन १९५९-६० के वित्तीय वर्ष में हो चुका है ।

*२—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त संगठन द्वारा कुष्ठ निवारण के किस प्रकार के कार्य का संचालन किया जायेगा और इस संगठन को १९६०-६१ के वित्तीय वर्ष में क्या आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जायेगी ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—हिन्द कुष्ठ निवारण संघ की प्रादेशिक शाखा द्वारा कुष्ठ निवारण के लिये निम्नलिखित कार्यों का संचालन किया जायेगा—

१—कुष्ठ निवारण हेतु सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं का संगठन करना ।

२—कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा के लिये कुष्ठ चिकित्सालयों व कुष्ठ गृहों की स्थापना करना ।

३—कुष्ठ रोग के कारणों व चिकित्सा के लिये अनुसंधान करना ।

४—जिलों में हिन्द कुष्ठ निवारण संघ की उप-शाखाओं (Branches) की स्थापना करना ।

५—जनता को कुष्ठ रोग तथा उसके निवारण के साधनों का ज्ञान कराना ।

इस संघ को १९६०-६१ के वित्तीय वर्ष में ७४,८०० रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सरकार बतायेगी कि हिन्द कुष्ठ निवारण संघ की प्रादेशिक शाखा के सदस्यों तथा पदाधिकारियों के क्या नाम हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—अध्यक्ष, इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, उपाध्यक्ष, समाज कल्याण मंत्री, उत्तर प्रदेश, मंत्री स्वास्थ्य सेवा संचालक, उत्तर प्रदेश, अवैतनिक संयुक्त मंत्री, स्टेट लिपरासी आफिसर, उत्तर प्रदेश, और सदस्य हैं डा० एम० मसीह, सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट लिपरासी कौंसिल, अल्मोड़ा, श्री बी० एन० त्रिपाठी, सुपरिन्टेन्डेन्ट, कुष्ठ सेवा आश्रम, गोरखपुर, प्रिन्सिपल के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ, सेक्रेटरी, मिशन लीपर्स पुरुलिया, साउथ ईस्टर्न रेलवे, वेस्ट बंगाल , डाक्टर पी० डी० श्रीवास्तव, अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा संचालक, उत्तर प्रदेश । श्री डी० ए० कुलकारनी, फार्मर उप-स्वास्थ्य सेवा संचालक (आयुर्वेद), रिवर बैन्क कालोनी, लखनऊ, डा० एस० बोस, एम० बी० बी० एस० , माडेल हाउस, लखनऊ, डा० बी० बी० गांगुली, एम० बी० बी० एस०, १९ नया बेहर ना, इलाहाबाद, श्री पी० ए० ब्रैम्बलीबाई, ऐड-मिनिस्ट्रेटिव सुपरिन्टेन्डेन्ट, नैनी लेपर अस्पताल और होम्स, नैनी, जिला इलाह बाद । पंडित वी० एन० तिवारी, एम० पी० ९० नार्थ ऐवेन्यू, न्यू देहली, श्री धरम देव शास्त्री, अशोक आश्रम , पी० ओ० कालसी, जिला देहरादून, श्री करण भाई, संचालक, गांधी स्मारक निधि, सेवापुरी, वाराणसी, डाक्टर आर० एन० गुप्ता, लेक्चरर, स्किन और वेनेरियल डिजीजेज, किंग जार्ज मेडिकल कालेज, कैन्टुनमेंट रोड, लखनऊ । डाक्टर नित्यानन्द, सेक्रेटरी, लेपर्स अस्पताल असोसियेशन, मार्फत सेन्ट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, डाक्टर पी० जे० चांदी, मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, फैजाबाद लेपर होम, फैजाबाद, डाक्टर आर० वी० वार्डेकर, सेक्रेटरी, गांधी मेमोरियल लेपरासी फाउन्डेशन, वर्धा (बम्बई राज्य), डाक्टर के० एन० सक्सेना, इंचार्ज स्किन डिजीज सेक्शन, एस० एन० मेडिकल कालेज, आगरा ।

श्री ताराचन्द साहेश्वरी--क्या मंत्री जी स्वर्गीय बाबा राघवदास की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रादेशिक संगठन के नाम के साथ स्वर्गीय बाबा जी के नाम को जोड़ने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--अभी तो सरकार ऐसा नहीं सोच रही है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रादेशिक कुष्ठ निवारण संघ का एक काम यह भी है कि जिलों के अन्दर संघों की स्थापना करें ? यदि हां, तो अब तक कितने जिलों के अन्दर इस प्रकार के संघ स्थापित किये जा चुके हैं और भविष्य में इस रोग को रोका जा सके इस संबंध में क्या कदम उठाये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--डिटेल के लिये नोटिस चाहिये।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--यह जो संगठन किया गया है इसमें डाक्टरों के अलावा बाकी जो लोग रखे गये हैं उनको रखने का क्या आधार है, क्या उनका कोई निजी अनुभव है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जिनको इन कामों में दिलचस्पी थी उनको रखा गया।

लेखपालों का महंगाई भत्ता बढ़ाने पर विचार

*३--**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)--क्या न्याय मंत्री १४-४-६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४४ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि नये नियुक्त होने वाले कर्मचारी जिनका वेतन ५० रुपये तक है, उन्हें उनके वेतन के २५ प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलता है कि नहीं ? यदि हां, तो क्या उसे लेखपालों पर भी लागू करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--५० रुपया मासिक तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को पहली अप्रैल, १९५९ से कुल २७ रुपये ५० नये पैसे प्रतिमास की दर से महंगाई भत्ता मिलता है। परन्तु लेखपालों को केवल १९ रुपया ५० नया पैसा की दर से मिलता है। लेखपालों को अन्य राज्य कर्मचारियों के बराबर महंगाई का भत्ता देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--मंत्री जी बतायेंगे कि लेखपालों को महंगाई भत्ता २७.५० नए पैसे अब तक न देने का क्या कारण है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--आरम्भ से ही लेखपालों को अन्य कर्मचारियों से ८ रुपये कम मिलता रहा और वह अन्तर अभी तक चला आ रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--मैंने पूछा था कारण क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अभी तक जरूरत नहीं समझी गई।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--महंगाई भत्ते में जो अन्तर चला आ रहा है क्या सरकार इसको दूर करने की कृपा करेगी ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--उत्तर दिया गया कि प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट कार्यालय के पुनस्संगठन सम्बन्धित रिपोर्ट

*४--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यालय का कार्य तेजी से निपटाने के उद्देश्य से उसके पुनर्संगठन में सरकारी कार्यालयों के चीफ इंस्पेक्टर ने अपनी कोई रिपोर्ट राज्य सरकार को अभी हाल ही में दी है ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी हां, इस विषय में सरकार के पास रिपोर्ट आई है जो सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मंत्री जी रिपोर्ट की मुख्य मुख्य बातें बतायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी विचाराधीन है इसलिये बताया नहीं जा सकता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मंत्री जी बतायेंगे कि यह रिपोर्ट सरकार के पास कब आयी और कब तक विचाराधीन रहेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सितम्बर में आयी थी। फिर हाई कोर्ट के पास कमेन्ट के लिये भेजी गई थी और लास्ट मई में हाई कोर्ट का कमेन्ट आया है, और अब विचाराधीन है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—माननीय मंत्री जी बतलाने से किस आधार पर मना कर रहे हैं, क्या उसे गोपनीय मानते हैं या जनहित में मानते हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—गोपनीय मानते हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—यह जो एक सुझाव है कि हाई कोर्ट में अतिरिक्त जज नियुक्त किये जायं तो क्या सरकार और जज नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी नहीं, ऐसा कोई सुझाव नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—हाई कोर्ट के कार्यालयों के पुनस्संगठन की आवश्यकता है। क्या माननीय मंत्री जी इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही कराने के फैसले पर विचार करेंगे ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—विचार कर रहे हैं। विचार करके जरूर फैसला करेंगे।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—विचाराधीन है, इसलिये यह बतलाया नहीं जा सकता कि रिपोर्ट क्या है तो माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि विचाराधीन रहने का दृष्टिकोण क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मामला खत्म नहीं हुआ तो विचाराधीन है।

*५—**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)—[१८ अगस्त, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*६—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[२४ अगस्त, १९६० के लिये स्थानान्तरित किया गया।]

ललितपुर सब-डिवीजन जिला न बन सकना

*७—**श्री रमानाथ खैरा** (जिला झांसी) (अनुपस्थित) तथा **श्री गज्जूराम** (जिला झांसी)—क्या सरकार ललितपुर सब-डिवीजन को एक पृथक् जिला बनाने के बारे में २८-४-६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५७ के क्रम में कृपया बतायेगी कि राज्य परिषद् ने जिलाधीश झांसी से जो रिपोर्ट मांगी है वह अभी तक आयी या नहीं ? यदि नहीं आई, तो सरकार कब तक उसे मंगाने की कृपा करेगी ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी हां, रिपोर्ट आ गई है। प्रश्न नहीं उठता।

*८—**श्री रमानाथ खैरा** (अनुपस्थित) तथा **श्री गज्जूराम**—यदि रिपोर्ट आ गई है तो क्या न्याय मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि उस रिपोर्ट पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—ललितपुर सब-डिवीजन को एक पृथक् जिला बनाने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है।

*६--श्री रमानाथ खैरा (अनुपस्थित) तथा श्री गज्जूराम--क्या न्याय मंत्री उस रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें बताने की कृपा करेंगे ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--जिलाधीश, झांसी ने अपनी रिपोर्ट में ललितपुर सब-डिवीजन को प्रशासकीय कारणों की वजह से एक नया जिला बनाने के लिये सुझाव दिया है ।

श्री गज्जूराम--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जब जिलाधीश ने अपनी रिपोर्ट में उसे नया जिला बनाने का सुझाव दिया है तो इसको स्थगित करने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--गवर्नमेन्ट को भी इस पर विचार करने का अधिकार रहता है । क्या फाइनेन्शियल इंप्लोकेशंस होंगे इन सब बातों को देखकर गवर्नमेन्ट अपना फैसला देती है । जिलाधीश की राय के हम पाबन्द हों, ऐसी बात नहीं है ।

श्री गज्जूराम--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि इस सम्बन्ध में कब तक विचार पूरा हो जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह तो स्थगित हो गया ।

श्री गज्जूराम--कब तक स्थगित रहेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जब तक धनाभाव की दिक्कत रहेगी तब तक स्थगित रहेगा । उसके बाद विचार किया जायगा कि खोला जाय या न खोला जाय ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--नया जिला बनने से उसकी रेवेन्यू में कितना डेफिसिट पड़ रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--काफी पड़ेगा । एग्जेक्ट फीगर्स नहीं बतलाई जा सकती ।

श्री गज्जूराम--झांसी से ललितपुर करीब १०० मील पड़ता है । नया जिला बनने से वहां की डकैती, चोरी, गरीबी तथा भुखमरी सारी समस्याएं मिट सकती हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--ललितपुर १०० मील नहीं, ५७ मील है और केवल नया जिला बनने से कोई समस्या हल नहीं हो सकती ।

श्री गज्जूराम--ललितपुर झांसी से कब पृथक् था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--१८७१ से १८९१ तक अलग जिला था । उसके बाद डिवीजन कर दिया गया और फिर रेजिडेंशियल सब-डिवीजन कर दिया गया है ।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि माननीय सदस्य गज्जूराम जी ने २२-१-१९५७ को ललितपुर क्षेत्र को पृथक् करने के लिये प्रार्थना-पत्र भेजा था तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--जो प्रार्थना-पत्र मिला था उसी पर जिलाधीश की रिपोर्ट मांगी गयी थी । जिलाधीश की रिपोर्ट आने पर सरकार ने इस प्रश्न को स्थगित कर दिया है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--ललितपुर के आसपास के रहने वाले लोग मध्य प्रदेश के बार्डर के लोग हैं और वे इस बात का आन्दोलन कर रहे हैं कि वहां पर एक पृथक् जिला बनाया जाय और साथ ही वे इस बात की मांग कर रहे हैं कि अगर पृथक् जिला नहीं बनाया गया तो मध्य प्रदेश में शामिल करने का आन्दोलन चलायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--आन्दोलन कोई चला सकता है, लेकिन आन्दोलन का क्या नतीजा होगा वह हम और आप सभी जानते हैं ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--डी० एम० ने जो रिपोर्ट दी है उसमें मुख्य आधार क्या बतलाया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उन्होंने कहा है कि इन्तजाम के लिये जरूरी मालूम होता है कि पृथक् कर दिया जाय ।

श्री गज्जूराम--जब सरकार को पृथक् जिला नहीं बनाना था तो कलेक्टर से रिपोर्ट किस आधार पर मांगी गयी थी ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--पहले से सरकार तय नहीं कर सकती कि पृथक् जिला बनाना है । रिपोर्ट आने पर ही विचार किया जा सकता है ।

*१०--**श्री शिवप्रसाद नागर**--[१८ अगस्त, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*११--**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)--[तीसरे मंगलवार के लिये स्थानान्तरित किया गया ।]

खीरी जिले में अस्पतालों की स्पेशल रिपेयर

*१२--**श्री शिवप्रसाद नागर**--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, १९५८ में जिला खीरी से कितने व कौन अस्पतालों की स्पेशल रिपेयर के एस्टीमेट प्राप्त हुए और इस काम के लिये किन-किन अस्पतालों के लिये कितना-कितना रुपया मांगा गया ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--कथित माह में जिला खीरी के किसी भी अस्पताल के स्पेशल रिपेयर के एस्टीमेट नहीं प्राप्त हुए ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मंत्री जी को पता है कि बगैर कोई एस्टीमेट प्राप्त हुए वहां पर स्पेशल रिपेयर्स कराये गये हैं और अगर कराये गये हैं, तो उसमें कितना धन लगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसके लिये नोटिस की जरूरत है । जिस तारीख की बात कही थी वह तो हमारे पास आयी नहीं । उसी की मैंने तहकीकात की थी ।

श्री शिवप्रसाद नागर--वहां पर होने वाले स्पेशल रिपेयर्स का कोई एस्टीमेट उनके पास नहीं आया और एस्टीमेट न आने के बावजूद भी वहां पर स्पेशल रिपेयर करायी गयी है । तो मैं पूछना चाहता हूं कि बगैर एस्टीमेट के आये हुए वहां पर जो स्पेशल रिपेयर करायी गयी वह क्यों करायी गयी और उसमें कितना धन लगा ?

श्री अध्यक्ष--यह तो नया सवाल होगा ।

श्री शिवप्रसाद नागर--श्रीमन्, स्पेशल रिपेयर करायी गयी है ।

श्री अध्यक्ष--आपने पूछा था कि कितने व कौन-कौन से अस्पतालों की स्पेशल रिपेयर के एस्टीमेट प्राप्त हुए . . .

श्री शिवप्रसाद नागर--यही मैं सवाल कर रहा हूं । स्पेशल रिपेयर का एस्टीमेट प्राप्त नहीं हुआ फिर भी रिपेयर करायी गयी । तो उसमें कितनी रकम लगी और वह किसकी इजाजत से हुई ?

श्री अध्यक्ष--आप यह पूछिये कि स्पेशल रिपेयर करायी गयी या नहीं ।

श्री शिवप्रसाद नागर--जी, मैं वही पूछ रहा हूं ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

*१३-१५--**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**--[१८ अगस्त, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*१६-१७--श्री गोविन्दसिंह विष्ट--[१८ अगस्त, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

भेड़िया बालक रामू में सुधार

*१८--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भेड़िया बालक रामू जिसे ६ वर्ष से बलरामपुर अस्पताल में रक्खा गया है उसमें अब तक क्या-क्या सुधार हुआ ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--रामू के स्वाभाविक जीवन में अधिक मनुष्यता आ गई है। वह अब लाचार बच्चे की भांति असहिज नहीं है और न पशु की भांति व्यवहार करता है। वह वही खाना खाता है जो बच्चे खाते हैं और बच्चों की ही तरह खेलता भी है। मनुष्य की तरह उसके मस्तिष्क का विकास हो रहा है। वह मनुष्य की भांति भावनाओं को समझता है और उन्हें स्पष्ट करने का प्रयत्न करता है। वह अभी बोल नहीं पाता। अब वह बैठ भी सकता है परन्तु खड़ा नहीं हो पाता।

श्री ऊदल--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इन ६ वर्षों म रामू पर इलाज करने के सिलसिले में कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री चन्द्रजीत यादव--जब रामू को अस्पताल में रखा गया तो एक मानवता के दृष्टिकोण के साथ-साथ दूसरा दृष्टिकोण यह भी था कि इस बात का अध्ययन किया जाय कि एक जानवर के साथ रहने के बाद मनुष्य में कौन से परिवर्तन हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब डाक्टर किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि क्या रामू मनुष्य की स्थिति में आ सकता है--बोल सकता है और उनके अध्ययन का क्या नतीजा निकला ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--माननीय प्रश्नकर्त्ता महोदय, रोजमर्रा बलरामपुर अस्पताल जाते हैं और जो डाक्टर इन्चार्ज हैं उनसे सम्पर्क भी उनका रहता है। अगर इस बारे में उनसे पूछें तो वह सही बात बता सकेंगे। हम टेक्निकल आदमी नहीं हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--माननीय मंत्री जी को पता होगा कि रूस में बहुत रीछ होते हैं और वहां जानवरों के एक्सपर्ट लोग भी काफी होते हैं। तो क्या मंत्री जी रूस से कोई एक्सपर्ट रामू का इलाज कराने के लिये बुलायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--हम अपने देश के जो एक्सपर्ट हैं उनकी कम इज्जत नहीं समझते हैं।

श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)--क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि भेड़िया बालक रामू के पास जो बक्सा रखा है उसमें कितने रुपये की आय हुई है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि रामू के भविष्य के लिये वह क्या योजना बना रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--पहले उसको सुधार लें तब भविष्य की सोचें।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डाक्टरों की यह राय सही है कि मानसिक विकास के कोई लक्षण उसमें नहीं हैं और यदि यह बात सही है तो क्या वह मिनिस्टर बनने के लायक है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अभी एम० एल० ए० हो सकता है।

श्री ऊदल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि डाक्टरों ने अभी हाल में रामू के बारे में इस तरह की राय दी है कि जितना सुधार उसमें हो गया है उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, क्या यह सत्य है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसकी सूचना मुझे नहीं है।

श्री गेंदासिंह---माननीय न्याय मंत्री जी ने जो सुझाव दिया है उसको पार्लियामेंटरी बोर्ड में भेज देंगे कि उसको बहराइच से खड़ा किया जाय ? (हंसी)

श्री हुकुमसिंह विसेन---इतना कहना भूल गये थे कि वह अपोजीशन का एम० एल० ए० हो सकता है। (हंसी)

देवरिया कचेहरी के शिव मंदिर के तोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष---माननीय गोविन्दसिंह विष्ट का एक प्रस्ताव नियम ५२ के अन्तर्गत सदन और सम्बन्धित मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने के लिये है। उसमें यह कहा है कि---

"देवरिया कचेहरी के बनने से पूर्व से उस अहाते के प्राचीन शिव मंदिर में जनता व सरकारी कर्मचारी पूजा-पाठ करते आ रहे थे। मंदिर के खुला होने से चिड़ियां मैला कर देती थीं जिससे बचाव के लिये वहां के कुछ सरकारी कर्मचारियों व जनता ने वहां मंदिर की इमारत बनानी आरम्भ की जिस पर काफी दिनों तक काम हुआ, दरवाजा भी लग चुका। तब तक किसी ने कोई विरोध नहीं किया। उसके बनने से किसी का कोई नुकसान भी नहीं था। अहिन्दू नाजिर की शिकायत पर कलेक्टर ने दिनांक २६,२७-७-६० को हाकिम परगना श्री रंजीतसिंह के सहयोग से मंदिर गिरवा ही नहीं डाला बल्कि भगवान शंकर की प्राण-प्रतिष्ठा हुई पुरानी मूर्ति को खुदवाकर तुड़वा डाला और त्रिशूल गायब कर दिया। समझाने पर कलेक्टर नहीं मानता। उसने सशस्त्र रक्षक दल का स्थानान्तरण कर दिया है।

इस भीषण घटना से नगर में बड़ा आतंक है . . . .''

यह मंत्री जी के पास भेज भी दिया है। इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य वह आज देंगे क्या ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---आज तो कोई सूचना नहीं है, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष---कब तक मंगवा लेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---एक हफ्ते का समय दिया जाय, मंगा लूंगा। इस कारण कहा कि शायद बीच में मुझे बाहर जाना पड़े। आज भेजूंगा, अगले बुधवार या गुरुवार को दे सकूंगा।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि अगले बुधवार को रख लीजिये। बुधवार को १० तारीख है उस दिन आप जवाब दे दें।

सीतापुर जिला जेल में सोशलिस्ट बन्दियों के साथ अभिकथित दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---माननीय देवनारायण भारतीय तथा मूलचन्द जी द्वारा जो प्रश्न उठाया गया था उसके बारे में माननीय समाज कल्याण मंत्री अपना वक्तव्य देंगे।

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—श्रीमन्, मैं इसमें लिखित वक्तव्य दे रहा हूं। मैंने परसों २७ जुलाई, १९६० को जिला कारागार, सीतापुर में हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य देने का वचन दिया था। इस विषय में मेरी कई कठिनाइयां हैं। इस घटना के सम्बन्ध में एक मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी चल रही है जिसका परिणाम मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त उक्त कारागार के सुपरिन्टेन्डेन्ट ने भी पुलिस में रिपोर्ट की है जिसकी जांच हो रही है। इस प्रकार से यह मामला एक प्रकार से अदालत के विचाराधीन अर्थात् सब्जुडिस भी हो गया है तथा भविष्य में भी सब्जूडिस होने की सम्भावना है।

इस घटना के दोनों ओर के विवरण मुझे प्राप्त हुए हैं। डाक्टर अवधेशकुमार जी सिनहा का आवेदन-पत्र भी मुझे मिला है। जेल के अधिकारीगण द्वारा दिया गया विवरण भी मुझे प्राप्त हुआ है। अभी यह जांच चल रही है। इन परिस्थितियों में अभी तक अपना मत निश्चित नहीं कर पाया हूं और यह सम्भव है कि मुझे इस सम्बन्ध में कोई अन्य विशेष जांच करानी पड़े।

एक बात निर्विवाद है कि प्रत्येक घायल बंदी के इलाज की व्यवस्था की गयी तथा उसका इलाज किया गया।

सदन से मैं साग्रह निवेदन करूंगा कि वह मुझे आज्ञा प्रदान करें कि इस समय मैं इससे अधिक कोई अन्य बयान यहां न दूं तथा अपनी जांच का कार्य समाप्त होने के पश्चात् ही सदन के समक्ष इस घटना का सम्पूर्ण विवरण दे सकूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी जो वक्तव्य उन्होंने पढ़ कर सुनाया है उसके सिलसिले में बतायेंगे क्यों कि इसका कोई सम्बन्ध सब्जुडिस होने से नहीं है कि कितने लोगों को चोटें आयीं, घायल हुए और उनका इलाज क्या क्या करवाया गया और कहां करवाया गया?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—४० बंदियों को चोटें आयीं। उनमें से प्रत्येक का इलाज शुरू में अस्पताल में करवाया गया। उसके बाद ९ आदमियों को स्क्रीनिंग के लिये अस्पताल भेजा गया। उनमें से दो बंदियों के हड्डी टूटने की चोटें थीं। इसके अतिरिक्त ८ जेल कर्मचारी जिनमें ५ वार्डर थे उनके भी चोटें आयीं और ४ साधारण बंदियों के भी चोटें आयीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—माननीय मंत्री जी ने बयान में जो बतलाया कि विशेष जांच की आवश्यकता हो सकती है, तो क्या उन्होंने निश्चय कर लिया है कि विशेष जांच करवायेंगे? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मैंने अभी निश्चय नहीं किया है, लेकिन मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी या और कोई जांच अगर इस सम्बन्ध में होने को हो, वह हो जाय, उसके बाद निर्णय करेंगे कि इस सम्बन्ध में कोई जांच की आवश्यकता है। यदि आवश्यकता होगी तो निश्चय ही करवायी जायगी।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय यह घटना हुई उस समय जेल में बंदियों की संख्या कितनी थी?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मुझे उसका कोई ठीक ज्ञान नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि माननीय अवधेशकुमार सिनहा, जो इस माननीय सदन के सदस्य हैं, भी उस समय उसी जेल में सजा काट रहे थे?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—पूरे तौर पर ज्ञात है। उनका आवेदन-पत्र भी आया है।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि उनके भी चोटें आयी हैं और क्या ऐसी परिस्थिति में माननीय मंत्री जी यह उचित समझेंगे कि इस सदन की ओर से कोई जांच उस घटना की करायी जाय जिससे तथ्य सदन के सामने उपस्थित हो सके?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सदन की ओर से जांच का कोई अर्थ तो मैं समझा नहीं। यदि उनका कहना यह है कि कोई जांच करायी जाय जिसमें सच्चाई प्रकट हो सके तो मैंने आरम्भ में कहा है कि जरूर करवायी जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी, जो उन्होंने २ जांचों का जिक्र किया—एक मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी और उसके बाद कोई दूसरी जांच करवा ी है, उसके बाद विशेष जांच होगी—इसको स्पष्ट करेंगे?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—प्रारम्भ में एक मैजिस्ट्रेट वहां गये थे। बाद में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब गये। उसके बाद एक साहब मि० सिनहा हैं, वह भी गये और उन्होंने जांच की। इसके अतिरिक्त इस विभाग के, जो कि इस समय प्रांतीय कारागार निरीक्षक हैं, वह भी घटनास्थल पर जा चुके हैं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी, जो अवधेशकुमार सिनहा जी की तरफ से आवेदन-पत्र आया है, उसको पढ़कर के सुना देने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—अगर उसे पढ़ने के लिये कहा जायगा तो यह तो शहादत आ जायगी सामने .....

श्री गेंदासिंह—तो उनकी मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या-क्या हैं, वह बता देने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अगर माननीय सदस्य उनकी शिकायत सुनना चाहते हैं तो यह हो सकता है कि माननीय मंत्री जी दोनों तरफ के वर्सन्स की सूचना संक्षेप में सदन को दे सकते हैं क्योंकि अभी शायद मामला सब-जुडिस नहीं है। तो दोनों तरफ के कथन यानी जेल वालों की शिकायत और जो जेल वालों के ऊपर आक्षेप किया गया है या खास तौर पर श्री अवधेश कुमार जी ने जो इनके बारे में शिकायत की है, उसकी संक्षेप में आप सूचना सदन को दे सकते हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—श्रीमन्, आज्ञा का पालन करना चाहता हूं। वैसे मैं इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि किसी घटना की पुलिस में रिपोर्ट हो जाने के बाद और उस पर यदि पुलिस की जांच शुरू हो जाय तो जहां तक मुझे ज्ञान है, वह मामला सब-जुडिस हो जाता है। मैं कानून की बात तो सिर्फ इतनी-सी कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में निर्णय भी हो चुके हैं। लेकिन फिर भी जहां तक दोनों तरफ की शिकायतों का विवरण देने का प्रश्न है वह मैं संक्षेप में दे देना चाहता हूं क्योंकि उससे सम्भवतः उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

अवधेशकुमार सिनहा जी का कहना यह है कि वह दो दिन बाद छूटने को थे और इस बीच में हेड वार्डर उनके पास में स्वयं आये और उन्होंने आकर कहा कि अब आप छूटने को हैं और यह साग-सब्जी की शिकायत आप किया करते थे, तो अब आपको बाग दिखा दिया जायगा। उसमें आप साग-सब्जी को देख लेंगे और उसके बाद में हेड वार्डर स्वयं उनको और उनके पन्द्रह-बीस साथियों को लेकर गए और उन्हें बाग वगैरह दिखाया। वहां से वापस आने के बाद उनका हेड वार्डर से कुछ कहना-सुनना हुआ। हेड वार्डर ने यह कहा कि अब तो आपने देख लिया बाग, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास में कौन-सी साग-सब्जी है। इस पर उन्होंने

कहा कि साग-सब्जी बाग में न हो तो बाजार से मंगवाना चाहिये और इस पर उनमें कुछ कहा सुनी हो गई। हेड वार्डर ने कुछ दूसरे कैदियों को बुलवाया और व्हिसिल भी बजा दी। दूसरे कैदी वहां पर आ गये और जेल के कर्मचारी भी आ गए। इस पर वह और उनके साथी बैरक में घुस गये और उसके बाद उनके विवरण के अनुसार करीब डेढ़ सौ आदमी वहां आ गये जिसमें कैदी भी थे और जेल के अधिकारी भी थे, उनके पास डंडे थे, लोहे की सलाखें वगैरह थीं और उन लोगों ने ईंट-पत्थर फेंके जिस पर ये लोग इधर-उधर छिपे, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों को चोटें लगीं। जहां तक कि मुझे स्मरण है उन्होंने अपने आवेदन-पत्र में ४७ आदमियों के चोट लगने का जिक्र किया है।

जहां तक कि दूसरी ओर का विवरण है वह यह है कि जो जेल के अधिकारियों के द्वारा दिया गया है। वह कहते हैं कि दो दिन बाद में अवधेशकुमार जी को छूटना था। उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि उनको उनके एकाध साथियों के साथ बाग वगैरह दिखला दिया जाय। तो इस पर हेड वार्डर यह कह कर चला गया था कि एकाध साथियों के साथ में आपको बाग दिखला दिया जायगा, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। यह कह कर वह घर चला गया और दोपहर को जब वह वापस लौटकर आया तो देखा कि अवधेशकुमार जी अपने ४० साथियों के साथ बाग में से निकल कर फांसी के इन्क्लोजर में चले गये थे। उसने उनसे कहा कि आप इस तरह से क्यों चले गये थे, मैं आता तो आपको ले जाता। इस पर उन्होंने गाली-गलौज की और हाथापाई भी की। हेड वार्डर के साथ में हाथापाई और गाली गलौज होने के साथ में उसमें तरकारी का कुछ जिक्र आया या नहीं यह बहुत स्पष्ट नहीं है, इसका विवरण पूरे तौर पर नहीं है। उसके बाद में जब हाथापाई की और गाली-गलौज की तो हेड वार्डर ने व्हिसिल बजायी और एलार्म भी बजाया। इस पर अवधेशकुमार सिनहा और उनके साथी एकदम से अपने बैरक की तरफ चलने लगे और कुछ लोग रसोईघर की तरफ गये, वहां एक दरवाजा तोड़ा। इस समय कुछ बन्दी रसोईघर के थे और कुछ दूसरे बन्दी थे और जेल के अधिकारी गण थे। जो अन्य बन्दी बतलाये जाते हैं वह केवल वह थे जिनको कि आउट गैंग कहा जाता है। उसके लोग भी वहां पर आ गये थे। कुछ आउट गैंग के लोग, कुछ रसोईघर वाले बन्दी और कुछ जेल के अधिकारी, इन लोगों ने यह प्रयास किया कि इनको बैरक के अन्दर ले जाया जाय क्योंकि वहां पर एक प्रकार से बलवा हो गया था। उसके लिये सब से जरूरी चीज यह थी कि बैरक के अन्दर इनको ले जाया जाय। इस पर रेजिस्टेन्स हुआ, मारपीट हुई और मारपीट होने के बाद बन्दियों को चोट लगी, जेल के अधिकारीगण और जो साधारण बन्दी थे, उनको भी चोटें लगीं। इस प्रकार की यह दोनों घटनायें हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—समाज कल्याण मन्त्री ने यह कहा कि जिन लोगों को जेल के भीतर चोट आई उनमें पांच वार्डर और कुछ और लोग भी थे, तो क्या जो लोग थे जिनको चोट आई वह साधारण कैदी थे? वह साधारण कैदी आउट गैंग के थे या रेसोई घर के थे या दूसरे थे, और वहां पर किस सम्बन्ध में थे?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जितनी सूचना मेरे पास है उसक अनुसार ८ जेल के अधिकारीगण के चोट आई, जिनमें ५ वार्डर थे। जो साधारण बन्दी थे, इस समय मेरे लिये यह कहना कठिन है कि उनमें कितने रसोई घर के थे और कितने आउट गैंग के थे।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—मान्यवर, एक प्रश्न यह है कि माननीय मन्त्री जी ने हमारे प्रार्थना-पत्र को इतना तोड़-मरोड़कर इस आदरणीय सदन के सामने रखने की चेष्टा की है कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपके सामने दो मिनट में कुछ सही विवरण दे सकता हूं?

श्री अध्यक्ष—जो लिखित विवरण आपने दिया है उस सम्बन्ध में मंत्री जी की कौन-सी गलती है, उसको आप पूछ सकते हैं।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा---एक प्रश्न मैं यह जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने यह कहा है कि मैं दो दिन के बाद छूटने को था यह सत्य है, लेकिन मैं छूटने के पूर्व जेल की बगिया देखना चाहता था यह सत्य नहीं है। ११ अप्रैल को, जो वहां के जज हैं, उनकी अध्यक्षता में एक नान-आफिशियल बोर्ड वहां गया था जिसमें मैं भी था। तब जेल की बगिया और जेल की फांसी गारद वगैरह जितनी चीजें थीं, मैं देखकर आया था। तो मेरी इनके लिये क्या इच्छा हो सकती थी ....

श्री अध्यक्ष---आप तो बहस कर रहे हैं। सवाल यह है कि जो आपने इनको लिख कर दिया और इस समय जो मन्त्री जी ने विवरण दिया इनमें कोई अन्तर है?

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा---मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बात ....

श्री अध्यक्ष---नहीं, यह आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

*श्री देवनारायण भारतीय---अध्यक्ष महोदय, यह घटना गम्भीर है जिसमें ४७ राजनीतिक बन्दियों के चोट लगने का सवाल है। उस समय कुल ६७ राजनीतिक सत्याग्रही वहां पर मौजूद थे और ६७ में से ४७ को चोटें आई हैं। ४० का केवल डाक्टरी मुआयना किया गया और ७ का डाक्टरी मुआयना नहीं कराया गया। जो रिपोर्ट लिखी गई है वह जेल अधिकारियों की तरफ से लिखी गई है। उन राजनीतिक बन्दियों के पास न इतनी सुविधा थी और न इतने साधन थे कि वे रिपोर्ट लिखा सकें क्योंकि वे बन्दी थे। मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह घटना जिस समय हुई उस समय जेल के जेलर और जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट कोई भी मौके पर मौजूद थे? लाठी चार्ज हुआ या डंडे चले और उसके लिये अन्तिम आज्ञा किस अधिकारी ने दी थी?

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, इस घटना की जब से रिपोर्ट हमारे पास आई तब से ही मैं बहुत चिन्तित हूं क्योंकि कोई राजनीतिक बन्दी किसी दल का हो, लेकिन राजनीतिक बन्दियों की एक खास हैसियत होती है। जरूर कुछ ऐसी बातें रहीं जो मुझको---मुझको इसलिये कहता हूं कि उस समय समाज कल्याण मंत्री, लखनऊ में नहीं थे---काफी चिन्तित कर रही थीं और आश्चर्य में भी डाल रही थी। कल मुझसे अवधेश कुमार जी से बातचीत हुई। मैं उनको बहुत पहले से जानता हूं और उन्होंने जिस तरीके से घटना का जिक्र किया उससे मैं बहुत काफी प्रभावित हुआ। मुझसे माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से भी बातचीत हुई। जाहिर बात है कि उनके पास जो रिपोर्ट आयी वह सरकारी जरियों से आयी। वह खुद भी काफी चिन्तित हैं। लेकिन कुछ जाब्ते की बातें हो रही हैं, मसलन मैजिस्टीरियल इंक्वायरी आदि, जो कानूनी बातें हैं। मैं आपके द्वारा इस माननीय सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस बात का विश्वास रखें कि माननीय समाज कल्याण मंत्री को और मुझ को बहुत काफी इस विषय में चिन्ता है। हमारी पूरी इच्छा इस बात की है कि इस सम्बन्ध में पूरी छानबीन की जाय और जो कोई भी अपराधी हो---बड़े से बड़ा अफसर या छोटे से छोटा आदमी---कोई भी हो, जो इस सम्बन्ध में अपराधी साबित हो, उस दंड दिया जाय। इस समय इससे अधिक बयान देना उनके लिये संभव न होगा और कुछ कहने पर, जो कुछ जांच जो लोग करना भी चाहते हैं, उसमें दिक्कत पड़ जायगी।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सीतापुर जिले के, जो सदस्य इस सदन के हैं और जो उस जेल में ऐज विजिटर जाते हैं, उनकी ओर से भी कोई लिखित या मौखिक रिपोर्ट इस सम्बन्ध में मंत्री जी को मिली है? यदि हां, तो वह क्या है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—वह तो उन्होंने बतला दिया। अवधश कुमार जी ने जो लिखित रिपोर्ट दी है उसका सारांश उन्होंने अभी बतलाया था।

श्री झारखंडेराय—उनके अतिरिक्त किसी अन्य की भी कोई रिपोर्ट है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मान्यवर, उनके अतिरिक्त मेरे पास अभी अन्य कोई रिपोर्ट नहीं आयी।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनको बड़ा दुःख है उस घटना से। तो मैं आपके द्वारा उनसे यह आग्रह करूंगा कि उनको उस घटना की जांच के लिये इस सदन के सदस्यों की एक इंक्वायरी समिति बना देने में क्या दिक्कत है, जिसमें नेता विरोधी दल तथा अन्य लोग हो सकते हैं ? अगर उनका मंशा है कि जिन अधिकारियों ने गलती की है उनको सजा मिले तो सदन की समिति इसके लिये बनाने में क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह सुझाव है और इसे आप प्रश्न करते समय न दें। एक बात मालूम हो गयी। अब जब कि वाकयात मालूम हो जायं स्पष्ट रीति से तब जिन्होंने कसूर किया है उनको दण्ड दिया जाय और मुख्य मंत्री जी तो अवधेश कुमार जी की बातों से प्रभावित भी हुए हैं, यह एक संकेत है। तो ऐसी दशा में मैं समझता हूं कि आपको कोई सुझाव देने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई सुझाव देना ही हो तो आप मिल कर नेता सदन से बातचीत कर लें।

रक्षाबंधन के त्योहार पर अवकाश बढ़ाने के लिये प्रार्थना

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मेरा एक निवेदन है और वह यह कि जो रक्षा बंधन का त्योहार है वह पश्चिम में सब से बड़ा माना जाता है। इसलिये आपके जरिये मैं नेता सदन से प्रार्थना करूंगा कि उसके लिये दो दिन की छुट्टी बढ़ा दी जाय, परवा और दूज के लिये, और मैं आशा करता हूं कि हमारे माननीय नेता सदन इसको स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—ठीक है।

१४ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न ४९–५० से सम्बद्ध एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)—श्रीमन्, विधान सभा में १४ अप्रैल, १९६० को श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४९–५० का निम्नलिखित उत्तर दिया गया था :

प्रश्न	उत्तर
"४९—क्या सरकार यह बताने [की कृपा करेगी कि सन् १९५८ में लखनऊ डिवीजन के कमिश्नर के दौरे के समय कमिश्नरी का सरकारी जरूरी कागजों का एक बक्स रेलगाड़ी के थर्ड क्लास के डिब्बे से चोरी चला गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि वह बक्स किस के चार्ज में था और उस सम्बन्ध में आज तक क्या कार्यवाही किस-किस के विरुद्ध की गई ?	४९—जी हां, लखनऊ डिवीजन के कमिश्नर के दौरे के समय सरकारी गुप्त कागजों का एक बक्स, जब वह उनके स्टेनोग्राफर के साथ रेलगाड़ी के डिब्बे में लखनऊ लाया जा रहा था, लखनऊ स्टेशन पहुंचने पर गायब पाया गया। इस सम्बन्ध में उनके स्टेनोग्राफर के ऊपर इसकी जिम्मेदारी रक्खी गई और विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई।

[श्री महाबीर प्रसाद शुक्ल]

प्रश्न	उत्तर
५०—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार के पास ऐसी भी सूचना है कि उक्त बक्स की चोरी किसी कर्मचारी ने २ हजार रुपये रिश्वत लेकर कराई थी ?	५०—इस सम्बन्ध में कोई सूचना सरकार के पास नहीं आई कि इस बक्स की चोरी किसी कर्मचारी ने २ हजार रुपये रिश्वत लेकर कराई। एक प्रार्थना-पत्र इस संबंध में सरकार के पास आया था, जिसे गलत नाम का (Pseudonymous) पाया गया।"

इस पर उठाये गये अनुपूरक प्रश्नों में से दो प्रश्न एवं उनके उत्तर इस प्रकार हैं :

"श्री सदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त चोरी की जांच सी० आई० डी० द्वारा कराई गई थी और सी० आई० डी० ने यह सिफारिश की थी कि उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय ?	श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—सी० आई० डी० द्वारा जांच कराई गई थी। सी० आई० डी० ने क्या सिफारिश की थी उसकी सूचना सरकार के पास नहीं है।
श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी— क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कर्मचारी को जांच के पहले मुअत्तल किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?	श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—मान्यवर, जब तक यह निश्चित न हो जाय क्योंकि यह फाइल संदिग्ध अवस्था में गयब हुई थी और स्टेशन पर खुद कमिश्नर साहब के डिब्बे में ही रखी गई थी, लेकिन लखनऊ आने पर नहीं मिली तो जिस वक्त में कि स्टेनोग्राफर नहीं था, उस वक्त में वह गायब हुई थी, इसलिये यह निश्चित नहीं कहा जा सकता था कि उसकी ही जिम्मेदारी थी। लेकिन सारी परिस्थितियों में जब सी० आई० डी० ने जांच की तो सिवाय उसके और किसी की जिम्मेदारी नहीं साबित हुई।"

इन अनुपरक प्रश्नों के उत्तरों में कुछ त्रुटियां हैं, जिनका परिहार आवश्यक जान पड़ता है। अतएव मैं माननीय अध्यक्ष जी से प्रार्थना करूंगा कि ये दोनों उत्तर क्रमशः निम्नलिखित से बदल दिये जायं :

"सी० आई० डी० द्वारा जांच कराई गई थी, सी० आई० डी० न क्या सिफारिश की थी, उसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।"

"उक्त कर्मचारी को जांच के पूर्व मुअत्तल नहीं किया गया। जांच करने वाले अधिकारी ने इसकी आवश्यकता नहीं समझी।"

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९

खण्ड ३ (क्रमागत*)

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ पर विचार जारी रहेगा।

---

* ३ अगस्त, १९६० की कार्यवाही से।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---श्रीमन्, कल जमीन की किस्मों के संबंध में बातचीत चल रही थी। सरकार ने जो ६ रुपये फी एकड़ जमीन का लगान पड़ता है उसको बहुत अच्छे किस्म की जमीन माना है। मेरा कहना इसके विपरीत है। श्रीमन्, जमीन एक फसली, दो फसली और तीन फसली होती है और उसकी नाप उसी के अनुसार होनी चाहिये। जिस जमीन पर एक फसल होती है उस पर लगान ३ रुपये प्रति एकड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिये। जिस पर दो फसलें होती हैं उसका लगान ४ रुपये या ५ रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिये तथा जिस पर तीन-तीन फसलें जैसे आलू, अरबी वगैरह साग-सब्जी की खेती की जाती है उस पर लगान ६ रुपये प्रति एकड़ होना चाहिये। पुरानी खेती के बारे में घाघ की एक पुरानी कहावत है---

"गौंसल खेती गोई चार, बंधी गृहस्थी भैंसि दुधारि,
धोई कि दारि जड़हना भात, घिव गुड़ चरनी फुलका तात,
सहरीदार दहीउ जो होय, बांके नैन परौसें जोय,
कहैं घाघ तब सब सुखु झूंठ, सरग छांड़ घर है बैकुंठ।"

तो यह उस समय की कल्पना जमीन के बारे में उन्होंने की थी---

अब आज की कल्पना भी जरा सुन लीजिये---अगर घाघ होते तो यही कहत---

हैवी ट्रक्टर गोंई चार-सौ एकड़ मां फरी उखारि
रबी खरीफ पचास पचास, ट्यूबवेल बिजुली चहुंपास,
दस एकड़ मां कलमी बाग, दस एकड़ मां सब्जी साग,
खुद मैकेनिक ट्रक भई मुंह एकठोरी, भैंसी खुंठा गाय नगौरी,
सड़क किनारे शहस नगींच, बंगला बना फार्म के बीच,
अस साधन विधि दें जब जैसी, मिनिस्टरी की [××]।"

मैं तो श्रीमान् जी से यह प्रार्थना करूंगा कि जमीन की नाप जमीन से चलेगी तभी ठीक होगा। आकाश से नहीं चल सकती। आपका ऐसा कर्मचारी जो "पढ़ा कालेज के सेंटर में और मरा साहब के दफ्तर में", वह जमीन की नाप नहीं कर सकता। उसकी नाप जमीन पर चलने वाला ही कर सकता है। जमीन की किस्म अगर मालूम न हो तो किसान से पूछिये। आपके पढ़े-लिखे महोदय जो गांवों में जाते हैं वह कहें कि हम जमीन की नाप कर देंगे तो उनके बस की चीज नहीं है।

साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि आप एक फस्ली, दो फस्ली क हिसाब से लगान की नाप कीजिये और उसी के अनुसार जमीन की किस्म रखिये। यह जो सर्किल रेट आपका है वह बहुत गलत है। जिसके पास ज्यादा जमीन है उसका रेट बहुत कम है। बहुत सी जगह तो १ रुपये से भी कम जमीन चल रही है। एक राजा साहब, खां साहब हैं, सरकारी खैरख्वाही में जमीन मिली है। उनको १,२०० एकड़ जमीन का लगान ७३ रुपया पड़ता है। बहुत-सी जमींदारियां तो समाप्त हो गयीं, वह चीज समाप्त हो गयी, लेकिन बहुतेरी हमारे जिले में जगहें ऐसी हैं जिनको शिकारगाह बना रखा है। उन्हें जोत कर के बो देते थे, पैदा हो गया तो लगान पड़ गया, नहीं हुआ तो लगान नहीं पड़ा। ऐसी जमीन नकली मानी जाती थी खत्ती जमीन ऐसी होती थी जिसका लगान हमेशा पड़ता था। नकशी जमीनें ज्यों की त्यों रहीं, पड़ती लिखी गई हैं। सरकार ने उसको छीन कर सम्पूर्णानन्द नगर बनाया है, विसेनपुरी

[××]उक्त अंश श्री अध्यक्ष की आज्ञा से कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री बंशीधर शुक्ल]

और गिरधरपुरी बनायी हैं। इस प्रकार वहां गांवों की फसल समाप्त हो गयी, वहां काश्तकारों की दुर्दशा हो रही है और सरकार ने एक अपने दिमाग का कूड़ा-कबाड़ वहां लाद दिया है। तो मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह जमीन पर रहने वाले हैं, जमीन के कानून को जमीन से देखें। लगा न की नाप जमीन से करें. . . .

श्री अध्यक्ष---आप तो दोहरा रहे हैं, दोहराइये मत।

श्री बंशीधर शुक्ल---लगान की नाप कोई नाप नहीं है। जिस समय लगान की छूट हुई थी थोड़ी सी तो जिनके पास जमीन खत्ती की थी वहां दो आने और आठ आने छूट हुई। इस तरह से लगान कम हो गया। इसके बाद अगर किसी की जमीन बेदखल हो गयी तो उसका लगान बढ़ गया और अगर किसी ने नीलाम के समय बोली लगवाई तो २ रुपया किसी ने बोली बोली, दूसरे ने ४ रुपया बोली बोली तो इस तरह से भी जमींदार ने लगान बढ़वा लिया। कोई सर्किल रेट नहीं था। उसी की पूंछ पकड़ कर सरकार चल रही ह। तो लगान के अनुसार जमीन की नाप नहीं रखनी चाहिए, पैदावार के हिसाब से रखनी चाहिए। बहुत-सी जमींनें एक फस्ली होती हैं, जिसमें उर्द होता है, जड़हन धान, बाजरा होता है और अरहर और मूंगफली होती है। उसमें और क्या हो सकता है? वह ऐसे वक्त पर बोई जाती है जब और पैदावार नहीं होती। एक ऐसी होती है जिसमें गेहूं और चना दोनों चीजें होती हैं, वह दो-फसली होती है और आलू, गन्ना वगैरह यह तीन फसली होती ह। तो इस ढंग से लगान रखा जाय वही जमीन का इन्तजाम ठीक हो सकता ह और अगर इस तरह से जिस तरह से आप बनाते हैं, कोई चीज बनायी जायगी तो वह कल बदलनी पड़ेगी तो फिर क्या होगा? जैसे आपने २२ लाख अधिवासी रखे, लेकिन अब कितने ह? कोई परती जमीन जोत ले तो वह बेदखल कर दिया जाय, लेकिन अब आप क्यों नहीं बेदखल कर देते? हाईकोर्ट ने रूलिंग दे दी कि बेदखल नहीं हो सकता। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि खेतिहर को खेती करने दीजिये, कोई दूसरा खेती नहीं कर सकता। अमरीका से सीख कर यहां खेती नहीं हो सकती। अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार जमीन की नाप लगान से न करे, पैदावार के लिहाज से जमीन को नापे।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहाँपुर)---मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कल मैंने कुछ संशोधन प्रायः ढाई बजे दिये थे जो कि आज की कार्यसूची में समावेश नहीं हुये हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें कोई मेरी ओर से तो त्रुटि नहीं हुई?

श्री अध्यक्ष---३६ घंटे की नोटिस होनी चाहिये, इसलिये वह नहीं छपे।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)---अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। ६ रुपये प्रति एकड़ के स्थान पर ४ रुपये प्रति एकड़ रखने का संशोधन मैंने भी दिया था जो कि भीखालाल जी के साथ ही प्रस्तुत हो गया, तो मुझे भी बोलने का मौका मिलेगा या नहीं?

श्री अध्यक्ष---आपको बोलने का मौका किसी और संशोधन पर मिल जायगा। यह संशोधन भीखालाल जी के नाम से ही था इसलिये वही उत्तर देंगे। उत्तर देने के लिये एक सदस्य को ५ मिनट मिलेंगे।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के बोलने के बाद अगर मुझे बोलने का मौका मिलता तो बेहतर रहता।

श्री अध्यक्ष---मंत्री जी ने कहा है कि वह आखिर में बोलेंगे। आप यह समझ लीजिये कि उधर से विरोध ही है।

श्री भीखालाल---जैसा मैंने कल कहा था कि अच्छी प्रकार की भूमि की परिभाषा यह रखी गई है कि जिस भूमि का सर्किल रेट ६ रुपये से ऊपर हो वह अच्छी प्रकार की भूमि होगी, यह किसी

सिद्धान्त पर आधारित नहीं है। मैं यह जानना चाहता था सरकार से कि वह कम से कम यह तो बतावे कि वह सिद्धान्त कौन से हैं जिन पर यह परिभाषा आधारित होगी और इन सिद्धान्तों से जमीन का भी कुछ सम्बन्ध रखा गया है या नहीं? मैं स्वयं एक किसान हूं, देहात का रहने वाला हूं, मुझे खेती का अनुभव भी है और मैं अपने पूरे अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं कि हर गांव में अच्छी किस्म की भूमि औसतन आधी के लगभग होती है, लेकिन ६ रुपये सर्किल रेट के आधार पर जो अच्छी जमीन मानी जायगी वह लगभग चौथाई होगी। इस लिये इस प्रकार की शरह रखने का जमीन से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका नतीजा उलटा यह हुआ है कि अच्छी प्रकार की भूमि पाने वालों की तादाद घटाकर दूसरे नम्बर और तीसरे नम्बर की भूमि के पाने वालों की तादाद बढ़ाई गई है। इसका नतीजा यह होगा कि इस विधेयक के लागू होने के बाद जो जमीन हम को मिल सकती थी अब वह नहीं मिलेगी। इसी कारण से मैंने यह संशोधन रखा है और मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल न्यायोचित है और सिद्धान्तों तथा उद्देश्यों की पूर्ति करता है इसलिये सदन को इसे स्वीकार करना चाहिये। इसके विपरीत जो दूसरे संशोधन रखे गये हैं, ६ रुपये से बढ़ाकर ८ रुपये के, उनमें कोई औचित्य नहीं है बल्कि वह इस विधेयक की मंशा को परास्त करने वाले हैं, इसलिये मैं उनका विरोध करता हूं।

*श्री राघवेन्द्र प्रतापसिंह (जिला गोंडा)---श्रीमन्, जैसा मैंने कहा कि मेरा संशोधन इस बात पर आधारित है जैसा कि हमारे माननीय मन्त्री जी ने कहा था कि प्लानिंग कमीशन की सिफारिश के अनुसार एक परिवार की औसत आमदनी ३६०० रुपये प्रति वर्ष इसके द्वारा रखी गई है। मैं तो चाहता था कि वह इसका कैलकुलेशन मुझे समझा देते, तब मैं कुछ कहता। मगर आपका आदेश है तो मैं फिर उसी चीज पर जोर देना चाहता हूं।

मैं इस संशोधन के द्वारा यह नहीं चाहता कि खातेदार को अधिक धन दिया जाय। वास्तव में यह ३,६०० रुपया नहीं बल्कि ३,००० है। जमींदारों की, जो भूतपूर्व मध्यवर्ती रह चुके हैं, जिनके लिये कितने लांछन लगाये जाते हैं, समाज में जिनका कोई स्थान नहीं बतलाया जाता था, उनको प्रति वर्ष की आमदनी का ८ गुना मुआवजा दिया गया और पुनर्वास दिया गया जो कि कम से कम १२ गुना सालाना आमदनी का था। आज एक खातेदार को क्या दिया जा रहा है? एक एकड़ पर ६ रुपये आमदनी वाले को ४० गुना देना चाहते हैं। इसके मानी है कि २५० रुपये के करीब मुआवजा उसे एक एकड़ का दिया जायगा। यहां पर एक एकड़ में कृषि आय-कर में और वृहत् जोत कर में ७५ रुपये आमदनी लगाई जा चुकी है। तो उसकी वार्षिक आय का ३ गुना या साढ़े तीन गुना उस किसान को दिया जा रहा है जिसने उस खेत को जोता है और अपने धन और परिश्रम से उसे तैयार किया है। मैं आशा करता हूं कि सदन इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगा। जब सीमा की नींव डाल दी, जो आज ४० एकड़ है वह कल ३० एकड़ होगी और इसी तरह कम होती जायगी।

मैं तो यह कहूंगा कि जब सरकार समाजवादी नीति चला रही है तो वह उसे मुबारक हो जिसे वह अच्छा समझती है, मगर जो वर्गहीन समाज का दावा उनका था वह आज एक नया वर्ग पैदा कर रही है। एक परिवार में, जिसमें ५ व्यक्ति माने गये हैं, ३,६०० रुपये के हिसाब से लगभग ५० रुपये माहवार हुआ। यह देहात में एक नया वर्ग बनाया जा रहा है। जैसे और देशों में नीगरोज हैं वैसे ही देहात के रहने वालों के साथ यह सरकार व्यवहार कर रही है। उनको हमारे देश में कहा जाता है कि ये गंवार हैं, देहाती हैं, अनपढ़ हैं। हमें अफसोस है कि आज हमारी सरकार उस पर मोहर लगाने जा रही है और एक वर्ग बना रही है जो ५० रुपये से ज्यादा ताकयामत, ताउम्र नहीं पावेगा। चौधरी चरणसिंह जी ने ठीक कहा था कि आप इंसान को मजबूर कर रहे हैं कि वह घुटनों के बल पर सदा के लिये सरकार का आश्रित हो जाय। जिस गुलामी को पूजनीय महात्मा गांधी जी ने दूर किया था उसे यह सरकार फिर से देहात के रहने वालों पर थोप रही है। शहर के लोग एक गुट बनाकर देहात को नष्ट करना चाहते हैं। वे देहात का शोषण करना चाहते हैं। आज जो दिल्ली

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राधवेन्द्र प्रतापसिंह]

में एक पलेट में रहता हूं उसका और एक देहात के वासी के रहन-सहन का अन्तर देखिये। जिस तरह से नागालैण्ड को हम लोग नहीं जानते हैं कि उनका रहन-सहन, उठना-बैठना कैसा होता है, उसी तरह से इस विधेयक के पास हो जाने पर देहात के लोगों के रहन-सहन का आप अनुमान नहीं कर सकेंगे।

इसलिये मैंने तो छोटी-सी मांग रखी थी कि उन्हें कम से कम ३,६०० तो आप दीजिये। यह न समझें कि मेरा इसमें कोई विशेष इंटेरैस्ट है। मैं तो किसान के लिये कहता हूं। मेरी भूमि जायगी मगर मैं वही हूं जिसने जमींदारी विनाश के समय अपनी सारी जमींदारी मिटाने के लिये हाथ उठाया था। आज भी देश के लिये और जनहित के लिये अगर जरूरत हो तो मुझे कोई गुरेज नहीं होगा अगर मेरी सारी जमीन ही नहीं बल्कि घरबार भी सारा ले लिया जाय। ४० एकड़ पर मंत्री जी दावा करते हैं कि वह ३,६०० रुपये दे रहे हैं, तो इसके मानी हैं कि १ एकड़ में एक आदमी ९० रुपये कमा लेगा एक साल में। मुआवजा सरकार देगी २४० पये। उस ९० पये का आप १२॥ गुना दे दीजिये। मैं छोटा-सा अदना आदमी हूं। मुझे मुआवजा न दें मुझे स्वीकार है। मैं राजा साहब, मनकापुर के लिये नहीं कह रहा हूं बल्कि किसानों के लिये कह रहा हूं। उनके फायदे की बात कह रहा हूं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि एक नया वर्ग अनपढ़ लोगों का, गंवार लोगों का बनाने का प्रयास न करें।

हमें भोखालाल जी से कोई शिकायत नहीं है चूंकि वह तो एक लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि देश में समाजवाद नहीं बल्कि साम्यवाद आ जाय। यह सरकार जो यह दावा करती है कि देहात के आदमियों का स्तर उठाना चाहती है और जो कहती है कि हम साम्यवाद के दुश्मन हैं, मैं उसको आगाह करता हूं कि वही यहां से चोन तक इस बिल के द्वारा पक्की रोड बनाने जा रही है।

अन्त में मैं अपने लायक दोस्त गेंदा सिंह जी के प्रस्ताव के बारे में एक शब्द कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि ७ मन प्रति एकड़ आमदनी मानी जाय। मेरी समझ में में नहीं आया कि वह किस खेत की आमदनी होगी, किस फसल की या किस वर्ष की मानी जायगी। अगर कुछ मुट्ठी भर धनिकों से गरीबों की समता की जायगी तो देहात में अन्धकार फैल जायगा। जिस साल बढ़िया आ जायगी मंत्री जी कहेंगे कि हम उस साल का मानेंगे। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि मेरी बातों पर सदन गम्भीरतापूर्वक विचार करेगा।

*श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, हम इस बात का अफसोस है कि जो संशोधन हमने पेश किया है उसके लिये जो हमने तर्क दिये थे उनके उत्तर में न तो सरकार की ओर से और न दूसरे पक्ष से जो सरकार का समर्थन कर रहा है, कोई उत्तर आया। राजा साहब के एक भ्रम का मैं निवारण करना चाहता हूं। वह कहते हैं कि ७ मन कैसे लगाया जायगा। वह किसी नेचुरल कलमिटी के वर्ष की आमदनी होगी। सरकार के पास हर साल की क्राप-कटिंग की रिपोर्ट होती है, उसका औसत होता है। जैसा मैंने कल भी कहा था, इस संशोधन का अर्थ यह है कि जैसे सर्किल रेट ६० रुपये साल चला आ रहा है, पहले से जब यह ५० रुपये लगा था उसके मुक़ाबले में भूमि की परिस्थितियों में बहुत अन्तर आ गया है। कहीं नहरें थीं, कहीं नहरें नहीं थीं। पहले दूसरी-दूसरी परिस्थितियां थीं और अब दूसरी हैं। यह जो निर्धारण हुआ था वह ५० साल पहले हुआ है और अब वह चीज बहुत पुरानी हो गयी है, इसलिये नया माप दंड होने की आवश्यकता है और सामान्य रूप से जमीन का मापदंड उसकी पैदावार ही हो सकता है और वह एक साल की ईल्ड पर से कभी हो नहीं सकता।

अध्यक्ष महोदय, यदि आज्ञा दें तो मैं कहूंगा कि राजा साहब मनकापुर ने कुछ ऐसी बातें कहीं जिनका बहुत संबंध इस संशोधन से नहीं था। उन्होंने कुछ सिद्धान्तों की ओर संकेत किया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन्होंने कहा कि इसके द्वारा नया वर्ग बनाया जा रहा है जिसे वह बुरा समझते हैं। देहात में राजा साहब मनकापुर की भांति एक प्रतिशत से कम लोग थे। मैं उनकी बात तो नहीं कहता, लेकिन उन लोगों ने सदियों से समाज का शोषण किया था, लेकिन आगे वे चाहते हैं कि अब कोई ऐसा तरीका हो जिससे भविष्य में भी वे शोषण करते रह सकें। उनके सामने सामाजिक न्याय का कोई सिद्धान्त नहीं होता। हमारे संविधान में कम्पेन्सेशन देने की व्यवस्था है, इसलिये हम कंपेन्सेशन देते हैं वर्ना कंपेन्सेशन देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्होंने सदियों से जनता का शोषण किया है तब और क्या कंपेन्सेशन उनको चाहिये। किसी ने अंग्रेजों का साथ दिया, इसलिये उनको जागीर मिल गयी, किसी ने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में देश को धोखा दिया, इसलिये उनको ज़मीन मिल गयी, लेकिन अब भी वे चाहते हैं कि उनके इस प्रकार के शोषण का क्रम आगे भी चलता रहे। राजा साहब ने कहा कि व्यापक हित में मैं छोड़ने के लिये तैयार हूं। मैं कहता हूं कि छोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल दृष्टिकोण बदलने की है। मैं पूछता हूं कि आप का क्या हक़ है इतनी ज़मीन रखने का, जबकि उन्हीं गांवों में बहुत से ऐसे लोग भी रहते हैं जिनको दोनों वक्त खाने को नहीं मिलता, मजदूरी ढूंढ़ने से भी नहीं मिलती? इसलिये मैं समझता हूं कि उनका कोई ऐसा तर्क नहीं जिसका जवाब देने की आवश्यकता हो।

जो मालगुजारी सर्किल रेट से रखी गयी है वह किसी ने नहीं बतायी, मंत्री जी इसको बाद में भी नहीं बतायेंगे कि वह वैज्ञानिक पद्धति से है। मैं चाहता हूं कि इसके निर्धारण के लिये कोई वैज्ञानिक पद्धति होनी चाहिये और पैदावार से अधिक वैज्ञानिक पद्धति हो नहीं सकती। इसलिये इस शुद्ध संशोधन को मंत्री जी स्वीकार करेंगे, ऐसी मेरी आशा है।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन सारे संशोधनों का विरोध करता हूं। हमारे मित्र गौरीशंकर जी ने पूछा कि यह रेट किस सिद्धान्त से रखा गया है? यदि वे टेनेंसी ऐक्ट की धारा ११० को पढ़ लें तो उनको मालूम हो जायगा कि किस सिद्धान्त से यह रेट मुकर्रर किया जाता है। उसकी पूरी डिटेल देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता, केवल रिफरेंन्स देना ही काफी समझता हूं।

भीखा लाल जी का जहां तक ताल्लुक़ है उन्होंने कहा कि सर्किल रेट ६ रुपये से ४ रुपये कर दिया जाय। उसके बारे में मेरा कहना है कि प्लानिंग कमीशन ने हमसे कहा कि ३,६०० रुपया सालाना आमदनी होनी चाहिये। यही जवाब श्री गोविन्द सिंह विष्ट का है। राजा साहब ने एक बात कंपेन्सेशन के बारे में कही, वह बिलकुल असंगत थी इस मौके पर। जब कंपेन्सेशन की बात आयेगी और शिड्यूल पर विचार करेंगे तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि यह तो महज प्रोपेगेन्डा की बात है, लेकिन जमींदारों को ज्यादा कंपेन्सेशन दिया गया और किसानों को कम दिया जा रहा है। उनका प्रोपराइटरी राइट था, लेकिन किसानों का टेनेन्सी राइट है। दोनों की मिल्कियत की नौइयत में बहुत अन्तर है जिस प्रकार से फ्री होल्ड ज़मीन होती है और दूसरी लीज होल्ड होती है और दोनों की क़ीमतें अलग-अलग होती हैं।

तीसरी बात राजा साहब ने कही कि ३,६०० की गारन्टी होनी चाहिये और यह भी कहा कि सर्किल रेट ६ रुपये के बजाय ८ कर दिया जाय। हमारे प्रदेश में ६ के ऊपर १०, १२ और १४ रुपये का रेट है। अगर उसका औसत मिलाया जाय तो करीब साढ़े सात आता है तो उसके हिसाब से आमदनी ३,७०० रुपया पड़ती है। तो इस तरह से उसमें कोई कमी नहीं होगी। अगर कुछ ८ चाहते हैं तो १० वाले और ज्यादा होंगे और १४ वाले को करीब ५ हजार रु० का मुनाफ़ा होगा। तो इस तरह से एवरेज निकाल कर आप ३,६०० रु० की बात सोचते हैं।

एक बात और है। उधर से, श्रीमन्, यह दावा किया गया कि हम बड़े-बड़े काश्तकार हैं और हम ज्यादा पैदा करते हैं और अगर सीलिंग लग जायगी तो फूड प्रोडक्शन गिर जायगा। जब आप इतने एफिशिएंट हैं तब तो आप छोटे काश्तकारों के मुकाबले में ज्यादा पैदा कर सकते हैं लिहाजा जो थोड़ी कमी हुई वह कमी पूरी हो सकती है। इसलिये इसमें कोई त्रुटि की बात नहीं है।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

अब माननीय गौरीशंकर राय जी ने जो तरमीम पेश की है उसके सम्बन्ध में मैं क्या बताऊं, मैं कल ही से सोच रहा था। कल सारे वक्त सोचा और आज भी हमने सोचा क्योंकि उसमें कोई फसल का नाम तो दिया नहीं है, ७ मन फी एकड़ पैदावार की बात लिखी है। मान लीजिये उसमें गन्ना ही बोया जाय जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी इशारा किया था, तो एक एकड़ खेत में गन्ने का बीज कितना पड़ता है। मेरी समझ से अगर मोटा गन्ना हो तो ज्यादा लगता है और पतला गन्ना हो तो कम लगता है। इस तरह से ३० मन से लेकर ५० मन तक गन्ने का बीज एक एकड़ में लगता है। मुझे आशा है कि राजा साहब इसकी ताईद करेंगे क्योंकि वे गन्ने के बड़े भारी काश्तकार हैं। अब सोचने की बात है कि एक एकड़ में इतना बीज लगे, इसके अलावा उसकी जोताई-बोआई में अलग से खर्च हो, खाद में और पैसा खर्च हो और एवरेज ७ मन गन्ने की पैदावार एक एकड़ में हो तो कौन ऐसा भकुआ काश्तकार होगा जो ऐसी खेती करेगा, इस तरह से तो वह तबाह हो जायगा। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा खेत जिसमें हर साल घाटा ही घाटा हो और फिर भी वह फेयर क्वालिटी का लैंड समझा जाय। किसी समझदार आदमी की समझ में यह बात नहीं आयेगी। हां, बलिया वालों की समझ में इस तरह की बात आ सकती है, इसी वजह से माननीय गेंदा सिंह जी ने उसको मूव न कर के बलिया वाले माननीय सदस्य से मूव कराया। लेकिन उनके जिले के भी एक आदमी उसमें शामिल हैं। ऐसी जमीन जिसमें सैकड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद भी हर साल घाटा हो और फिर भी वह फेयर क्वालिटी का लैंड कहा जाय, यह डेफिनिशन किसी भी माननीय सदस्य को मंजूर नहीं होगा।

आप ने इसमें केवल पैदावार की बात लिखी है। मैं उसका मतलब गन्ने से लेता हूं, कोई उसका मतलब कोदों से, कोई काकुन से और कोई धान से ले सकता है, तो कानून इस तरह से नहीं बनता है। कानून तो ऐसा होना चाहिये जिसमें सारी बातें बिलकुल साफ़ साफ़ हों। कानून ऐसा साफ़ होना चाहिये जिसमें किसी को यह कहने के लिये गुंजायश न हो कि यह गन्ने की फसल के लिये है या कोई मित्र कहें कि यह कोदों या काकुन के लिये है। कानून का मंशा बिलकुल साफ़ होना चाहिए। आपने जो यह मुहमिल तरमीम रखी है, इस तरह से कोई कानून नहीं बनता है। कानून में एक सर्टेन्टी होनी चाहिये।

हमारे राजा साहब ने इस बात का दावा किया कि वह बज्र देहाती हैं। मैं उस का दावा तो नहीं करता, लेकिन अगर वह बज्र देहाती हैं तो उस हिसाब से हम भी महाबज्र देहाती हैं और हमारा भी देहात से सम्बन्ध है। कहा गया कि दिल्ली में एक जत्था बना है और यहां भी शहर के लोगों का एक जत्था है और वह देहात के लोगों को पामाल करना चाहते हैं। मैं तो किसी ऐसे जत्थे में नहीं हूं, न ऐसा कोई जत्था है, लेकिन अगर कोई चक्की चलेगी तो सभी पर चलेगी, हम पर भी चलेगी। फिर भी हम किसी को कुचलना नहीं चाहते, लेकिन बड़े और छोटे काश्तकारों के बीच जो विषमता है उस को हम कम करना चाहते हैं, इससे ज्यादा हमारा आशय नहीं है।

राजा साहब मनकापुर भी समाजवाद में यकीन करते हैं और राजा वीरेन्द्र शाह साहब तो बहुत ज्यादा उसमें विश्वास करते हैं और उस तरफ के दूसरे बैठने वाले तो हम से भी ४ कदम आगे हैं। जब एलेक्शन आयेगा तो कहेंगे कि हम से ज्यादा कोई समाजवादी नहीं है। हम चाहते हैं कि जितनी भी विषमता कम हो जाय अच्छा है अगर पूरी मिट जाती तो और भी अच्छा था लेकिन जितनी भी मिटे ठीक है। और कोई न तात्पर्य है, और न इसमें धमकी की बात है। हम भी देहात के सम्पर्क में आते हैं, सब ने रिकन्साइल कर लिया है, जो बड़े काश्तकार हैं उन्होंने चाहे न किया हो लेकिन बाकी तमाम लोगों ने रिकन्साइल कर लिया है। देहात में भी समझदार लोग हैं वह अपने लाभ की बात समझते हैं। वह समझते हैं कि देश का कल्याण इसी में है कि जहां तक सम्भव हो विषमता मिट जाय। इन संशोधनों से हमारी स्कीम का विरोध होता है और बेसिक प्रिन्सिपल पर आघात पहुंचता है, इसलिये मैं इनकी मुखालिफत करने के लिये मजबूर हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उप खंड (ख) की पंक्ति २ में अंक "६" के स्थान पर अंक "४" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—३०,
विपक्ष में ७८।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उप-खंड (ख) की दूसरी पंक्ति में "६" के स्थान पर "८" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (ख) को निम्न प्रकार से रख दिया जाय।

"अच्छे प्रकार की भूमि का तात्पर्य उस भूमि से है जिसकी औसत उपज प्रति एकड़ प्रति वर्ष सात मन हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं:

"खंड ३ के उपखंड (ग) की पंक्ति २ में 'का' के बाद शब्द 'जो स्वयं अपने-अपने पृथक अधिकार में खातेदार न हों' निकाल दिये जायं।"

आपकी आज्ञा से, मान्यवर, मैं उपखंड (ग) पढ़ना चाहता हूं। "३ (ग) 'परिवार' का तात्पर्य इस प्रकार से है जिसमें किसी जोत के धारक का तथा उसके किसी या सभी निम्नलिखित सम्बन्धियों का, जो स्वयं अपने-अपने पृथक् अधिकार में खातेदार न हो, समावेश है"

मेरा संशोधन अगर माना जाता है तो इसका रूप इस प्रकार होगा। "३ (ग) 'परिवार' का तात्पर्य इस प्रकार से है कि उसमें किसी जोत के धारक तथा उसके किसी या सभी निम्नलिखित सम्बन्धियों का समावेश है।"

अध्यक्ष महोदय, सीलिंग एक परिवार को यूनिट मान कर के लगाये जाने का सिद्धान्त रखा गया है। लिहाजा यह देखना आवश्यक हो जाता है कि परिवार की रूप रेखा क्या हो, परिवार का यूनिट किसका बनाया जाय और परिवार सीलिंग के लगाने में उसके द्वारा प्राप्त होने वाली जमीनों में किस प्रकार से असर डालता है। परिवार सीलिंग के लिये दो तरह से प्रभाव डालता है। अव्वल तो यह कि कौन से सदस्य मिला कर के एक परिवार का यूनिट बनाया जाय कि जिनकी जमीनों को एक जगह करके उनका जोड़ निकाल कर उसके ऊपर सीलिंग लगायी जाय।

दूसरा यह कि इस यूनिट में कितने सदस्य हैं। ५ सदस्यों पर एक सीमा जो सरकार देना चाहती है वह दी जाय? और दूसरे ५ के ऊपर होने वालों में कितनी बढ़ोत्तरी की जाय। तो एक असर यह है जमीन लेने के लिये और दूसरा असर यह है कि सीलिंग के ऊपर उनको जो सुविधायें दी गई हैं इस बिल के जरिये से वह है जमीन देने का। इस तरह से परिवार का समावेश इस बिल में होता है। लेकिन मैं समझता हूं जिस तरह से परिवार की परिभाषा इस बिल में रखी गई है उसमें जमीन लेने के सम्बन्ध में जो असर पड़ना चाहिये परिवार का वह नहीं पड़ता है, बल्कि जमीन ज्यादा से ज्यादा कितनी मिल सकती है परिवार को, उसी तरह से असर पड़ता है। जो परिभाषा सरकार द्वारा रखी गयी है उस का मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक खातेदार जिसके नाम भी कोई जमीन लिखी हुई हो वह एक अलग परिवार है। और कोई भी दो खातेदार जिनके नाम जमीनें हैं वे इस परिभाषा में एक में नहीं मिल सकते।

[श्री भीखालाल]

अध्यक्ष महोदय, परिवार की लड़ी में बहुत से आदमी जोड़ दिये गये हैं जैसे पति, पत्नी, माता, पिता, लड़के, लड़कियां और विधवा बहुएं इत्यादि । लेकिन इसके नाम से अगर अलग जमीन दर्ज है तो वह अलग परिवार है, उनका एक जगह कहीं समावेश नहीं होता । खंड ४ में सीलिंग लगाने का जो प्राविजन है उसका इससे बिलकुल विरोधाभास होता है। खंड ४ (१) में पढ़ देना चाहता हूं :—

"इस अधिनियम क उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी खातेदार क प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र की गणना राज्य में उस की जोत की समस्त भूमि पर विचार कर के की जायगी, चाहे वह भूमि उसके पास उसके ही नाम से हो या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से।"

यहां पर चाहे वह जमीन उस व्यक्ति के नाम से हो या उस के परिवार के किसी सदस्य के नाम से हो उन दोनों को मिला कर सीमा लग जायगी। लेकिन खंड ३ में जो परिभाषा रखी गयी है क्या उसमें कहीं पर एक परिवार में दो सदस्यों की जमीन जोड़ कर सीमा लग सकती है? इस परिभाषा के मुताबिक हर खातेदार को एक अलग परिवार माना गया है और इसके जरिये जो आधार हैकि एक फेमिली पर सीलिंग लगाई जा रही है उससे हट कर एक खातेदार पर सीलिंग लगाई जायगी।

श्रीमन्, मेरा जो संशोधन है उससे मतलब यह निकलता है कि जो लोग परिवार में शामिल किये गये हैं उनके नाम जितनी जमीनें हैं उनको सबको एक जगह इकट्ठा करके टोटल पर सीलिंग लगाई जाय और जितनी फाजिल जमीन हो वह सरकारी जमीन समझी जाय। यह जो परिवार की परिभाषा रखी गयी है वह महज जमीन लेने के लिये नहीं रखी गयी है बल्कि इसलिये रखी गयी है कि जमीन लोगों को कितनी ज्यादा से ज्यादा मिले वर्ना एक परिवार में इतने ज्यादा आदमियों को रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि यह जो परिभाषा इसमें रखी गयी है यह इस बिल के उद्देश्यों को खत्म करती है ।

प्लानिंग कमीशन की बात कही गयी। अभी-अभी जब दूसरे उपखंड पर विचार हो रहा था तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने तो प्लानिंग कमीशन की बात मान कर यह सब रखा है। लेकिन मैं देखता हूं कि जहां तक प्लानिंग कमीशन का सवाल है प्लानिंग कमीशन ने परिवार की परिभाषा कभी इस प्रकार से नहीं की है जैसी कि मंत्री जी ने इस बिल में समावेश की है। प्लानिंग कमीशन की लैन्ड रिफार्म्स पैनल की सिफारिश है कि परिवार क्या होना चाहिये उसे मैं पढ़ देना चाहता हूं जो पृष्ठ १०३ पर है—

"For this purpose a family should be deemed to consist of husband, wife, dependant son and daughter and grand-daughter.

सीलिंग के लिये फैमिली क्या होना चाहिये—"पति, पत्नी, आश्रित बच्चे और नातिन तथा पोती।" इसमें कहीं पर यह नहीं लिखा है कि अगर इन लोगों के नाम अलग अलग जमीनें हों तो वे अलग फेमिली बन जायंगे। इसमें उन्होंने सिफारिश की है कि उनकी जमीनें इकट्ठा कर के उनके जोड़ पर सीलिंग लगाना चाहिये।

दूसरी तरफ इस सरकार ने भी अपने कुछ सिद्धान्त माने हैं, वक्तन फवक्तन और इस मौके पर वह उन सिद्धान्तों को मानने के लिये तैयार नहीं हैं। एक विधेयक जो इस सदन के जरिये पास हो चुका है "लार्ज लैंड होल्डिंग्स टैक्स ऐक्ट" उसमें भी वही सिद्धान्त निहित हैं जो कि सीलिंग में निहित हैं। उसमें अन्तर सिर्फ यह है कि वहां पर टैक्स लिया जाता है उस विधेयक के जरिये से, लेकिन इस बिल के जरिये से जमीनें लेने का सवाल है। सिद्धांत एक है। वहां पर फैमिली को यूनिट मान कर उसकी परिभाषा की गयी है और उस फैमिली के मातहत जितनी जमीनें आती हैं उनको इकट्ठा करके यह टैक्स लगाया गया है । इस

विधेयक में जो फैमिली की परिभाषा सरकार ने की है और जिसे इस माननीय सदन ने पास किया है इसको भी मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं—

"For the purposes of this section a family shall include mother, wife, unmarried daughter or son's daughter or son's son, or son's son's son, son's wife or son's son's wife."

इसका मतलब हुआ कि एक परिवार में मां, बीवी, बगैर शादी शुदा लड़कियां और लड़कों की लड़कियां। उसके बाद लड़के और पोते और पर पोते। इसी तरह से लड़कों की बीबियां और पोतों की बीबियां। ये सब मिला कर एक फैमिली को कांस्टीट्यूट करते हैं इस ऐक्ट के मातहत। मैं नहीं समझ पाया कि सरकार का जब एक सिद्धांत है तो यहां फैमिली के बारे में उसका सिद्धांत क्यों बदल गया। मैं तो सिर्फ यही समझता हूं कि सरकार की यह एक उदार नीति है।

सरकार यह विधेयक ला कर कहती है कि हम समाजवाद की ओर जा रहे हैं जिसकी घोषणा हम कर चुके हैं। बड़े जोर से घोषणा की जाती है कि हम तो विषमता दूर करना चाहते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इस विधेयक के जरिये विषमता को दूर करने के बजाय क्या सरकार किसानों के बीच में एक प्रिविलेज्ड क्लास नहीं पैदा करना चाहती है जिसको कुछ विशेष सुविधायें दी जायं और दूसरी तरफ एक ऐसा क्लास हो जिसको खाने तक का सहारा न हो? मुझे राजा साहब से कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने कहा कि भीखालाल ऐसी बातों को मानते हैं जिनका मैं कभी समर्थन नहीं कर सकता। ठीक है, वह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो समाज में एक फी सदी से भी कम हैं। वह चाहते हैं कि उस एक फीसदी से भी कम लोगों का एक प्रिविलेज्ड क्लास बना दिया जाय। प्लानिंग कमीशन कहता है कि ३,६०० रुपये सालाना की आमदनी होनी चाहिये लेकिन राजा साहब कहते हैं कि ५,००० रुपये सालाना की आमदनी होनी चाहिये। मगर हम तो उन ६० फीसदी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनको दो वक्त रोटी का भी सहारा नहीं है। हमें दुख तो यह है कि हमारी सरकार न उन एक फीसदी वाले लोगों की तरफ खुल कर जाना चाहती है---चुपके चुपके तो उनकी मदद करती है---और न ६० फी सदी लोगों की तरफ ही आती है। मैं तो कहता हूं कि अगर आप राजा साहब के कुल संशोधन मान लें तो हमें मालूम हो जाय कि आप हैं कहां और इस प्रदेश की जनता भी समझ जाय कि आप एक फीसदी लोगों की हिमायत करते हैं या उन ६०–७० फी सदी लोगों की हिमायत करते हैं जिनको आज खाने का भी सहारा नहीं है।

एक तरफ तो आप कहते हैं कि जो जमीनें हासिल होंगी वह ३ १/८ एकड़ के हिसाब से भूमि हीनों को देंगे और दूसरी तरफ आप १४२ एकड़ लोगों को दे रहे हैं। क्या यही आपके समाजवाद का लक्ष्य है। मैं तो बड़े अदब से आपके जरिये सरकार से निवेदन करूंगा कि इस किस्म के थोथे बिल ला कर, इस प्रकार की बातें करके कृपा करके समाजवादको बदनाम न करें।

श्री हुकुम सिंह विसेन---मैं "धोखे" के लफ्ज पर प्रोटेस्ट करता हूं।

श्री भीखालाल---अगर कोई ऐसा लफ्ज निकल गया हो तो मैं उसको वापस लेता हूं, लेकिन मैंने धोखे नहीं कहा था, थोथे बिल कहा था कि ऐसे थोथे बिल ला कर और ऐसी बातें करके समाजवाद का नारा लगाने से पूरे देश की जनता और प्रदेश की जनता की समाजवाद पर से आस्था उठ जायगी और जनता उसका विश्वास नहीं करेगी और समाजवाद बदनाम हो जायगा। इसलिये मैं कहता हूं कि आप नहीं करना चाहते हैं और गरीबों को जमीन नहीं देना चाहते हैं तो खुलकर कहिये। आप उद्देश्य तो मानते हैं लेकिन उसकी पूर्ति करना नहीं चाहते हैं। अगर आप खुलकर राजा साहब के साथ आ जांय और कह दें तो हमें आप से कोई शिकायत नहीं होगी। मैं नहीं समझता कि किस तरह से आप विषमता को दूर कर रहे हैं, समाजवाद की प्रगति कर रहे हैं

[श्री भीखालाल]

या गरीबों को साधन दे रहे हैं जिनकी मांग हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन १५ साल से कर रहा है। मैंने अपना संशोधन इसलिये रखा है कि परिवार की परिभाषा ऐसी की जाय जिसको हमारा समाज भी मानता हो और कानूनी शिकंजे में पड़ने की कोशिश न की जाय।

माननीय मंत्री जी ने कहा था कि वह इस परिभाषा के जरिये स्त्री और पुरुष के दो परिवार बनाने जा रहे हैं। यह भी एक परिवार के अंग नहीं रह जायेंगे। इसमें मंत्री जी ने दिक्कत यह बताई कि अगर कोई स्त्री धन है तो उसको पति के साथ कैसे मिला सकते हैं हम मानते हैं और अगर कोई ऐसी रुकावट हो तो उसमें आप एक्जेम्पशन कर सकते हैं। लेकिन स्त्री धन के नाम पर सभी के दो परिवार बना देना कहां तक न्यायसंगत है। क्या माननीय मंत्री जी को और उनके साथ बैठने वाले लोगों को मालूम नहीं है कि जब से सीलिंग की चर्चा चली है, कुमारप्पा की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, प्लानिंग कमीशन के सामने सवाल आया है और नागपुर में प्रस्ताव पास हुआ तब से परिवारों में बंटवारा हुआ है और स्त्री बच्चे तथा लड़कों के नाम पर जमीन के टुकड़े-टुकड़े कर दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में स्त्री धन पर छूट देना ठीक नहीं होगा। यह कोई ऐसी दलील नहीं है जिसके बल पर सरकार यह चीज रखने जा रही है। मैं समझता हूं कि इस तरह के प्राविधान के रखने से जो जमीन मिलने वाली है वह भी नहीं मिलेगी, भूमिहीन को जो फायदा पहुंचना चाहिये वह नहीं पहुंचने वाला है। यह आवाज मेरी ही नहीं है बल्कि उस तरफ के लोगों की भी है।

कल मैंने देखा कि जो संशोधन माननीय वैद्य जी ने रखा था वह उपयुक्त हो या न हो, लेकिन उससे जो भावना निकलती थी वह यह थी कि बड़े-बड़े किसानों को ४० एकड़ से ज्यादा जमीन न मिलने पाये। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आज उनके दल में खलबली नहीं है कि इस बिल के जरिये ज्यादा से ज्यादा जमीन बड़े किसानों को आप देना चाहते हैं? आप अपने स्थान के बल पर भूमिहीन किसानों की आवाज को रोक लें, लेकिन उनकी भावना को नहीं दबा सकते हैं। वह किसी न किसी रूप में सामने जरूर आ जायगी। इसलिये इस विधेयक में इस किस्म के प्राविधान निरर्थक हैं। इससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। इसीलिये आपके दल के लोगों की तरफ से ऐसे संशोधन आते हैं जिन से मालूम होता है जमीन लोग ज्यादा ले रहे हैं, उसको घटाया जाय और आपके दल में असंतोष है। इसलिये मैंने ऐसी परिभाषा रखी है जो खंड ३ के उपखंड (ग) में सूची दी है, उनके नाम से जितनी जमीन है उसको इकट्ठा करके तब सीलिंग फिक्स की जाय। मेरी मंशा है कि जो भूमिहीनों की आवाज उठाते हैं, जो चाहते हैं कि गरीबों को रोटी का साधन हो, जो समाजवाद का नारा लगाते हैं, जो विषमता को दूर करना चाहते हैं वह गम्भीरता से और ठंडे दिल से इसको सोचने की कृपा करेंगे तो देखेंगे कि हमने जो संशोधन रखा है वह उचित है और न्यायसंगत है। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप लोग मेरी बात को गम्भीरता के साथ सोचेंगे और इस संशोधन को मानने की कृपा करेंगे।

(इस समय १२ बजकर ५६ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री लक्ष्मी नारायण बंसल, पीठासीन हुये।)

श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--मान्यवर, मैं इस संशोधन के विरोध में खड़ा हुआ हूं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--एक सेकेंड में मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऐसा तय हो गया था कि अमेंडमेंट सब रख दिये जायेंगे, उसके बाद बहस होगी। अगर ऐसा होता तो अच्छा होता।

श्री अधिष्ठाता--मुझे इस बात का पता नहीं है कि ऐसा तय हुआ है, लेकिन अगर सदन चाहे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह--मेरे बोलने के बाद ले लिया जाय।

मान्यवर, इन समाजवाद के पुजारियों का उद्देश्य मैं सुनता रहा। मेरे मित्र माननीय गेंदा सिंह कल उपदेश कर रहे थे। आज माननीय भीखालाल जी ने जो संशोधन रखा है यदि कोई उसका समर्थन करना चाहे तो नहीं कर सकता है। मैं आपके द्वारा उनसे कहना चाहता हूं कि जिस लार्ज होल्डिंग टैक्स के अधिनियम की पंक्तियां वह पढ़ रहे थे, अगर उन्होंने उसको विधिवत पढ़ा होता तो यह शंकायें उनके दिमाग में न आतीं।

(इस समय १२ बजकर ५८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, पीठासीन हुये।)

उस कानून में महज इस बात की जिम्मेदारी थी कि जिस के ऊपर टैक्स लगाया जाता हो, वह साबित कर दे कि जो प्रबन्ध है वह पृथक् है। जिस समय यह प्रमाणित कर दिया जाता था कि प्रबन्ध पृथक है उस समय उस परिवार में उसकी गणना नहीं होती थी और उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था बल्कि उसकी एक सेपेरेट एंटिटी मान कर चलते थे।

दूसरी चीज वह प्लानिंग कमीशन के बारे में फरमा रहे थे। एक गलतफहमी मैं उनकी दूर कर चुका। दूसरी गलतफहमी उनको यह है--यदि बहस के लिये मैं इसको स्वीकार कर लूं कि उनका संशोधन सदन स्वीकार करे तो उसका परिणाम क्या होता है? उसके मानी यह होंगे कि कोई भी पुत्र जो बालिग है, अपने पिता से अगर दस पंद्रह साल से अलग है, उसकी भी जमीन सीलिंग एरिया में आती है। अगर यह समझा जाय कि प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट से अधिक इसमें पाबन्दी की गयी और पिता माता भी इसमें बढ़ा दिये गये हैं। इसलिये जिस तरह से उनका संशोधन है अगर वह मान लिया जाय तो न आश्रित पिता, न आश्रित माता, न पुत्र न पुत्र का पुत्र, न पुत्री, न पृथक हुए पुत्र की पुत्री, जब तक वह अविवाहित रहे यानी उनके कहने के मानी यह होंगे, चाहे वह पत्नी अलग रहती हो, चाहे उस पत्नी को हिन्दू ला, परसनल ला के अनुसार वह स्त्री धन हो, लेकिन वह भी जमीन वह चाहते हैं कि सीलिंग के अन्तर्गत शुमार की जाय। मैं श्रीमन्, यही तो कह रहा था कि माननीय गेंदा सिंह जी ऐसे समाजवादी भी जब मानसिक सन्तुलन खो बैठते हैं इस सीलिंग विधेयक पर तो मुझे दुख होता है, जब वह सात मन गन्ना पैदा होने का या सात मन गल्ला पैदा होने का संशोधन रखते हैं यह न समझते हुए कि उसका परिणाम क्या होगा।

हमारे एक दूसरे माननीय दोस्त एक संशोधन ला रहे हैं जिसका नतीजा समझने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। क्या मैं समझूं कि चाहे वह बालिग लड़का हो, चाहे ५० साल से अलग हो, चाहे एक स्त्री जो स्त्री-सम्पत्ति के रूप में खातेदार हो, ऐसे भी खातों को वह चाहते हैं कि सीलिंग में शुमार किया जाय? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह हिन्दू ला और परसनल ला आज इस सीलिंग के लिये ताक पर रख दिया जायगा? यह न भूलिये कि हर कानून की एक सीमा होनी चाहिये और वह जैसा कि चाहते हैं कि सचमुच सीलिंग लगे तो ऐसी चीज वह न उछालें जिससे कि यह पूरा विधेयक अवैध घोषित हो जाय या वह ऐसा संशोधन न लायें जिसके कि कोई माने न हों। क्लाज ४ के बारे में भी वह कहते हैं, लेकिन वह भूल जाते हैं कि क्लाज ४ उस समय आपरेटिव होता है जबकि क्लाज ३ अपनी जगह पर उस पर लागू न होता हो। उनका यह कहना कि आज कांग्रेस सरकार ने गठबन्धन कर लिया है इन लोगों के साथ जो कि इस तरह बैठे हैं, ठीक है, मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र पार्टी का कोई सदस्य नहीं हूं। मैं अपनी जगह पर यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने इस कौम के ऊपर जो ज्यादती की है वह कहने की जरूरत नहीं है। केरल में सरकार में रहने पर भी जो यह नहीं कर सके, नम्बूद्रीपाद ने भी अपने को एजूकेशन बिल में उलझाया और ऐग्रेरियन रिफार्म की तरफ भूलकर भी नहीं गये, तो नम्बूद्रीपाद में और हममें कोई अन्तर नहीं है। अगर कोई अन्तर है तो सिर्फ यह कि एक समाजवाद का ढोल पीट रहा है और दूसरा नहीं।

वह बेवफाई की बात भी करते हैं कि बड़े किसान छोटे किसानों को भुला न दें। वह भी पैदा कर रहे हैं और यह भी पैदा कर रहे हैं। तो वह भी बेवफाई न करें क्योंकि बुढ़ापे में बेवफाई बड़ी हानिकारक होती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया गया।

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

तो इन शब्दों में मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि कानून अपनी जगह पर कानून होता है। कानून स्पष्ट होना चाहिये और वह होना चाहिये जो कि सबके हित में हो। कानून कोई भावनाओं का समूह नहीं है। भावुकता का कोई स्थान कानून में नहीं होना चाहिये। यह भावुकता कि रूस में क्या हो रहा है, चीन में क्या हो रहा है, मैं कहता हूं कि रूस और चीन में वह चाहें तो अपने यहां सात पुश्त पहले और सात पुश्त बाद में मान लें। जो पैदा नहीं हुआ है उसको भी शुमार कर लें और जो मर चुके हैं उनको भी शुमार कर लें। लेकिन किसी परिवार में किसी को शुमार करने के लिये एक आधार होना चाहिये। यह कोई ऐडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर नहीं है, जूडिशियल प्रोसीडिंग है जहां यह देखना होगा कि यह वैध है या नहीं माननीय माल मंत्री महोदय अपनी जगह पर जवाब तो दे देंगे, लेकिन वह कभी-कभी हमको समझाने की कोशिश करते हैं। तो हम तो नहीं समझ सकते हैं। लेकिन यदि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान दें तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह हम लोगों को समझाने के पूर्व अपने पुराने साथियों को समझाने का प्रयास करें जो किसी समय उनके साथ रह चुके हैं तो ज्यादा समझा सकते हैं क्योंकि वे ज्यादा हथकंडे और पैंतरे जानते हैं। किसी स्वार्थ की सिद्धि न होने के कारण वह दूसरी जगह जा बैठे हैं। उनको समझायें। हमारी समझ में नहीं आयेगा और न आया है। लोग हमसे शिकायत करते हैं और हम मंत्री जी से शिकायत करते हैं। मैं जरूर चाहता हूं कि इस विधेयक पर विवाद ऊंचे स्तर पर हो लेकिन जो संशोधन ला रहे हैं उसका अभिप्राय क्या है? अगर इस प्रकार के संशोधन इस विधेयक के लिये मंजूर हो जायं तो यह विधेयक हाईकोर्ट में एक घंटे के लिये भी नहीं टिक सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री मदनमोहन का नाम पुकारने पर)

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह---अधिष्ठाता महोदय, अध्यक्ष महोदय ने यह तय किया था कि खंड ३ के उपखंड (ग) पर सभी संशोधन ले लिये जायं तो उसके बाद विवाद होगा। उन्होंने यह फैसला किया था कि ऐसा किया जायगा।

श्री अधिष्ठाता---उसको देखा गया। उसमें कुछ घपला हो जायगा। अभी इस भोखालाल जी के संशोधन पर फैसला हो जाय तो बाद को देखा जायगा।

श्री मदनमोहन (जिला फैजाबाद)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस तरीके से माननीय भोखालाल ने अपना संशोधन इस सदन के समक्ष रखा है उससे कुछ भ्रम यहां अवश्य उपस्थित हो सकता है कि इस विधेयक में किसी विशेष समुदाय और विशेष कर वह समुदाय जिसके पास भूमि अधिक है, उसके संरक्षण के लिये प्रयत्न किया गया है। जिस तरीके से उन्होंने रखा है उससे यह बात इस विधेयक से जरूर झलकती है। परन्तु, श्रीमन्, हर एक चीज को उसकी सही पृष्ठभूमि में आंकना चाहिये। इस विधेयक का क्या मन्तव्य है पहले हम यह तय कर लें। विधेयक का मन्तव्य यह है कि जिस खातेदार के पास एक सीमा से अधिक भूमि हो उस खातेदार से उस सीमा से अधिक भूमि ले ली जाय। अधिकतम जोत का निर्धारण करके उस निर्धारण की सीमा के अतिरिक्त अगर उसके पास भूमि है तो वह ले ली जाय। यही इसका उद्देश्य है।

माननीय भोखालाल जी कृपया इस बात को ध्यान में रखें कि एक सीमा से अधिक जो भूमि होगी किसी भी खातेदार के पास वह अधिक भूमि उससे ले ली जायगी। यह इस कानून का मन्तव्य है। क्या हम इस कानून के अन्दर ऐसी शर्तें या ऐसे उपबन्ध रख सकते हैं कि जिससे किसी खातेदार की भमि उससे बिलकुल छिन जाय? प्रश्न यह है कि इस अधिकतम जोत विधेयक में क्या कोई ऐसा प्राविधान या कोई ऐसा उपबन्ध हो सकता है कि जिसके द्वारा एक खातेदार से सारी उसकी भूमि छिन जाय? अगर यह मंतव्य नहीं है तो फिर हमें यह सोचना पड़ेगा कि इस संशोधन के अधीन जो उपबन्ध इस कानून में है, वह ठीक है या गलत।

माननीय भीखालाल जी इस बात को मानेंगे कि हिन्दू ला में, हिन्दू शास्त्रों के अनुरूप अगर एक परिवार है और संयुक्त परिवार है, अविभाजित परिवार है तो भी निश्चित रूप से यह स्वीकार कर लिया गया है कि प्रत्येक सदस्य सब परिवार का अलग-अलग अपने अधिकार से संपत्ति प्राप्त कर सकता है । यह कानून नहीं है कि संयुक्त परिवार का कोई भी व्यक्ति उस परिवार में रहते हुये अपनी मेहनत से, अपने अधिकार से संपत्ति प्राप्त नहीं कर सकता हमेशा हमारे हिन्दू ला के इतिहास में यह स्वीकार किया गया है कि जिस व्यक्ति ने हिन्दू परिवार के साधन से कोई संपत्ति उपलब्ध न की हो अपितु अपने परिश्रम से अपने अधिकार से उसने कोई भूमि या संपत्ति प्राप्त कर ली हो तो वह संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं समझी जायगी और यह बात निर्विवाद है ।

अब एक दूसरा सिद्धांत मैं और निवेदन करूं । श्रीमन्, अवध रेंट ऐक्ट के अन्तर्गत और यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट के अन्तर्गत भी यह स्वीकार किया गया है कि "काश्तकारी इज दि आफ स्प्रिंग आफ कांट्रैक्ट",कोई भी व्यक्ति मालिक से मुआइहदा करके और भूमि प्राप्त कर सकता है। मैं माननीय भीखालाल जी का ध्यान धारा ३८, यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें निश्चित रूप से यह उपबन्धित है कि कोई भी व्यक्ति यद्यपि वह संयुक्त परिवार का सदस्य क्यों न हो, चाहे वह किसी के साथ क्यों न रह रहा हो, तो भी जो काश्तकारी उसने जमींदार से या मालिक जमीन से प्राप्त की है यह काश्तकारी उसकी समझी जायगी, संयुक्त काश्तकारी नहीं समझी जायगी । यह निश्चित मत है बोर्ड आफ रेवेन्यू का और हाईकोर्ट का, और कानून का । तो अब प्रश्न यह पैदा होता है कि अगर संयुक्त परिवार में किसी एक के नाम से कोई खाता है तो उसके माने क्या यह लगायें जायेंगे कि वह परिवार का खाता है ? मैं भीखालाल जी से पूछता हूं कि क्या कोई ऐसा कानून है जिसके द्वारा आप यह कह सकें कि परिवार के किसी व्यक्ति के नाम खाता होने पर यह अनुमान किया जायगा कि वह खाता उसका व्यक्तिगत नहीं है अपितु वह परिवार का है ? अगर इस प्रकार का कानून नहीं है तो फिर जो प्रश्न सामने आता है वह यह कि अगर हमारा मंतव्य इस विधेयक द्वारा यह है कि हम किसी खातेदार के पास अवधारित सीमा से अधिक भूमि न रहने दें तो फिर कैसे माननीय भीखालाल जी कह सकते हैं कि एक परिवार में विभिन्न व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति जिन के नाम अलग-अलग खाते हैं उन की भूमि भी एक में कर ली जाय और परिवार की भूमि मानी जाय ।

श्रीमन्, किस न्याय से, किस कानून से वे ऐसा कहते हैं ? अगर उनकी बात मान ली जाय तो उसका क्या परिणाम होगा ? क्या इस पर भी माननीय सदस्य ने विचार किया है ? इस का परिणाम यह होगा कि फिर इस विधेयक का मन्तव्य केवल अधिकतम जोत की सीमा निर्धारित करना न होगा बल्कि यह होगा कि एक परिवार में अगर ४ व्यक्ति हैं और ४ व्यक्ति अपने-अपने अधिकार से खाते प्राप्त किये हुये हैं तो उनके अधिकार हम खतम कर देंगे और उनको एक संयुक्त जायदाद मान करके हम उसे ले लेंगे । शब्द इसमें बिलकुल साफ है कि खाता अगर किसी व्यक्ति के नाम है तो वह ऐसा खाता होना चाहिये जो स्वयं उसके पृथक् अधिकार में उसका खाता हो । अगर माननीय भीखालाल जी की बात मान ली जाय तो उसका मतलब यह होगा कि पृथक् अधिकार होते हुये भी उस अधिकार को आप समाप्त कर देंगे । केवल इस आधार पर कि वर्तमान उपलब्धों से एक परिवार में आप अनेक परिवार कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी यह बहस हिन्दू ला के संबंध में भी की? एक संयुक्त अविभाजित परिवार में कोई व्यक्ति व्यक्तिगत सम्पत्ति प्राप्त कर लेता है तो क्या वह परिवार का सदस्य नहीं रहता है ? वह परिवार का सदस्य रहते हुये भी अपना अधिकार पृथक् रखता है । तो मेरा यह निवेदन है कि यह जो हमारा कानून है वह उसके अनुरूप ही है । जो बात माननीय भीखालाल जी कहते हैं वह इस विधेयक के मन्तव्य के प्रतिकूल है । वह इसके परे है । इस वजह से हम इस संशोधन को कैसे स्वीकार कर सकते हैं ।

माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने जो कहा वह भी ठीक है, हालांकि उसके लिये भी स्पष्टीकरण इसमें साफ दिया हुआ है कि यदि २० अगस्त, १९५९ के पहले कोई अदालत के

[श्री मदन मोहन]

जरिये से या समझौते से या अन्य किसी तरीके से पृथक्कीकरण हो चुका है तो उसको हम पृथक् मानेंगे । यह इसमें साफ दिया हुआ है ।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि यह स्पष्टीकरण निहायत आवश्यक था । श्रीमन्, मैं कल तक वकालत करता रहा और शायद आज भी कर रहा हूं, वृहत जोत कर में बड़ी परेशानियां हुईं और यह परेशानियां सामने आयीं कि लड़के की जोत अलग रहते हुये भी पिता की जोत में शामिल कर लिया गया और बहुत बढ़ा चढ़ाकर कर लगाया गया और अंत में बोर्ड आफ रेवेन्यू से यह निश्चय हुआ कि अगर यह सिद्ध हो जाता है कि लड़का अपने पृथक् अधिकार से किसी खाते पर काबिज है तो उसकी जोत उसके बाप के जोत में शामिल नहीं की जायगी । बीबी की जोत अपने शौहर के खाते में शामिल नहीं की जायगी । श्रीमन्, यह सिद्धान्त है ।

इसलिये यह कहना चाहता हूं कि जो हमारी पृष्ठभूमि है, जो हमारा कानून का इतिहास है उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिये । हमारा इतिहास यह है कि संयुक्त परिवार के आदमी पृथक् सम्पत्ति प्राप्त कर सकते हैं । टेनेन्सी ऐक्ट में भी है कि बाप और बेटे अलग खाते प्राप्त कर सकते हैं और वह संयुक्त नहीं माने जायेंगे ।

अगर हमारा हाईकोर्ट, बोर्ड आफ रेवेन्यू यह निश्चय कर देता है तो, श्रीमन्, कोई कारण नहीं मालूम देता कि हम इस संशोधन को क्यों स्वीकार करें । मेरा निवेदन यह है कि कानून की दृष्टि से प्रचार चाहे जो कुछ हो, जो आपकी भावनायें हैं और जिस रूप से आप समाज का गठन करना चाहते हैं वह जो कुछ हो लेकिन इस विधेयक में उसका स्थान नहीं है जो हमारे भीखालाल जी चाहते हैं ।

*श्री भजनलाल (जिला इटावा)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, भीखालाल जी ने जो संशोधन पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । वैसे यह जो अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक पेश किया गया है जिसका खास मंशा यह था कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को जिन्हें भूमि वितरण की जायगी, मैं आपके द्वारा यह बतला देना चाहता हूं कि इस बिल में जो पारिवारिक भाषा दी गई है उससे स्पष्ट जाहिर है कि किसी भी हालत में इस बिल के द्वारा एक इंच भी जमीन बचने वाली नहीं है जिसको हम खेतिहर मजदूरों में बांट सकते हों । क्योंकि इसमें लिखा हुआ है "पत्नी या पति, जैसी भी दशा हो" । यदि पत्नी पति से अलग है, उसने चाहा कि पति की जमीन से अपना हिस्सा निकाल लूं क्योंकि आपस में नहीं बनती तो इस आधार पर उसको ४० एकड़ जमीन रखने का अधिकार है । दूसरा आश्रित पिता । अगर आश्रित पिता आश्रित नहीं है तो उसको भी ४० एकड़ जमीन रखने का अधिकार है । इसी तरह आश्रित माता अगर आश्रित नहीं है तो उसको भी ४० करोड़ एकड़ जमीन रखने का अधिकार है । पुत्री अगर वह अविवाहिता है तो उसको भी यही अधिकार है । पुत्र, यदि वह पृथक हो गया है परिवार से तो वह भी ४० एकड़ रख सकता है । पुत्री का पुत्र, नाती उसको भी ४० एकड़ रखने का अधिकार है, २० अगस्त, १९५९ का जो कानून लागू होने जा रहा है पारिवारिक समझौते के आधार पर। तो इसके सिलसिले में मैं बतला देना चाहता हूं कि इस तरफ के जो हमारे महाराजा साहब माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी हैं और उस तरफ जो सदस्य बैठें हैं, दोनों ग्रुप मिल करके. . . .

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह महाराजा साहब कौन हैं, यह समझ में नहीं आया ?

श्री अधिष्ठाता---मैं भी टोकने वाला था ।

श्री भजन लाल---मेरा मतलब अवधेश प्रताप सिंह जी से है। तो इस तरीके से जमीन को खींच करके परिवारिक परिभाषा के अन्दर इतना कर दिया है कि जिससे जमीन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिये हरगिज मिलने वाली नहीं है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जिस समय यह बिल आने वाला था, फरवरी, १९५९ में, जब बजट अधिवेशन चलने वाला था, कहीं अच्छा होता कि हमारे मंत्री महोदय उस अधिवेशन में यह सूचना दे देते कि अधिक जोत सीमा विधेयक जुलाई के अधिवेशन में आने वाला है, लेकिन जिस समय अधिवेशन चला उस समय सूचित किया गया कि इस अधिवेशन में अधिकतम जोत सीमा आरोपण बिल आ रहा है और १५ अगस्त तिथि रख दी गयी थी कि उसको वह लागू होगा। उसका मतलब यह हुआ कि जितने भी बड़े बड़े राजे महाराजे और बड़े बड़े ताल्लुकेदारों के पास जितनी अधिक जमीन थी उसको अपने पारिवारिक समझौते के आधार पर न्यायालयों के जरिये उन्होंने अपने पुत्र, पुत्री, पतोह, सब के नाम अलग अलग बटवारा कर दिया। यानी ५०० या एक हजार एकड़ के जितने भी फार्म थे उनको विभिन्न तरीके से आपस में ही बांट लिया। कहीं अच्छा होता कि १५ अगस्त, न रख कर जिस समय से अधिवेशन प्रारम्भ होने जा रहा था जुलाई में उसकी पहली तारीख निश्चित कर देते जिससे अन्य लोगों को बहुत ज्यादा जमीन बचाने का मौका नहीं मिलता।

श्रीमन्, इस बिल में लिखा हुआ है कि जो जमीन बचेगी उसको सार्वजनिक प्रयोजन में दिया जायगा। मैं बतला देना चाहता हूं कि इस विधेयक के लागू होने के बाद जो जमीन बचेगी वह खेतिहर मजदूरों को न मिलकर सहकारी योजना खेती के अन्तर्गत बांटी जायगी जिसमें एक एकड़ से तीन एकड़ तक के किसानों को सम्मिलित किया जायगा। मेरी समझ में नहीं आता कि जब ५१ की गणना के अनुसार यह मालूम हो गया कि अगर ३० एकड़ से ऊपर के काश्तकारों की जमीन जब्त कर ली जाय तो ३१ लाख पांच सौ एकड़ के करीब जमीन बचेगी, तो खेतिहर मजदूरों को कहां से जमीन मिलेगी ? मैं बतला देना चाहता हूं कि सार्वजनिक प्रयोजन में ही सारी जमीन खप जायगी और एक इंच भी भूमि नहीं बचेगी। इसलिये भीखालाल जी का जो संशोधन आया है मैं उसका समर्थन करता हूं। पारिवारिक परिभाषा जो हो उसमें एक परिवार में चाहे कितने ही व्यक्ति क्यों न हों उनके लिये एक ही सीमा हो। मूल विधेयक में यह था कि ५ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से एक परिवार को ४० एकड़ जमीन मिलेगी, लेकिन प्रवर समिति में उसको ६ रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है। ६ रुपये प्रति एकड़ सर्किल रेट से जो कम की जमीन होगी वह ४० ड्योढ़े ६० एकड़ हो जायगी। इसी प्रकार ३ रुपये प्रति एकड़ वाली जमीन ४० दूने ८० एकड़ हो जायगी। इसके अलावा एक परिवार में प्रति यूनिट ८ एकड़ और बढ़ेगी तो उससे १२८ एकड़ तक हो जायगी। इस तरह से इस बिल में एक व्यक्ति को १२८ एकड़ भूमि रखने का अधिकार दे दिया गया है।

मैं जानना चाहता हूं कि इस विधेयक को लाकर मंत्री जी कितनी जमीन बचा लेंगे जोकि खेतिहर मजदूरों को देंगे। इसके अतिरिक्त एक मई, १९५९ के पहले जिस जमीन पर बाग लगा दी गई वह जमीन भी इस सीमा से छूट जायगी, वह भी जब्त नहीं होगी। उसका नतीजा यह होगा कि यहां पर जो बड़े-बड़े राजा महाराजा बैठे हुये हैं. . . .

श्री अधिष्ठाता—मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूं कि यहां पर कोई महाराजा नहीं है।

श्री भजनलाल—स्वतंत्र पार्टी के जो लोग हैं वह बड़े लोग हैं, उन्हीं के लिये मैं कहना चाहता था। तो मैं यह कह रहा था कि १ मई, १९५९ के पहले यहीं लखनऊ के मलिहाबाद से लाखों कलमें लेकर हजारों एकड़ जमीन में लगा दी गईं। उनको मालूम हो गया कि अगर बाग नहीं लगी तो जमीन जब्त हो जायगी। तो इस तरह से जो बचने वाली भी जमीन थी उसको उन लोगों ने हड़प लिया। इतने बागात लगा दिये गये हैं, लेकिन इनका कोई लगान या टैक्स नहीं बांधा गया है। जो बागात लगाये गये हैं और जिनमें नीबू, आम और संतरा आदि की अधिक आमदनी वाली फसलें होती हैं, उन पर अधिक टैक्स लगाया जाना चाहिये।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह—श्रीमन्, मेरा एक वैधानिक प्रश्न है। आप संशोधन पर बोल रहें हैं या बागात पर बोल रहें हैं ?

श्री भजन लाल—इसी संशोधन के आधार पर यह जमीन आ जाती है। कहने का मतलब यह है कि जमीन को हड़प करने के अनेक तरीके निकाल दिये गये हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि पारिवारिक परिभाषा पृथक-पृथक न करें। हमारी सोशलिस्ट पार्टी का दृष्टिकोण तो यह है कि एक व्यक्ति एक हल से जितनी जमीन जोतता है उसकी तीन गुनी यानी ३० एकड़ से ज्यादा किसी को जमीन न दी जाय, इसमें बागात वगैरा भी शामिल होंगे। अंत में मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन के समर्थन में कहें और इस संशोधन को वापस करें।

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)—मेरा प्रस्ताव यह है कि विवाद समाप्त किया जाय।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह—श्रीमन्, अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि प्रस्ताव कर्त्ता को ५ मिनट का समय और समर्थक को ३ मिनट का समय होगा।

श्री अधिष्ठाता—क्या बतायें यह बिल का मामला है।

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीर प्रसाद शुक्ल)—मान्यवर, अभी दो बजे तक वोटिंग होगी नहीं। अगर इस पर विवाद समाप्त हो जायगा तो दूसरा खंड लेने की बात आयेगी।

श्री अधिष्ठाता—यह होगा कि इस पर वोट नहीं लेंगे और आगे चल देंगे।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल—मान्यवर, इस खंड ३ के उपखंड (ग) में परिवार की परिभाषा के संबंध में जो संशोधन माननीय भीखालाल जी ने प्रस्तुत किया है, उसका मैं विरोध करता हूं।

ऐसा लगता है कि प्रस्तावक महोदय को और जिन सदस्यों ने इस सदन के समक्ष अपना मत प्रगट किया उनको बहुत विभ्रान्ति सी है। अभी हमारे माननीय सदस्य श्री मदनमोहन जी वर्मा ने बहुत ही तर्क के साथ जो कानूनी स्थिति है उस पर प्रकाश डाला था। वास्तव में हमारा जो संविधान है तथा जो हमारे रेवेन्यू ला के सिलसिले में हाईकोर्ट और बोर्ड आफ रेवेन्यू की नजीरें हैं और आज तक जो इस राजस्व के सम्बन्ध में सर्वमान्य सिद्धांत रहे हैं वे ये हैं कि हर एक खातेदार अपने खाते का निजी अधिकार में मालिक होता है। माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि यह अधिकार जो एक खातेदार का होता है, जिसकी मान्यता अभी तक कानूनी में चलती आरही है वह किसी तरह से केवल इसलिये कि कोई किसी परिवार का सदस्य है, खत्म कर दी जाय। मान्यवर, इस कारण खातेदारी की परिभाषा के द्वारा हम परिवार से अलग करते हैं। यदि ऐसा न करें तो उसका परिणाम यह होगा कि मान लीजिये एक परिवार में लड़के के नाम खाता अलहेदा है, पिता के नाम अलहेदा है, पति के नाम भी है और स्त्री के नाम भी है। यदि सीलिंग लगा दी जाय तो इस विधेयक की यह व्यवस्था है कि इस बात का विकल्प उस जोत के भारक को होगा कि वह कौन-सी भूमि अपने पास रखे और कौन सी भूमि वह मुक्त करे। अतः इन चार खातेदारों में से यह विकल्प किसको दिया जाय यह सोचना पड़ेगा। यदि एक को दिया जाता है और शेष को नहीं दिया जाता तो उनकी भूमि किस प्रकार से ली जायगी।

दूसरी बात यह है कि जब आज तक की जो कानूनी व्यवस्था है उसमें प्रत्येक धारक अपने खाते का मालिक है तो यह हो नहीं सकता कि हम सब को मिटा कर किसी एक खाते में शरीक कर लें। संविधान के अन्तर्गत भी हम यह सामर्थ्य नहीं रखते हैं कि हम इस प्रकार से किसी को एक्सप्रोप्रियेट कर दें। परिणाम यह है कि कानूनी स्थिति को देखते हुये हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि जिनको अपने नाम की भूमि पर पृथक तौर पर अधिकार प्राप्त है उनको हम एक खातेदार मानें। इसीलिये ऐसे सब खातेदारों को हमने इसमें परविार की सीमा से अलग रखने की व्यवस्था की है। यह तो अवश्य सम्भव हो सकता ह कि एक परिवार के लोगों के नाम, जो आज कल स्वाभाविक तौर पर एक परिवार माना जाता है पिता, पुत्र इत्यादि उनमें, कई एक के नाम जितनी भूमि है, उनको इस बात का अधिकार होगा कि वे इस अधिकतम जोत सीमा में अपनी

भूमि रख सकें। परन्तु उनको इस तरह का विकल्प है, हमको न तो कोई कानूनी अधिकार है और न नैतिक अधिकार है।

हमारे यहां संयुक्त परिवार का विघटन एक सनातन परम्परा से चला आया है और संयुक्त परिवार का प्रत्येक सदस्य उस परिवार का अपनी इच्छा से ही सदस्य है। यदि वह इच्छा नहीं रखता तो बावजूद इसके कि कोई पिता पुत्र हो, कोई किसी का पुत्र पिता हो, कोई किसी की लड़की हो, कोई किसी की स्त्री हो, वे जबरदस्ती परिवार का सदस्य नहीं रह सकते हैं। इसीलिये आदि काल से किसी परिवार के प्रत्येक मनुष्य सदस्य के स्वतः अपनी सम्पत्ति अर्जन करने का अधिकार रहा है और आज भी संविधान के अन्तर्गत है और मेरा ऐसा विश्वास है कि उधर के माननीय सदस्य भी जो कभी शासनारूढ़ होने का विचार रखते हों, ऐसा अवसर पाने पर वे भी किसी को इन अधिकारों से वंचित नहीं कर सकेंगे। यह एक नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसी स्थिति में यदि कोई आपनी सम्पत्ति का अर्जन करता है तो पृथक तौर पर उसे धारण करने का अधिकार वह रखता है और संविधान के प्राविधान के अन्तर्गत हम उनको कदापि उससे वंचित नहीं कर सकते हैं।

श्रीमन्, इस संशोधन में विशेष रूप से बल दिया गया है कि "जो स्वयं अपने अपने पृथक अधिकार में खातेदार न हों" निकाल दिये जांय। यदि इस अंश को निकाल दिया जाय तो उसका परिणाम यह होगा कि यदि एक परिवार में कई लोग रहते हैं और पृथक् अधिकार से अपनी सम्पत्ति रखते हैं तो जबरदस्ती उनकी भूमि एक मान ली जायगी। इसका परिणाम यह होगा कि यदि हम ऐसा कानून पास कर देते हैं तो ऐसे कानून का जिस व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा उसको इस देश के संविधान के अन्तर्गत और इस प्रदेश के अधिनियम के अन्तर्गत जो अधिकार आज तक प्राप्त हैं उसके अनुसार अदालत में जाने और वहां से न्याय की याचना करने का अधिकार होगा। नतीजा यह होगा कि जो हमारे मित्र चाहते हैं कि हम जल्दी से सीमा आरोपण करके जो कुछ भूमि मिले उसको हम भूमिहीनों में वितरित कर सकें, उसमें विलम्ब होगा। क्योंकि इस प्रकार का प्रत्येक व्यक्ति जिसे भूमि में इस प्रकार का कानूनी अधिकार प्राप्त है वह अदालत में जायगा और इस तरह से आगे होने वाली सारी कार्यवाही को अवरुद्ध कर देगा। और जो हमारे मित्र आज विलम्ब की शिकायत करते हैं कि हम ने सूचना नहीं दी और १ मई, १ जून और १ जुलाई की तारीख नहीं दी, यह सब बातें खत्म हो जायंगी और अन्त काल तक तमाम प्रदेश के एक-एक कोने के किसान और खातेदार अदालतों में जायेंगे और कभी भी कोई व्यवस्था यहां कार्यान्वित न हो सकेगी।

इसलिये इसकी व्यापकता को समझते हुये और प्रत्येक व्यक्ति का जो जन्मसिद्ध अधिकार है उसके अनुसार यही न्याययुक्त व्यवस्था है और मेरा विश्वास है कि माननीय सदस्य इस की न्यायसंगति को समझते हुये अपने संशोधन को वापस लेंगे और यदि उन्होंने ऐसा न किया तो मेरा विश्वास है कि यह सदन इस संशोधन को अस्वीकार करेगा।

श्री भीखालाल—अधिष्ठाता महोदय, मेरे संशोधन के विरोध में माननीय मदन मोहन वर्मा ने एक बात कही और अपने कथन की पुष्टि में उन्होंने बहुत कानूनी तर्क दिये और हमारे माननीय उपमंत्री जी ने भी उनके तर्कों का समर्थन किया। वर्मा जी योग्य हैं, वकील हैं, कानूनी पहलुओं को वह अच्छी तरह से समझते हैं लेकिन एक आध बात मैं जरूर कहूंगा। एक तो उन्होंने यह कहा कि हमारे संशोधन से उनको शक पैदा होता है कि शायद हमारे दिल में यह शंका है कि इस बिल के द्वारा कुछ लोगों का संरक्षण किया जा रहा है। मैं भी वर्मा जी से सफाई के साथ कह देना चाहता हूं कि मेरे दिल में ऐसी शंका ही नहीं है बल्कि मेरा निश्चित मत है और सरकार पर आरोप है कि इस बिल के द्वारा एक क्लास का संरक्षण किया जा रहा है। सरकार ने सीलिंग के सिद्धान्त को भले ही माना हो लेकिन व्यवहार में उस ने इसे कतई नहीं माना है, अगर वह उसे माने होती तो वह ऐसा बिल सदन में न लाई होती।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमन्, यह तो पहले से तय हो चुका है कि इस समय में कोरम का प्रश्न न उठाया जायगा, लेकिन हमारे रूल्स में कोरम की व्यवस्था रखी गई है । और ४३१ सदस्यों का यह सदन है, परन्तु इस समय यहां केवल २८ आदमी ही बैठे हैं, यह भी हो सकता है कि किसी समय केवल अध्यक्ष, मंत्री जी और एक दो सदस्य ही यहां बैठे रह जांय । इस का कुछ तो खयाल होना चाहिये कि इतनी इम्पार्टेन्ट बहस हो रही है और इतने कम सदस्य यहां उपस्थित हैं इस का कुछ तो खयाल होना चाहिये । इस सम्बन्ध में मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं कि आप की क्या सम्मति है ?

श्री अधिष्ठाता—इसमें तो कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है, मैं तो मंत्री जी से कह ही सकता हूं कि यहां अधिक से अधिक मेम्बर रहें तो अच्छा है ।

श्री भीखालाल—मैं कह रहा था कि माननीय वर्मा जी ने यह कहा कि इस बिल की पृष्ठ-भूमि यह है कि एक खातेदार की जमीन पर हम सीलिंग लगाना चाहते हैं । अगर उस के पास सीलिंग की सीमा से अधिक जमीन है तो वह ले ली जायगी और अगर कम है तो न ली जायगी । विधेयक की पुष्टि में और खातेदार किस को कहते हैं इस की पुष्टि में उन्होंने बहुत से तर्क दिये, उन्होंने हिन्दू ला और रेवेन्यू ला का भी जिक्र किया और हमारे माननीय उपमंत्री जी ने भी उन्हीं का समर्थन किया । लेकिन मैं सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बिल का आधार क्या है । इस बिल का आधार एक खाता नहीं है बल्कि एक परिवार है । यह सीलिंग खाते पर नहीं बल्कि एक परिवार पर लगाई जा रही है । इत्तफाक से माननीय वर्मा जी सदन में इस समय नहीं हैं । मैं मंत्री जी तथा सदन का ध्यान खंड ४ के उपखंड (१) की ओर दिलाना चाहता हूं जो इस प्रकार है--

"४—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी खातेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र की गणना राज्य में उसकी जोत की समस्त भूमि पर विचार करके की जायगी, चाहे वह भूमि उसके पास उसके ही नाम से हो या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से ।"

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । इस सदन में खंड ३ पर विचार हो रहा है और खंड ४ का हवाला देना, जिसका स्वरूप अभी निश्चित नहीं है क्या होगा, कहां तक उचित है ।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य अपने तर्क में उसका हवाला दे सकते हैं ।

श्री भीखालाल—तो मैं कह रहा था खंड ४ में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमारा आधार खातेदार नहीं है बल्कि परिवार है और खातेदार की सीमा किस तरह से निश्चित करेंगे ? उस खातेदार के नाम जो भूमि होगी या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम होगी वह प्रयोज्य भूमि होगी । तो स्पष्ट है कि विधेयक की पृष्ठभूमि खातेदार नहीं है बल्कि परिवार है, इसमें कई एक खातेदार हो सकते हैं । जो परिवार की परिभाषा रखी गई है, खंड ४ की मंशा को हराने के लिये ऐसा स्वरूप परिवार को दिया गया है जिससे प्रत्येक खातेदार परिवार हो जाय । अतः मेरा संशोधन विधेयक की मंशा पर आधारित है और न्यायसंगत है । माननीय वर्मा जी का यह तर्क कि विधेयक की पृष्ठभूमि खातेदार है इस प्रस्तुत विधेयक के मुताबिक गिर जाता है, इसकी पृष्ठ-भूमि परिवार है औरपरिवार की परिभाषा न्यायसंगत नहीं है ।

माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने कहा कि कोई विधेयक भावनाओं पर आधारित नहीं हो सकता है और मैंने भावनावश ऐसा संशोधन रखा । तो मैं भावना के आधार पर संशोधन नहीं लाना चाहता, बल्कि यह बिल प्रदेश की अर्थ व्यवस्था पर आधारित है । लेकिन उन्हें इससे मतलब नहीं है, वह नहीं चाहते कि प्रदेश की अर्थ व्यवस्था सुधरे, आर्थिक असमानता दूर हो, वह इसमें विश्वास नहीं करते कि वे परिस्थितियां पैदा की जांय जो हमारे समाजवाद की आधार-शिलायें होंगी । लिहाजा उनके लिये दलील देना बेकार होगा क्योंकि उनका इनमें विश्वास

नहीं है। वह सदा चीन और रूस का नाम ले कर प्रदेश की वस्तु स्थिति को भुलाने का प्रयास न करें और देश की जो अर्थ व्यवस्था है उसकी तरफ भी ध्यान रखें।

इसलिये मैं अधिक समय न लेकर कहूंगा कि मेरा संशोधन कायदे के मुताबिक है, न्याय संगत है और विधेयक की भावनाओं को लिये हुए है। इस विधेयक की जो धारायें हैं उनके मुताबिक है और जो परिवार की परिभाषा इसमें दी गयी है वह न्याय संगत है। इसलिये जोरदार शब्दों में सदन से अपील करूंगा कि मेरे इस संशोधन को मंजूर करे।

श्री हुकुम सिंह विसेन—माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे भाई भीखालाल जी ने बहुत बड़ा व्याख्यान दिया, पहले भी और दोबारा भी, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे मित्र माफ करेंगे कि उन्होंने इन अल्फाज की अहमियत समझने की कोशिश नहीं की। हमारे भाई वर्मा जी ने हमारे काम को हल्का कर दिया है, लेकिन फिर भी हमें अपने फर्ज को अदा करना ही है। समाजवाद का नारा दे कर जो बातें कहीं गयीं उनका जवाब असंगत होगा। हम तो कानून बना रहे हैं। कानून के दृष्टिकोण से हमें सब बातें देखनी हैं कि इस विधेयक में कौन से अल्फाज क्या मानी रखते हैं और किस उद्देश्य से ये विधेयक में रखे गये हैं। प्रोपेगेंडा की बातों के लिये गांव की चौपालें और पब्लिक प्लेटफार्म मौजूद हैं, यह सदन नहीं है। हमारे मित्र से हमारी राय मिलती नहीं है। वह चाहते हैं कि सीलिंग फैमिली पर लगाई जाय और विधेयक की स्कीम है कि इंडिविजुअल टेन्योर होल्डर पर लगाई जाय। हमारा उनका मेल हो नहीं सकता। उनकी निगाह कहीं और हमारी निगाह देश में है।

श्री भीखा लाल—यही तो एक दलील है आपके पास।

श्री हुकुम सिंह विसेन—बात चुभती है तो बुरी लगती ही है। फैमिली पर सीलिंग लगाने से सम्बन्धित हमारे भाई वर्मा जी ने कुछ कानूनी दिक्कतें बतलाईं। कानून का बनाना बड़ा कठिन है। हम खाली इस विधेयक को देख कर सब बातें तय नहीं कर सकते हैं। हमने जब इसे तैयार किया है तो हमारे देश में जो संविधान है उसे भी हम नजर में रख कर बनाते हैं, क्योंकि संविधान के सामने राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि उसके विपरीत वह कोई कानून बना सके। अगर हमारे मित्र संविधान के अनुच्छेद ६, १४ और १९ को पढ़ लेते तो ऐसा नहीं कहते। १९ के सबक्लाज एक में दिया है कि हर नागरिक को अधिकार है कि वह जायदाद अर्जित करे, काबिज रहे और बेचे। तो उसमें फंडामेंटल राइट्स दिये हैं और इन फंडामेंटल राइट्स को हम किसी तरह से अपने कानून से आघात नहीं पहुंचा सकते और न हीं हम किसी कानून के जरिये से उनको खत्म कर सकते हैं।

हिन्दू ला में भी हर आदमी को मुश्तर्का रहते हुए सेप्रेट प्रापर्टी एक्वायर करने का अधिकार है। हमारे टेनन्सी बिल में भी ऐसे अधिकार हैं जिनके मातहत लोगों ने सेप्रेट प्रापर्टी एक्वायर की। अगर सबको पूल करके एक यूनिट मानें तो खंड ९ में कहा है कि एक को ही नोटिस देंगे जो कर्ता आफ दी फेमिली होगा और जिन प्लांट्स को वह रखना चाहता है उनको वह आप्ट कर ले। तो हम सब होल्डिंग पूल करके सीलिंग लगा दें। एक आदमी को आप्ट करने का अधिकार दें और बकिया लोगों को न दें और उनकी जो प्रापर्टी है उससे उनको वंचित कर दिया जाय, ऐसा हम नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि हम एक को तो आप्ट करने का अधिकार दें और उनके खान्दान के बकीया लोगों को आप्ट करने का अधिकार न दें यह इनइक्वालिटी इन ला होगी जो परिच्छेद १४ को आफेन्ड करेगा। हमारे सामने ये दिक्कतें हैं जिसकी वजह से हमने ज्वाइंट फैमिली को नहीं रखा। ज्वाइंट फैमिली की परिभाषा इस उद्देश्य से रखी गयी है कि जो ५ मेम्बर्स की फैमिली पर हम एक युनिट कायम कर सकते हैं तो उन ५ में कौन लोग शरीक किये जा सकते हैं। कोई दूसरा उद्देश्य इसको रखने का नहीं है। अब यह जो अल्फाज रखे गये हैं "not being a tenure holder in their own separate right" यह जरूरी है, क्योंकि अगर हम इन अल्फाज को निकाल देते हैं तो उनके पास निजी होल्डिंग होते हुये भी ५ में शुमार

[श्री हुकुमसिंह बिसेन]

हो जायेंगे और अगर ५ से ज्यादा तो ८--८- एकड़ और पायेंगे। तो उधर भी उनके पास होल्डिंग रही और इधर भी ८--८ एकड़ के हिसाब से २४ एकड़ और पायें, इसका नतीजा होगा। मान लीजिये ५ आदमियों की फैमिली है, मां, बाप और तीन लड़के और उन तीन लड़कों के नाम भी खाते हैं। अगर यह अल्फाज निकाल दें तो नतीजा क्या होगा 'होल्डिंग तो हम और आप कानूनन छ नहीं सकते और वे पांच की फैमिली में शुमार हो जायेंगे और ५ से ८ हो जायेंगे लिहाजा २४ एकड़ जमीन और ले लेंगे। कितना बड़ा नुकसान इस तरमीम को पेश कर के आप कर रहे हैं। वैसे तो आप चिल्लाते हैं कि कुछ सरप्लस जमीन मिलने की नहीं है और तरमीम ऐसी करते हैं कि और कम हो जाय। यह लेक्चर देने की बात नहीं है, जरा गौर से समझिये। "लैंड रेकार्डेड इन देयर ओन राइट" है। लेकिन ये अल्फाज हमने इस वजह से रखे हैं कि जिनकी लैंड रकार्डेड इन देयर ओन राइट है व ५ की फैमिली में गिने नहीं जाने चाहिये और अगर गिने नहीं जाने चाहिये तो ८ एकड़ का इजाफा नहीं हो सकेगा। इस वजह से हम यह कर रहे हैं और कोई दूसरी वजह नहीं है। यह वजह नहीं है कि चूंकि भीखालालजी ने कहा है इसलिय अपोज करो। यह हठधर्मी मैं कभी करता नहीं और मैं समझता हूं कि हमारे मित्र की समझ में बात आ गयी होगी और अगर वह हठधर्मी नहीं करेंगे तो इसे वापस ले लेंगे नहीं तो बड़ा नुकसान गरीबों का होगा, जिनको हम फायदा पहुंचाना चाहते हैं उनके लिये जमीन और कम हो जायगी। मैं मानता हूं कि जो ट्रांसफर वगैरह हुये हैं उनसे कुछ कम हो जायगी, लेकिन आपकी तरमीम मन्जूर हो जाने से और भी कम हो जायगी। इसलिये मैं कहूंगा कि अगर भीखालालजी की यह मन्शा है कि गरीबों को एक बिस्वा जमीन न मिले, नारे वह उनके माफिक लगाते रहें, लेकिन दिल में कुछ और हो तो इस तरमीम को पेश करें लेकिन अगर जो वह कहते हैं वही उनके दिल में है तो वह हमारी सलाह को मान लें नहीं तो जिस तबके को आप चाहते हैं कि फायदा न पहुंचे उसको आपकी तरमीम से फायदा पहुंचेगा।

कहा जाता है कि मेरा कइयों से गठबन्धन है। मैं अनाड़ी नहीं हूं। कई गठबन्धन करने में इन्सान को ज्यादा तकलीफ होती है और फिर इस उम्र में गठबन्धन करूं तो रहूंगा कहां। मेरा किसी से गठबन्धन नहीं है। मेरा गठबन्धन गरीब किसानों से है और वह हमेशा के लिये कायम रहेगा। वह हिन्दू मैरेज है, सिविल कंट्रेक्ट नहीं है। आपकी समझ में आये या न आये, मैं तो समझाने की कोशिश कर सकता हूं, किसी को समझने के लिये अक्ल नहीं दे सकता हूं।

इन शब्दों के बाद मैं अपने मित्र से निवेदन करूंगा कि अगर भगवान उनको सद्बुद्धि दे तो इस तरमीम को वह वापस लें।

श्री भजन लाल—अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह मांग करना चाहता हूं कि २० अगस्त, १९५९ से जो मियाद रखी है उसके बजाय यह कहीं अच्छा होगा कि वह १ जनवरी, १९५९ कर दी जाय, ताकि इस दरमियान में जो जमीन और बाग निकाल लिये गये हैं वह भी शामिल कर लिए जायं।

श्री अधिष्ठाता—अब मैं श्री भीखालाल जी का संशोधन लेता हूं।

श्री भीखालाल—श्रीमन्, मैं व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। सवा बजे से सवा दो बजे तक कोरम का लिहाज नहीं रखा जाता है तो क्या इस समय मत लेना मुनासिब होगा ?

श्री अधिष्ठाता—अब दो बज गये हैं और मैंने सेक्रेटरी से मालूम कर लिया है कि यह दो बजे तक के लिये ही है।

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (ग) की पंक्ति २ में "का के बाद के शब्द "जो स्वयं अपने अपने पृथक अधिकार में खातेदार न हों" निकाल दिये जायं

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्न मतानुसार अस्वीकृत हुआ ——

पक्ष में——२२,
विपक्ष में——५७ ।)

श्री शिवशंकर सिंह (जिला रायबरेली)——अधिष्ठाता महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ३ (ग) के स्पष्टीकरण की दूसरी पंक्ति में शब्द "पृथक" और "समझा" के बीच "तथा अपने-अपने पृथक अधिकार में" जोड़ दिये जायं।

अधिष्ठाता महोदय, यह एक महत्वपूर्ण संशोधन है। बहुत से ऐसे खातेदार हैं जिनका नाम बहुत अरसे से अलग हो चुका है। वह अपने खातों पर काबिज चले आ रहे हैं। बहुत सी जगह ऐसा हो गया है कि उनकी माताएं या उनकी स्त्री के नाम से बहुत दिन से अलग खाते चले आ रहे हैं। वह उस पर क़ाबिज हैं। वह नौकर रख कर या खुद अपनी खेती बारी का इंतजाम करते हैं और उसके लाभ का उपयोग करते हैं। अगर यह संशोधन मान लिया जाता है तो जो कठिनाइयां हैं वह दूर हो जायंगी। लिहाजा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है कि यह बहुत छोटा सा संशोधन है इसको मानने में उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)——मैं एक व्यवस्था यह चाहूंगा कि अब स्पष्टीकरण पर संशोधन हैं इसलिए इस सिलसिले में जितने संशोधन हैं सब को एक साथ पेश करने की इजाजत दी जाय।

श्री अधिष्ठाता——मेरे खयाल से एक एक ले लिया जाय तो ज्यादा अच्छा है। उसमें हम को परेशानी होगी।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल——मान्यवर, मैंने यह समझा था कि जब ऊपर के संशोधनों को माननीय सदस्यों ने पेश नहीं किया तो अब इसकी आवश्यकता रह नहीं जाती। यह सर्वथा अनावश्यक हैं। मूल स्पष्टीकरण में स्पष्ट है कि इस खंड के प्रयोजन के लिये पुत्र या पुत्र का पुत्र उस दशा में पृथक समझा जायेगा जब भूमि पृथक रूप से उसके नाम अभिलिखित हो। तो इतना ही काफी है कि भूमि उसके नाम से अभिलिखित हो और अगर उसको और बढ़ा देंगे तो उसमें फिर दुनिया भर के सबूत और गवाही की पेचीदगी पेश होगी। only the name being recorded is sufficient, तो इस स्पष्ट को और स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसको नितान्त अनावश्यक समझते हुए इसे वापस लेने की कृपा करेंगे।

श्री शिव शंकर सिंह——जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है इससे मैं बिलकुल सन्तुष्ट हूं और मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामलखन मिश्र——आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं ——

खंड ३ की मद (ग) में स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड जोड़ दिया जाय——

"प्रतिबन्ध यह है कि कोई सम्बन्धी उपर्युक्त खंड के अधीन एक से अधिक परिवार में आता हो तो वह अपने विकल्प के अनुसार अथवा यदि वह किसी नियोग्यता से ग्रस्त हो तो उस व्यक्ति के विकल्प के अनुसार जो विधितः ऐसा करने का अधिकारी हो, केवल एक ही परिवार का सदस्य माना जायगा।"

[श्री रामलखन मिश्र]

मान्यवर, इस संशोधन का स्वरूप बहुत स्पष्ट है और यह बहुत ही आवश्यक है। कारण यह है कि इस अधिकतम जोत सीमा अधिनियम में अधिकतम जोत की जो सीमा है यद्यपि किसी परिवार के ऊपर नहीं बांधी गयी है परिवार की परिभाषा करना तो उस में आवश्यक हो गया। यह तो सिर्फ जोतधारकों के ऊपर है, टेन्योर-होल्डर्स के ऊपर है। लेकिन इसमें मर्यादा ऐसी बांधी गई है कि यदि किसी परिवार में ५ से अधिक संख्या हो तो प्रत्येक व्यक्ति को ८ एकड़ के हिसाब से जमीन रखने का अधिकार होगा और इस तरह से ६४ एकड़ की सीमा हो सकती है। उसमें कितने लोग परिवार में आते हैं वह माननीय भीखा लाल जी के संशोधन के सम्बन्ध में उस पर विचार कर लिया गया लेकिन एक बड़ा वैधानिक प्रश्न उत्पन्न हो जायगा यदि यह संशोधन न माना जाय। ऐसा भी हो सकता है कि माता के नाम भी दर्ज हो खाता और पिता के नाम से भी खाता दर्ज हो और उसके पुत्र या प्रपौत्र इतने हों कि पांच से ऊपर आ जाते हों, तो पिता के परिवार में भी आठ एकड़ ले सकता है और माता के परिवार में भी आठ एकड़ ले सकता है। ऐसे ही लड़के के ऊपर भी आगे की शाखा में चल कर के यह चीज उत्पन्न हो सकती है। इस कारण विधानतः इस को स्पष्ट न करना एक आवश्यक चीज है और इस कारण से संशोधन लाया गया है जिससे कि एक व्यक्ति को आठ एकड़ एक ही बार लेने का अधिकार हो यदि वह ऐसे परिवार की सीमा के अन्तर्गत आता है। यह तभी सम्भव है जब इस संशोधन के स्वरूप को स्वीकार कर लिया जाय।

इसमें यह भी कहा गया है, यदि कोई अल्पवयस्क है, या अनसाउंड माइंड का है या किसी और अयोग्यता से ग्रस्त है तो उसका जो अभिभावक है उस को ऐसा करने का अधिकार है। तो उसमें विकल्प का अधिकार है कि वह चुन ले कि वह किस परिवार में रहना चाहता है। यदि वह पिता के परिवार में रहना चाहता है तो पिता के परिवार को चुन ले। या माता के परिवार को चुन ले या वृद्ध पितामह के परिवार को चुन ले, लेकिन वह केवल एक को चुन सकता है।

मैं और अधिक इस सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहता। भगवान की कुछ ऐसी रचना है, मनुष्य को ऐसा एकांगी उसने बनाया है--दो नेत्र उसने उस को दिये जिनसे उसे सामने ही दिखाई पड़े, पीछे नहीं दिखाई पड़ सकता। ऐसे ही बुद्धि के सम्बन्ध में भी है कि दिखाई नहीं पड़ता कि प्रकाश किस तरफ है और इस कारण आवश्यकता होती है और इसीलिए प्रजातांत्रिक प्रणाली में सब लोग इकट्ठा बैठ कर किसी वस्तु पर चतुर्दिक प्रकाश डालते हैं। तो इतना कह कर मैं बैठा जा रहा हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस अत्यन्त आवश्यक संशोधन को अवश्य स्वीकार करेंगे। उस विधेयक की धारा ३, ४, ६, ७, ८, ३३, २९ इत्यादि ऐसी महत्वपूर्ण धारायें हैं जिन पर हमें बहुत ही महत्वपूर्ण गहरी दृष्टि डालनी चाहिए, वरना इस विधेयक में कुरूपता आ सकती है।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--माननीय सदस्यों ने इस संशोधन के समर्थन में जो तर्क उपस्थित किये वह बहुत ही माकूल तर्क हैं और इतनी कमी रह गई थी इस खंड के स्पष्टीकरण में जिसको कि उन्होंने और भी अधिक यहां स्पष्ट करने की चेष्टा की और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कई परिवारों में आ जाय। जैसे उदाहरण के लिये उन्होंने कहा कि पुत्र माता के परिवार में उसका नाम आ जायगा तो वहां तो माता के परिवार में वह पायेगा। पिता के परिवार में आने के नाते वहां पर वह जमीन पायेगा। पितामह के परिवार में आने के कारण वह वहां भी पा सकता है। कोई एक आदमी सब का सदस्य हो सकता है जब तक कि इसमें यह स्पष्टीकरण न हो। हर परिवार का सदस्य होने पर ५ से अधिक संख्या होने पर वह ८, ८ एकड़ या १२, १२ एकड़ जिस क्वालिटी की भूमि होगी उसके पाने का अधिकारी हो जायगा। यह कानूनी कठिनाई पैदा होगी। इसलिये यह संशोधन सरकार को स्वीकार है।

श्री रामलखन मिश्र--सरकार ने इस संशोधन को स्वीकार कर लिया इसके लिये मैं उन को धन्यवाद देता हूं ।

(इस समय २ बज कर १६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ की मद (ग) के स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड जोड़ दिया जाय :--

"प्रतिबन्ध यह है कि कोई सम्बन्धी उपर्युक्त खंड के अधीन एक से अधिक परिवार में आता हो, तो वह अपने विकल्प के अनुसार अथवा यदि वह किसी नियोग्यता से ग्रस्त हो तो उस व्यक्ति के विकल्प के अनुसार जो विधितः ऐसा करने का अधिकारी हो, केवल एक ही परिवार का सदस्य माना जायगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ब्रजनारायण तिवारी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (ग) के स्पष्टीकरण की पंक्ति ३ में शब्द "निबन्धित" के बाद तथा पंक्ति ४ के शब्द "बाद में" के पहले के शब्दों को निकाल दिया जाय तथा पंक्ति ७ के शब्द "गया हो" के बाद का अंश निकाल दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ जब हमारे माल मंत्री महोदय, ने यह कहा कि सीलिंग करते समय केवल एक ही आदमी के नाम नोटिस दी जायगी । मैं आप की आज्ञा से धारा ४ को पढ़ना चाहता हूं क्योंकि उनकी बातों का विरोध यह धारा करती है । इसमें यह लिखा है कि "४--(१) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुये किसी खातेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र की गणना राज्य में उस की जोत की समस्त भूमि पर विचार कर के की जायगी, चाहे वह भूमि उस के पास उस के ही नाम से हो या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से" । तो मुझे ताज्जुब हुआ जब उन्होंने यह कहा कि सीलिंग करते समय एक आदमी के नाम से नोटिस दी जायगी । बाक़ी आदमियों के नाम नोटिस नहीं जायगी । अगर दूसरे के नाम से कुछ जमीन रहेगी वह उसमें बचा लेगा और सीलिंग में कुछ जमीन वह पायेगा तो यह विरुद्ध बात पड़ती है । मैं समझता हूं कि यह बात किसी को गुमराह करने के लिये नहीं होनी चाहिये ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके पहले चकबन्दी कानून मन्त्री जी बना चुके हैं और बृहत् जोतकर भी पास हो चुका है । जिस समय बृहत् जोतकर लगाया गया तो उस समय जितने बड़े बड़े खातेदार थे सबने अपने भाई, भतीजे, चाचा, नाना, मामा सब को जमीन बांट दी थी ताकि उनको अधिक टैक्स न देना पड़े और एक के नाम से इतनी जमीन न रहे । उन्होंने उस ऐक्ट में यह व्यवस्था रखी थी और तब टैक्स लगाया था । उसमें यह भी था कि ३० जून के पहले जिस खाते दार के नाम से खाता होगा उसी को मान कर टैक्स लगे और बाद का बटवारा नहीं माना जायगा । श्रीमन्, उस समय बटवारा हो गया और उस बटवारे के आधार पर यह सीलिंग आयी । तो इस कार्य का एक क्रमिक तरीक़ा चला आ रहा है बहुत पहले से ताकि गरीबों को कुछ न कुछ मिले और झूठमूठ में सरकार समाज को एक नारा भी दे दे । तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन को इसलिये पेश कर रहा हूं । जो कुछ मूल अधिनियम में था उससे भी बढ़ कर प्रवर समिति ने संशोधन किया है. . . . .

श्री उपाध्यक्ष--आप अपने संशोधन पर ही बोलें । आप लोग साधारण वाद विवाद करने लगते हैं ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--तो इस दृष्टि से यह किया गया है । इसमें लिखा है कि हम पारिवारिक बटवारे को भी अलग बटवारा मान लेंगे । यह, उपाध्यक्ष महोदय, इतना गोल है कि जिसके कुछ भी माने लगाये जा सकते हैं । चाहे वह बटवारा रजिस्टर्ड हो अथवा

[श्री व्रजनारायण तिवारी]

न हो उस को यह मान लेंगे। यह बिल २० अगस्त, १९५९ को जैसे ही पेश हुआ, उसी समय लोगों ने दस्तावेज खरीदने शुरू कर दिये और दो रुपये की क़ीमत के दस्तावेज २० और २५ रुपयों में खरीदे गये इसलिये कि किसी न किसी प्रकार का समझौता कर के पारिवारिक बटवारा सिद्ध करेंगे और इस प्रकार अपनी अपनी जमीन को बचा लेंगे। तो इसमें पारिवारिक समझौते अच्छे प्रकार की जमीन और ५ से ६ रुपये प्रति एकड़ मौरूसी दर आदि की बातें ऐसी हैं कि जिनमें काफी छूट दी गई है.....

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल---इन बातों का संशोधन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--- संबंध है और हम लोग भी समझते हैं कि किस के हित में यह बिल लाया गया है और इसी लिये हम कहते हैं कि अगर आप को करना ही है तो उस बात से इन्कार क्यों करते हैं। आप न अगर खाता किसी के नाम से है तो उसे छूट देने की व्यवस्था क्यों रखी? अगर वह खातेदार मर जाता है तो उसके वारिस को वह जमीन मिलेगी और फिर उसकी सीलिंग करनी होगी। तो आप इसकी व्यवस्था हमेशा के लिये क्यों नहीं कर देते ताकि आपको इस काम के लिये ही एक नया विभाग खोलने की जरूरत न पड़े। एक बार सीलिंग कर के ही आप कुछ समय तक देखें कि स्वाभाविक रूप से इसमें क्या परिवर्तन होता है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री हुकुम सिंह विसेन---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन है, इसमें कहा गया है कि शब्द "निबंधित" के बाद तथा पंक्ति ४ के शब्द "बाद" में के पहले के शब्दों को निकाल दिया जाय। मैं, श्रीमन्, से अनुरोध करूंगा कि इन शब्दों को निकाल देने के बाद वे देखें कि यह कैसे रीड करता है। यह इस प्रकार होगा :

"इस खंड के प्रयोजन के लिये पुत्र या पुत्र का पुत्र उस दशा में पृथक समझा जायगा जब भूमि पृथक रूप से उसके नाम अभिलिखित हो, या जब २० अगस्त, १९५९ से पूर्व निबंधित वाद में.... तो वाद के माने तो सूट के होते हैं। निबंधित के माने रजिस्टर्ड। तो रजिस्टर्ड सूट की बात समझ में नहीं आती। रजिस्टर्ड तो फैमिली सेटिलमेंट ऐक्टेड अपान के लिये है। वाद के लिये रजिस्टर्ड नहीं है। इसलिये अगर हम इसको मंजूर करते हैं तो यह बड़ा रेडीकुलस हो जायगा। यह कुछ ठीक बैठता नहीं है। हमारे मित्र जरा इसको समझाने की कृपा करें कि यह फिट कैसे बैठता है? निबन्धित शब्द जो है यह किसको गवर्न करता है? इसको मानने से तो इसके माने बिलकुल गलत हो जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---(श्री ब्रजनारायण तिवारी से) आप इसको जरा स्पष्ट कर दें आप का क्या मतलब है?

श्री ब्रजनारायण तिवारी---श्रीमन्, मैं इसको पढ़े देता हूं संशोधित रूप में। यह इस प्रकार हो जायगा---"इस खंड के प्रयोजन के लिये पुत्र या पुत्र का पुत्र उस दशा में पृथक समझा जायगा जब भूमि पृथक् रूप से उस के नाम अभिलिखित हो, या जब २० अगस्त, १९५९ से पूर्व निबंधित", अब इसके बाद वाले शब्द निकल जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---आप कहते हैं कि "निबंधित" के बाद के शब्द तथा "वाद में" के पहले के शब्द निकल जायेंगे तो यह फिर साफ़ मतलब कैसे बैठता है.....

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---अगर इजाज़त हो तो मैं इसको स्पष्ट कर दूं।

श्री हुकुम सिंह विसेन---यह तो माननीय तिवारी जी को ही स्पष्ट करना चाहिये, वही इसको स्पष्ट करें। (हंसी)

श्री गेंदा सिंह---मुझे इजाज़त दें तो मैं समझा दूं।

श्री उपाध्यक्ष––तो क्या यह इस तरह से होगा कि "निबंधित या उक्त दिनांक के पूर्व पारित न्यायालय की. . . .यानी शब्द "वाद में" निकाल दिये जायं तो मतलब ठीक हो जायगा ?

श्री हुकुम सिंह विसेन––अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे अंग्रेजी में पढ़ दूं। यह इस प्रकार है––

"For the purpose of this clause a son or son's son shall be deemed to separate where the land is recorded separately in his name or where his separate share has been declared under a family settlement, either registered or acted upon prior to the twentieth day of August, 1959....."
Law grinds weak persons and the strong rule the laws.

तो उस फैमिली सेटिलमेन्ट को रजिस्टर्ड रेफर करना है और किसी चीज को नहीं करना है. .

श्री गेंदा सिंह––यह सही है। इसमें शब्द "या" नहीं रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष––आप इसको फिर से समझा दें।

*श्री गेंदा सिंह––श्रीमन्, संशोधित होकर यह इस प्रकार हो जायगा––

"इस खंड के प्रयोजन के लिये पुत्र या पुत्र का पुत्र उस दशा में पृथक समझा जायगा जब भूमि पृथक रूप से उसके नाम अभिलिखित हो, या जब १ जनवरी, १९५९ से पूर्व निबंधित या कार्यान्वित किसी पारिवारिक समझौते के अधीन". . . .यह इतना तो रहेगा, यह "वाद" वाला हिस्सा निकल जायगा––यानी "२० अगस्त, १९५९ को विचाराधीन किसी वाद में" यह निकल जायगा। "कार्यान्वित किसी पारिवारिक समझौते के अधीन या उक्त दिनांक के पूर्व पारित न्यायालय की किसी डिक्री द्वारा उस का पृथक अंश घोषित कर दिया गया हो अथवा उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा १२–ख के अधीन उसे पृथक् अंश दिया गया हो।" यह रहेगा और इसके बाद वाला बिल का हिस्सा निकाल दिया जायगा।

श्री हुकुम सिंह विसेन––जरा लिख कर दे दें, नोटिस मिल जाय, तब तक अगला अमेंडमेंट मूव करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष––आप लिख कर दे दीजिये। श्री ब्रजनारायण तिवारी, आप ७–ग पेश करेंगे ?

श्री ब्रजनारायण तिवारी––उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन इस प्रकार है कि जहां '२० अगस्त, १९५९' आया है उस के स्थान पर '१ जनवरी, १९५९' कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष––जो छपा है, उसी को पढ़िये।

श्री ब्रजनारायण तिवारी––उपाध्यक्ष महोदय, संशोधन इस प्रकार है कि खंड ३ के उपखंड (ग) के स्पष्टीकरण की पंक्ति ३ में अंक तथा शब्द "२० अगस्त" के स्थान पर अंक तथा शब्द "१ जनवरी" रख दिया जाय। चौथी पंक्ति में "२० अगस्त" के स्थान पर "१ जनवरी" कर दिया जाय।

इसके पूर्व जो संशोधन मैंने पेश किया था उस पर काफ़ी कनफ्यूजन हो गया, आपने मुझे अवसर नहीं दिया, बीच में मामला कुछ गोल हो गया।

मैं आप से निवेदन यह करूंगा कि यह जो १५ अगस्त के बजाय २० अगस्त कर दिया गया इस ५ दिन के भीतर कुछ लोगों ने नये नये दस्तावेज खरीदकर या पारिवारिक समझौते के आधार पर या अन्य किसी प्रकार से जो अपनी जमीनें तितर वितर की है, छिपाने की योजना बनायी है और सीलिंग से बचने का उपाय सोचा है उसके लिये हमने रखा है कि १ जनवरी, १९५९ कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

दिया जाय। इससे कांग्रेस का वह प्रस्ताव जिसमें सीलिंग की चर्चा हुई थी और जिसके मुताबिक सरकार को सीलिंग बिल लाना पड़ा उसके मंशा की पूर्ति हो जाती है और सरकार जो कुछ लोगों को जमीन देना चाहती है वह भी मिल जाती और जो स्वार्थी वर्ग है इस मुल्क का, जो आज से नहीं बहुत पहले से कानून के द्वारा सुविधा प्राप्त करता चला आ रहा है उसको वह भूमि नहीं मिल पायेगी। मंत्री जी यह बतलायेंगे कि क्यों १५ अगस्त, के बजाय २० अगस्त कर दिया गया। उसी का हवाला देते हुए कहूंगा कि जिस समय बृहत् जोत कर कानून पास हुआ तो उसका अप्लीकेशन बाद में हुआ और उसमें यह हुआ कि जब हम टैक्स निर्धारण करेंगे तो इस कानून के बनने के पहले ही दिन निश्चित कर दिया कि उस दिन के पहले के खातों को विधि अन्दर मानेंगे, तो इस ऐक्ट में यह ५ दिन का समय क्यों दिया गया। यह निराधार हो जाता है। अगर सरकार यह करती कि कानून जिस वक्त लागू होगा उस वक्त हम उसी खातेदार को मानेंगे जो २० अगस्त के पहले का है, वह बात दूसरी थी। यह ५ दिन का समय देकर बहुत गड़बड़ी की है। तो हम चाहते हैं कि २० अगस्त के बजाय १ जनवरी कर दिया जाय। पहली जनवरी, १९५९ को जिसके नाम जितना खाता खेत हो उसके आधार पर यह सीलिंग की जाय, यह मेरे संशोधन का मंशा है।

श्री शिवशंकर सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, ब्रजनारायण तिवारी जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, संविधान के अन्तर्गत हर आदमी को अपनी जायदाद रखने और बेचने का अधिकार मिला हुआ है। २१ तारीख को भवन में यह बिल पेश किया गया उससे पहले की तारीख १ जनवरी अगर आप रखते हैं तो फिर यह ऐक्ट अल्ट्रावायरस हो जायगा। तिवारी जी का संशोधन अगर मान लिया जाता है तो यह कानून के बिल्कुल विपरीत हो जायगा। इस कारण मैं इसका विरोध करता हूं।

***श्री भजन लाल**---उपाध्यक्ष महोदय, पहली जनवरी जो इसमें दिया गया है उसको मैं मुनासिब समझता हूं। ब्रजनारायण जी का जो संशोधन है वह अपने स्थान पर दुरुस्त है। उसका कारण यह है, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिस समय बजट अधिवेशन फरवरी में प्रारम्भ हुआ था, उसके प्रारम्भ होने के पहले यदि सीलिंग वाले बिल की सूचना दे दी जाती सरकार की ओर से तो काफी विचार किया जा सकता था लेकिन २७ जुलाई, सन् १९५९ से अधिवेशन बैठा और उसमें सूचना भेजी गई कि सीलिंग वाला बिल पेश हो रहा है और २५ अगस्त की हद डाली गई। इसका नतीजा यह हुआ कि इस दौरान में उत्तर प्रदेश के जितने बड़े-बड़े लोग थे जिनके पास हजार हजार बीघे जमीन थी उन्होंने बाग वगैरह में और परिवारिक समझौते के आधार पर सैकड़ों बीघे अमीन अपने नाती पोते, बहू बेटी और सगे सम्बन्धियों के नाम कर दी। यदि एक जनवरी रख दी जाय तो इस बीच में गलत तरीके के जो जमीन परिवार वालों को बांट दी गई है तो शेष जमीन से इस प्रदेश के ३६ लाख खेतिहर मजदूरों की कुछ समस्या हल हो सकेगी। १९५१ की गणना के अनुसार इस प्रदेश में ३६ लाख खेतिहर मजदूर थे जो कि अब तक ४० लाख के करीब पहुंच गये होंगे। इतनेबड़े तबके को अगर यह सरकार कुछ जमीन देना चाहती हो इस संशोधन को स्वीकार कर ले और २० अगस्त के एवज में पहली जनवरी मान लें ताकि खेतिहर मजदूरों के लिये जमीन बचाई जा सके। मैं आशा करता हूं कि सदन इस संशोधन को मंजूर करने की कृपा करेगा।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, आपको भलीभांति मालूम है कि प्रजा शोसलिस्ट पार्टी और इसके पहले सोशलिस्ट पार्टी जिसमें आप भी शामिल थे, पिछले कई वर्षों से लगातार इस बात का प्रयास करती रही और जनमत तैयार करने की कोशिश करती रही कि देश व प्रदेश के अन्दर जमीन का फिर से वितरण किया जाय और उसका फल यह हुआ कि कांग्रेस को मजबूर होकर उस सिद्धान्त को मानना पड़ा और सरकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन के अन्दर जोत सीमा आरोपण के बटवारे का यह बिल सदन में प्रस्तुत किया। जब से यह बिल आया और जब से इसकी चर्चा प्रदेश के अन्दर शुरू हुई, हमारे प्रदेश के जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे या बड़े बड़े काश्तकार और फार्म वाले थे उन्होंने येनकेनप्रकारेण अपनी भूमि को फर्जी तरीके पर अपने बच्चों और संबंधियों के नाम से टुकड़ों में बांट दिया। श्री ब्रजनारायण जी के संशोधन से इस विधेयक की मंशा पूरी होगी। ज्यादा से ज्यादा जमीन निकलेगी और जिनके पास जमीन का टुकड़ा नहीं है उनको मिल सकेगी। इससे देश की अन्न की समस्या भी हल होगी। यदि यह संशोधन स्वीकार नहीं होता है तो इस बिल का आना और सारा परिश्रम ही निरर्थक होगा। हजारों और लाखों बीघे जमीन के ट्रांसफर और डिवीजन तथा बैनामे हुये हैं। इस संशोधन से वे बिल की परिधि में आ जावेंगे और माननीय मंत्री जी को बहुत अधिक जमीन गरीबों को बांटने के लिये मिल जायगी।

श्री रामलखन मिश्र—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, वैध बिलों को भी एक वैधानिक चिन्तन रखना चाहिये। किसी चिन्तन का आधार सिद्धांत होना चाहिये। किसी विधेयक को जब यहां प्रस्तुत करते हैं या गजट में प्रकाशित करते हैं वही एक उपयुक्त समय है कि हम एक रेखा खींच सकते हैं कि यह उस दिन से लागू होगा। वैसे तो पहली जनवरी की कोई आधारशिला नहीं रह जाती है लेकिन पहली जनवरी ही क्यों मानी जाय ? २० अगस्त को तो हम विधिवत् मान सकते हैं चूंकि यह विधेयक उस दिन प्रस्तुत किया गया था। हम उसे खींच कर मई तक ले जा सकते हैं अगर कोई बात हो तब। नागपुर सेशन ९ जनवरी को हुआ यह ठीक है, लेकिन उसमें विधिवत् सारी बातों की रूपरेखा नहीं बनाई गई थी। वैसे तो प्लानिंग कमीशन में मालूम नहीं कि कितने दिनों से चर्चा चल रही थी। जमींदारी अबालीशन के बारे में भी हाई कोर्ट का निर्णय हुआ। कोई ऐसी बात होनी चाहिये जिसका पब्लिक को ज्ञान हो। अगर हम किसी प्रकार का अतिक्रमण कर दें तो वह ठीक नहीं होता है। स्वामी रामतीर्थ जी ने कहा है कि law grinds weak persons and the strong rule the laws, इसका अर्थ यह है कि कानून कमजोर व्यक्तियों को पीसता है और सबल कानून के ऊपर राज्य करता है। जब से देश में सीलिंग की चर्चा हुई तब से ये लक्ष्मीपुत्र, बुद्धिमान और धनिक व्यक्ति डिक्लेरेटरी सूट्स इत्यादि और न मालूम क्या-क्या बातें अपने बौद्धिक ज्ञान के द्वारा और कानूनी पेशा करने वालों से राय लेकर, ऐसा वातावरण उत्पन्न किये हैं जिसकी जानकारी बिलकुल पूरे तरीके से सबको नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि यह बात सरकार से छिपी नहीं रहेगी। नियमों में या विधि में हम कोई चीज ऐसी लावेंगे ताकि हम उसे पकड़ सकें। चिन्तन तो विधेयक करे लेकिन उसे कार्यान्वित करने का भार राज्य कर्मचारियों पर होता है। वे उसे ठीक से कर सकें या नहीं, लेकिन हम उसे विधितः पूरा करेंगे। लेकिन इस अंग को जोड़ कर हम अवैधानिकता का पथ अपनावेंगे। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। इसमें कोई सार नहीं है। शुभ-कामना भी इसमें नहीं है, केवल अटकल-पच्चू सी बात है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा कि जो दलीलें दी जा चुकी हैं उन्हें न दोहरावें, वरना मैं रोक दूंगा।

श्री बलदेव सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, ब्रजनारायणजी तिवारी के संशोधन का मैं विरोध करता हूं। संशोधन में कहा गया है कि २० अगस्त के बजाय १ जनवरी, १९५९ कर दी जाय। खुद उन्होंने आशंका प्रकट की है कि वह सब अवैध है। जब पास होगा उस दिन से चलेगा। तो ऐसे संशोधन को उपस्थित करना, जिस पर माननीय सदस्य का खुद विश्वास नहीं है, कहां तक उचित है ? असल बात तो वही होगी जो उनके मन में है कि जिस दिन यह कानून पास होगा, उसी दिन से प्रचलित होगा। इसलिये मैं माननीय तिवारीजी से प्रार्थना करता हूं कि जिस चीज को वह स्वयं गलत समझते हैं उसे वापिस ले लें।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, कल माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी थी और नियम का पालन किया था कि हर खंड पर एक प्रकार के संशोधन सब एक साथ उपस्थित

[श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह]

किये गये। इस प्रकार ३–क के सब संशोधन एक साथ उपस्थित किये गये और वोटिंग अलग अलग हुआ था। इसलिये 'ग' के भी सब संशोधन एक साथ ले लिये जावें ताकि ज्यादा समय नष्ट न हो।

श्री उपाध्यक्ष––ठीक है। मैं इसको करूंगा।

***श्री गोविंदनारायण तिवारी** (जिला जालौन)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय ब्रजनारायणजी तिवारी के संशोधन का समर्थन करता हूं। माननीय रामलखनजी ने जो भाषण दिया उसमें हमारी भावनाओं को माना है और यह भी कहा कि सीलिंग की बात जब चली तो उसके बाद सारे प्रदेश में बड़ी फर्जी कार्रवाइयां हुईं। यह भी फरमाया कि हमारी सरकार उनके लिये नियमों में ऐसी कोई बात कर देगी जिसके कारण यह सब नहीं हो सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब विधान सभा में विधान बनाया जाता है तो उसके कानून का ध्यान रखा जाता है। मुझे तो उनके भाषण में और भाव में विरोधाभास लगा। एक बात जरूर साफ है कि वह इस बात से सहमत हैं कि जो कुछ २० अगस्त के आसपास कार्यवाही हुई है वह बहुत गलत है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर यही बात है तो आज हमारे सामने विधेयक मौजूद है। जो कुछ वह नियमों में रखना चाहते हैं वह आज ही क्यों न कर दिया जाय? नियमों में अल्ट्रा-वायरस होने की बात भी रहती है। इस विधेयक में नियम बनाने का कोई अधिकार भी सरकार ने नहीं रखा है। इसलिये नियम नहीं बन सकेंगे।

राजा शिवसिंहजी ने फरमाया कि वह अल्ट्रा–वायरस करार हो जायगा। अल्ट्रा–वायरस का सवाल चाहे जो भी पर्टीक्यूलर डेट रख दी जाय, न हीं उठता है। हमारे प्रदेश के एडवोकेट जनरल भी तशरीफ लाये थे और उन्होंने हाउस को बतलाया था कि इसकी कांस्टीट्यूशनल वैलीडिटी क्या है? उन्होंने कहा कि अगर कोई खातेदार है आज भी और अपनी जमीन बैनामा करना चाहता है तो वह जितने भी बैनामे कर दे आज के दिन रोके जा सकते हैं। मगर सीलिंग का जब सवाल पैदा होगा तो जरूर यह बात होगी कि जो डेट उसमें रखी जायगी उसके बाद के ट्रांजैक्शन्स के लिये कानून लागू होगा।

एडवोकेट जनरल की ओपीनियन भी इस हाउस में आ चुकी है कि डेट को फिक्स करने में वैधता और अवैधता का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। पहले माल मंत्रीजी ने कहा कि चूंकि इसको २० तारीख को पेश किया था इसलिये उसमें २० तारीख रख दी। लेकिन जिस प्रकार कि पहले इसमें १५ अगस्त रखी गयी थी, वह ज्यादा अच्छी थी क्योंकि वह एक हमारे राष्ट्रीय पर्व का दिन है और उससे भी अधिक २६ जनवरी है। इसलिये मेरा विचार है कि ऐसे क्रांन्तिकारी कानूनों को राष्ट्रीय पर्वों से प्रारंभ करना चाहिये। २० अगस्त वाली बात समझ में नहीं आती। उधर की ओर से कहा जाता है कि हम लोग उनके साथ पूरा न्याय नहीं करते हैं लेकिन ये आपके कारनामे हैं जो जनता में भ्रम पैदा करते हैं। कांग्रेस कमेटी के रिजोल्यूशन के बाद गांव-गांव में आमतौर से यह खबर फैल गयी कि उत्तर प्रदेश के केबिनेट ने यह फैसला किया है कि १५ अगस्त के बाद जितने भी ट्रान्सफर्स होंगे वे सब अवैध करार दे दिये जायेंगे। केबिनेट का फैसला जो अत्यन्त गोपनीय होता है, वह गांव-गांव में फैल गया और उसके बाद जो जमीन की चोरी हुई है उसमें सारा का सारा प्रिन्सिपल ही हमारा खत्म हो गया। तो इस समय वैधता या अवैधता का सवाल नहीं है। केवल सवाल डिजायरेबिलिटी का है। अब सवाल केवल यह रह जाता है कि कौन सी तारीख ज्यादा उचित होगी।

हां, कुछ दूसरी बात हो तो बात दूसरी है। मेरे जिले का उदाहरण है। जब जमींदारी अबालीशन ऐक्ट बना तो हमारे जिले के एक राजा साहब थे, उनकी जमींदारी में एक मेला लगता था जिससे उनको ५० हजार की आमदनी होती थी, इसलिये जमींदारी बिल में यह प्रावीजन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर दिया गया कि जो अपनी भूमिधरी में मेला लगायेगा वह संपत्ति उन्हीं की होगी। अगर १५–२० के बीच में कोई ऐसा ट्रान्जेक्शन हो गया हो जिसका प्रोटेक्शन किसी भी कारण से जरूरी हो, तब तो दूसरी बात है। वरना इसके लिये सरकार उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेह है, सदन के प्रति जवाबदेह है, उसको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिये। मेरे विचार से ऐसी फर्जी कार्यवाहियों को समाप्त होना ही चाहिये। अतः सरकार मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर ले क्योंकि इससे स्वयं उसकी शान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

श्री गेंदा सिंह––सब संशोधनों को साथ लेने में वैसे तो कोई वैधानिक कठिनाई अधिक नहीं है लेकिन फिर भी उठाई जा सकती है। अगर दोनों एक साथ हो जायं और दोनों पर अलग अलग मत ले लिये जायं तो उसमें कोई दिक्कत न होगी। मैं समझता हूं माननीय माल मंत्री जी को भी उसमें कोई ऐतराज न होगा।

श्री उपाध्यक्ष––माननीय माल मंत्री जी अभी उसको पढ़ रहे हैं। मैं दोनों को करीब करीब साथ-साथ ले लूंगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)––उपाध्यक्ष महोदय, माननीय ब्रजनारायण जी का जो संशोधन है, वह छोटा सा है और सीधा-सादा है। ९ जनवरी, १९५८ के नागपुर कांग्रेस के अधिवेशन में इस तरह का प्रस्ताव पास किया गया कि जमीन की हदबन्दी होगी। इसी तरह से जो आपने वृहत् जोत कर विधेयक यहां से पास किया उसके सम्बन्ध में मैं कुछ प्रमाण आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरी जानकारी में इस तरह के चार-पांच केस हैं, मेरे पड़ोस के ही कि किसी के ऊपर १,७०० रुपये, किसी के ऊपर २,००० रुपये और किसी के ऊपर ३,००० रुपये और ४,००० रुपये वृहत्–जोत कर लगाया गया जिसे उन लोगों ने अदा नहीं किया और अदालत में जाकर मुकदमा चला दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि सभापति से लेकर लेखपाल तक ने जाकर अदालत में बयान दिया कि ये लोग अलग-अलग हैं जब कि मैं आपसे कहता हूं कि वे लोग अलग अलग नहीं थे। उसका नतीजा यह हुआ कि सरकार को उनके ऊपर वृहत् जोत कर माफ करना पड़ा और सब लोग अदालत द्वारा अलग-अलग मान लिये गये।

इसी तरह से यह हदबन्दी वाला प्रस्ताव नागपुर में पास हुआ तो उसका नतीजा यह हुआ कि बहुत से ऐसे लोग जो एक में रहते हैं, एक में खाते पीते हैं, सारा कारोबार एक में करते हैं लेकिन जमीन के मामले में उन्होंने अपना बंटवारा कर लिया और अदालत में जाकर यह दिखला दिया कि वे अलग-अलग रहते हैं। लेकिन असलियत यह है कि उन सबका खाना-पीना एक में है, वे लोग एक साथ ही रहते हैं। तो मैं कहता हूं कि श्री ब्रजनारायण तिवारी ने जो २० अगस्त के स्थान पर १ जनवरी रखने का संशोधन रखा है वह बहुत सही है और सरकार की जो मंशा है उस मंशा की भी वह पूर्ति करता है कि ज्यादा से ज्यादा जमीन मिले ताकि उसे भूमिहीनों में वितरित किया जाय या किसी भी तरह से उस जमीन का इस्तेमाल किया जाय ताकि हमारे देश की खाद्य समस्या जो दिन पर दिन जटिल होती जा रही है उसका समाधान कर सकें। यह संशोधन इस तरह का नहीं है जिससे आगे चल कर कोई कानूनी दिक्कत पड़े। यदि इस संशोधन को मान लिया जाय तो इस अवधि में जो काफी गड़बड़ियां हुई हैं वह भी ठीक हो सकती हैं। इसलिये माननीय मंत्री जी को यह संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल से और परसों से जब से इस विधेयक पर बहस शुरू हुई है, प्रत्येक खंड पर चाहे वहां वह तर्क लागू हो या न हो, वही बात दोहरायी जाती है और विशेष रूप से हर एक का तुकांत यह होता है कि सरकार की नीयत खराब है और हर हालत में उसने कहीं गठबन्धन कर रखा है। माननीय न्याय मंत्री ने इस गंठबन्धन के सम्बन्ध में तो माननीय सदस्यों को उत्तर दिया। मान्यवर, मुझे भर्तृहरि का एक श्लोक याद आता है जो इस प्रकार है––

"अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यः विशेषज्ञः,
ज्ञान लव दुर्विदग्धम् ब्रह्माऽपि नरं न रंजयति।"

[श्री महावीरप्रसाद शुक्ल]

यानी जो बिलकुल अज्ञ है उसको बहुत जल्दी समझाया जा सकता है और उससे भी शीघ्रता से उस व्यक्ति को समझाया जा सकता है जो विशेषज्ञ है, लेकिन जो अल्पज्ञान से अपने मस्तिष्क पर अहंकार का बोझ लाद लेता है उसको समझाना ब्रह्मा के लिये भी कठिन है। मान्यवर, जहां हमारे मित्र, भाषा का सामंजस्य ठीक बैठता है कि नहीं, यह नहीं देखते, जो हमारे देश की विधि व्यवस्था है उसकी मंशा को भी स्वीकार नहीं करते, केवल एक बात उनके मन में भरी हुई है, चाहे अच्छा हो या न हो, उचित हो या न हो, व्यवहार्य हो या न हो, सम्भव हो या न हो, यह कहते जाते हैं कि हमारी नीयत खराब है। वे यह घोषित करते हैं कि इस पृथ्वी तल पर और विशेष कर इस विधान मंडल में जो उधर बैठे हुए हैं उन्हीं को देश के बनाने और देश भक्ति का एकाधिकार प्राप्त है और जितने इधर बैठे हुए हैं उनके मन में कभी देशभक्ति का भाव आरोपित ही नहीं हुआ है और न वे जनहित की चिन्ता करते हैं और न उनके मन में इस देश और प्रदेश के सर्व साधारण के कल्याण की कामना ही रहती है। वह तो उन का विश्वास लेकर आये हैं और हम उनको ठग कर यहां बैठे हैं, ऐसा वह घोषित करते रहते हैं। इस तर्क का मैं क्या उत्तर दूं।

श्रीमन्, इस संशोधन में कहा गया है कि २० अगस्त के बजाय १ जनवरी रख दिया जाय। मैं माननीय सदस्यों से यह पूछना चाहता हूं कि केवल आपके यह सोचने से कि जब यह निश्चय हो गया कि हदबन्दी होगी तो इस प्रदेश के लोगों ने समझा होगा कि उन पर इसका असर होगा और उन्होंने कोई न कोई ऐसा उपाय किया होगा कि किसी तरह वह आने वाली हदबन्दी के खतरे से बच जायं। २० अगस्त, १ जनवरी या आज से पहले सदैव ही, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया, संविधान के आर्टिकिल १९ के अधीन प्रत्येक नागरिक को सम्पत्ति अर्जित, अवधारित और क्रय-विक्रय करने का अधिकार है और उसके अलावा हमारी सामाजिक व्यवस्था में भी जो हमारी एक कानूनी व्यवस्था चलती है, हिन्दू-ला में या मुस्लिम-ला में जो अधिकार हमारे यहां लोगों को प्राप्त हैं वह ऐसे अधिकार हैं कि जिनकी रक्षा हमारे न्यायालय करते हैं। हमारे देश की जो परम्परा है उस में हमने रूल आफ ला को प्रधानता दी है, कानून सुप्रीम माना है और हम चाहते हैं कि न्याय का संरक्षण करने वाली हमारी सभी अदालतें कार्यकारिणी से स्वतंत्र रहें और आज भी हमारी न्याय की मुख्य संस्थायें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र हैं। हमारे कानून इस कसौटी पर कसे जाते हैं कि जो हमारे पहले के कानून बने हुये हैं, जो सुप्रीम-ला हैं उनसे वह संगत हैं या नहीं, अगर वह असंगत होते हैं तो ऊपर के कोर्ट्स में वह अमान्य हो जाते हैं। किसी के संवैधानिक अधिकारों पर हम रोक नहीं लगा सकते, उन के उपभोग से किसी को हम रोक नहीं सकते, केवल औचित्यपूर्ण पाबन्दी ही लगा सकते हैं। अगर हम कोई भी आरबिट्रेरी तारीख रख दें कि उसके बाद का कोई भी पारिवारिक बटवारा या हस्तांतरण न माना जाय तो संविधान की धारा १९ के अनुसार देश के उच्च न्यायालय उसको नहीं मानेंगे और कानूनी भाषा में इस विधान मंडल को कानून बनाने के अयोग्य कहा जायगा। जब उधर के माननीय सदस्य यह दोहाई देते हैं तो वह यह देखना भूल जाते हैं कि यह कैसे कानून की परिधि में है। यदि संविधान की धाराओं को आंखों से परोक्ष रख कर बात की जाय तो उस का उत्तर क्या दिया जाय। ऐसे संविधान के रहते हुये हम उधर बैठ जायं और वह इधर बैठ जांय और ऐसा कानून बना दें तो इस प्रदेश की साधारण जनता उन के उस कानून को अनेकों बार खंडित कर सकती है। तो ऐसी विधि ही क्यों बनाई जाय जिसका कि कानूनी सर्किल्स में उपहास हो। एक जनवरी को कौन सा इल्हाम हुआ कि जिसके अनुसार हम १ जनवरी रख दें।

श्री बलदेव सिंह—हमें उधर बैठने का मौका दिया जाय....

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—मौका तो जनता देती है, मैं तो दे नहीं सकता क्योंकि मैं तो सतत् आपके विरोध में हूं....

श्री उपाध्यक्ष—ऐसे मौके दिये नहीं जाते, लिये जाते हैं।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—तो मैं कह रहा था कि पहली जनवरी जो रखी है उसके तर्क में कहा कि कांग्रेस ने एक एलान किया कि सारी जोतों पर हदबन्दी की जाय। वह भी ९ तारीख थी। उस प्रस्ताव में सिद्धान्त माना गया था, इसलिये उस तारीख तक किसी को यह ज्ञात नहीं हो सकता था कि क्या हदबन्दी का स्वरूप था। हमारे प्रदेश में अप्रैल के आखिर में जब मंत्रिमंडल ने विचार किया तो कुछ विशेष बातें निश्चित कीं और माननीय मुख्य मंत्री ने २९ अप्रैल, सन् १९५९ को एक वक्तव्य दिया जिसमें बागों को हदबन्दी से मुक्त रखा गया। इसलिये बागों के सम्बन्ध में पहली मई रखी है। पहले १५ अगस्त रखी थी और विश्वास था कि १५ अगस्त या उसके पूर्व यह विधेयक सदन के सामने आ जायगा, लेकिन हम इस सदन के सामने २० अगस्त को ला सके और उसी समय से यहां की जनता को जानकारी हुई। इसलिये मुनासिब बात होगी जो हमने २० अगस्त रखी है। हम कभी भी अनौचित्यपूर्ण बातों से सम्बन्ध नहीं रखते हैं। हमारे प्रदेश की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के लिये सुखकर हो या न हो हम किसी वर्ग विशेष की सहानुभूति नहीं लेना चाहते। इस उद्देश्य से जो संशोधन रखा जायगा तो वह कदापि स्वीकार नहीं हो सकता।

श्री गेंदा सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, आप ने बड़ी कृपा की। मैं इसी समय अपना सशोधन भी उपस्थित करे देता हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुझे यह एतराज है कि जो संशोधन किया गया है बिलकुल नया है, पहले संशोधन से बिलकुल भिन्न है लिहाजा ३६ घंटे का समय होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—जो संशोधन पहले से दे रखा था उसी को स्पष्ट करने के लिये यह संशोधन दिया है, लिहाजा मैंने इसको स्वीकार कर लिया है।

***श्री गेंदा सिंह**—श्रीमन्, मेरा संशोधन है कि खंड ३ के उपखंड (ग) के स्पष्टीकरण को निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय :

"इस खंड के प्रयोजन के लिये पुत्र या पुत्र का पुत्र उस दशा में प्रथक् समझा जायगा जब भूमि प्रथक रूप से उस के नाम अभिलिखित हो, या जब १ जनवरी, १९५९ से पूर्व निबंधित तथा कार्यान्वित किसी पारिवारिक समझौते के अधीन या उक्त दिनांक के पूर्व पारित न्यायालय की किसी डिग्री द्वारा पृथक् अंश घोषित कर दिया गया हो, या उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा १२–ख के अधीन उसे पृथक् अंश दिया गया हो।"

इस स्पष्टीकरण में जो रखा गया है उसमें से तीन चीजों को मैं निकाल देना चाहता हूं। एक तो यह निकालना चाहता हूं जिस पर काफ़ी विवाद हो रहा है कि बजाय २० अगस्त के पहली जनवरी, १९५९ से जो कुछ सरकार देना चाहती है सीलिंग के विधान में वह दे। दूसरी बात पहली जनवरी, १९५९ से पहले ही अगर कोई रजिस्ट्री द्वारा पारिवारिक समझौता हो गया हो और वह कार्यान्वित हो गया हो तो उसे ही स्वीकार किया जाय। तीसरी चीज जो मैं निकालना चाहता हूं वह है "वृहत् जोतकर अधिनियम, १९५७ के अधीन उसके अंश का पृथक-करण स्वीकृत कर लिया गया हो" इन तीनों चीजों के निकालने के बाद जो रूप रहता है वह रहेगा। १ जनवरी, १९५९ के सम्बन्ध में शुक्ल जी ने बड़ा वैसा भाषण दिया है उसके उत्तर में मैं बाद में निवेदन करूंगा।

वृहत् जोतकर वाले हिस्से पर मैं कुछ निवेदन करूंगा और वह यह कि वृहत् जोतकर वाला हिस्सा बटवारा हो गया हो तो न माना जाय। टैक्स के इवेजन के नाम पर बड़ी सफलता प्राप्त करता है आदमी, चाहे वह उद्योगपति हो या कोई हो। कोल्डर साहब एक अंग्रेज विशेषज्ञ आये फायनेन्स के सम्बन्ध में। जब सेकिंड फाइव ईयर प्लान बनाया गया तो यह देखा गया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

कि कुछ अरब रुपयों की जरूरत पड़ेगी और इसका बन्दोबस्त प्रान्तीय सरकार नहीं कर सकती। इसके लिये सोचा गया कि कुछ सीलिंग सम्पत्ति पर मुकर्रर की जाय। तो इसकी छानबीन करने का काम कोल्डर साहब के सुपुर्द किया गया। उन्होंने एक रिपोर्ट दी है। ऐसे कम अक्ल लोगों की बातों को भी शुक्ल जी पढ़ लिया करें। उन्होंने यह लिखा कि हमारे देश में ढाई से ३ अरब रुपया टैक्स का इवेड होता है। इसलिये कोई सीलिंग सम्पत्ति पर लगाने की जरूरत नहीं है अगर टैक्स वसूल करने वाली मशीनरी तथा टैक्स एसेस करने वाली मशीनरी को दुरुस्त कर दिया जाय और ईमानदारी से वह काम करे तो ढाई-तीन अरब रुपया मिल सकता है कुछ मुट्ठी भर लोगों से।

उसी प्रकार श्रीमन्, मैं आप से निवदन करूं लार्ज होल्डिंग टैक्स लगाने में तहसीलों का मुझे ज्ञान है। कौन लोग टैक्स लगाते हैं, कैसे लोग बरी होते हैं, उसकी चर्चा करना व्यर्थ है, लेकिन ऐसे-ऐसे मामले सरकार के सामने आते हैं जिनमें हजारों, लाखों रुपये टैक्स के इवेड होते हैं। परिवार को अलग करा कर, आमदनी को कम करा कर किसी न किसी प्रकार टैक्स से बरी अपने को करा लेते हैं। जो टैक्स देने लायक न हों उनको तो तंग किया जाता है, लेकिन जो अधिक से अधिक टैक्स दे सकते हैं वे बरी हो जाते हैं। एक बात तो यह है कि अभी हमारी वह सारी टैक्स लगाने वाली मशीनरी मौजूद है, लेकिन मैं शुक्ल जी से जानना चाहूंगा कि अभी तो सीलिंग मुकर्रर नहीं हुआ है, पिछले वित्तीय वर्ष में वृहत् जोत-कर से कितने रुपए की आमदनी सरकार को हुई और उसके पहले वर्ष कितनी आमदनी हुई। मैं समझता हूं कि वृहत् जोतकर वाला मामला ज्यादातर तो फ़र्जी है। इसलिये उस फ़र्जी मामले पर इस पवित्र काम को नहीं रखना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि पारिवारिक समझौते को इतना वेग रखा गया है। सेलेक्ट कमेटी में इस पर बहुत झगड़ा हुआ। मैं उस सब को यहां नहीं कहूंगा लेकिन इस पारिवारिक समझौते के भीतर जब तक सीलिंग की जमीन निकल कर चली न जाय तब तक यह पारिवारिक समझौते का मुंह खुला हुआ है। अगर जैसा है वैसा रहने देते हैं तो इस पारिवारिक समझौते का मुंह खुला हुआ है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मौजूदा स्पष्टीकरण में २० अगस्त की तारीख़ भी है। उसके बाद तो मुंह नहीं खुला है?

श्री गेंदा सिंह—खुला है। उसमें शब्द हैं "२० अगस्त, १९५९ से पूर्व अनुबन्धित या कार्यान्वित किसी पारिवारिक समझौते के अधीन" अब कार्यान्वित किसको कहा जायगा? दो गवाह अदालत में खड़े हो जायंगे और भगवान को हाजिर जान कर सच कहेंगे कि साहब, ये तो अलग ही रहते हैं। तो बहस-मुबाहिसे के बाद भी मैं इस जगह पर पहुंचा हूं और मैं समझता हूं कि मंत्री जी इसी जगह पर हैं, लेकिन कोई प्रेशर उन पर ऐसा है.....

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रेशर हमारे ऊपर नहीं पड़ता है, आप कोशिश कर के देख लीजिये।

श्री गेंदा सिंह—अब कुछ वजन हमारा ज्यादा होता तो हम देखते।

तीसरी बात तारीख के सिलसिले में जरूर कहना चाहता हूं। जो कुछ शुक्ल जी ने अभी कहा वह ऐसा कहा जो मजबूर करता है कि शुक्ल जी को हम अपनी बेअक्ली की बात जरूर सुनायें और उस बेअक्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी नाम लिखायें। श्रीमन्, शुक्ल जी ने जो हम लोगों को कहा वह बड़ी दरियादिली के साथ कहा, मुझे उसको मानने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम करें क्या, उनके एक बुजुर्ग का कहा हुआ है, और वह हमारे भी बुजुर्ग हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना १९५६ में पंडित जवाहर लाल नेहरू के दस्तख़त से पास हुई,

मैं उसकी ५–७ लाइन अंग्रेजी में पढ़ने की आपसे इजाजत चाहूंगा और शुक्ल जी उसका अनुवाद मेरी तरफ़ से कर दें। मैं अंग्रेजी का अनुवाद नहीं कर सकता। उसमें लिखा है––

"Whichever course is adopted, it is important that suitable action should be taken in respect of *malafide* transfers of land. If individual holdings are taken as the basis for the enforcement of ceilings, there would be greater scope for *malafide* transfers and special measures would need to be devised to deal with the problem. It is necessary that each State should give urgent attention to the effect of *malafide* transfers made during the past two or three years with the intention of circumventing ceilings on holdings and should consider action needed to prevent such transfers in the immediate future. Transfers of land which have already taken place should be reviewed. In respect of lands, if any, retained by a transferer the question should be considered whether the ceiling should be determined as if the transfer had not taken place. In respect of future transfers also, States have to take steps to prevent transactions of a *malafide* character."

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि अब ऐसी बात शुक्ल जी इस सदन में नहीं कहेंगे। मैं समझता हूं कि अब वह पहली जनवरी, १९५९ वाली बात का विरोध नहीं करेंगे। यह किताब १९५६ की है और दो तीन वर्ष पहले से ही यह सुझाव दिया गया है कि मेलाफाइड ट्रांसफर्स रोके जायं, यानी कहने का मतलब यह है कि १९५३ से रोके जाने की सलाह है। १९५३ से रोकने की बात कही जाती है उसके द्वारा जिसके चैयरमैन पंडित जवाहर लाल नेहरू हैं और यहां बैठने वाले उनको बेअकल कह कर कहते हैं कि तुम ना लायक हो और तुमको नियम मालूम नहीं हैं, हम सारी चीजों के ठेकेदार हैं। तो श्रीमन्, यह तो बड़ी ज्यादती मालूम होती है और मैं कहता हूं कि शुक्ल जी रिवाइज करें और जैसा हमारा अमेंडमेंट है वैसा ही, उसी तरह से पास करें।

श्री उपाध्यक्ष––मैं न्याय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि राजा साहब ने जो सुझाव दिया था कि उपखंड (ग) में जितने संशोधन हैं जो ८ तक आयेंगे, उनको एक साथ ले लिया जाय और वह अपनी बात कह लें तब मंत्री जी जवाब दे दें, इसके लिये क्या वह तैयार हैं? मैं समझता हूं कि यह उचित होगा और मैं ८ तक ले लूंगा। इसी तरह से हर उपखंड में जितने संशोधन होंगे वह एक साथ ले लिये जायंगे।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)––उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (ग) के स्पष्टीकरण में जहां कहीं भी "२० अगस्त, १९५९" आया है उसके स्थान पर '१–२–५९' कर दिया जाय।

मान्यवर, हम इस समय खंड ३ पर विचार कर रहे हैं। इसमें हम देखते हैं कि जिन खातेदारों ने अपने पुत्र, स्त्री तथा अन्य संबंधियों के साथ खाते ले लिये हैं और वह विभाजन करना चाहते हैं या कर लिया है वह कौन-सी तारीख से वैध माने जायंगे। माननीय मंत्री जी ने ३ सितम्बर, १९५९ को जो भाषण दिया था उस में कहा था कि हम सीलिंग कर देंगे तो हमें ६ लाख एकड़ के क़रीब जमीन मिलेगी। लेकिन जब माननीय सदस्यों में से किसी ने पूछा कि ट्रांसफर्स के बाद कितनी जमीन मिलेगी तो उन्होंने बताया कि ४ लाख ३६ हजार एकड़ जमीन मिलेगी। लेकिन आज कहा जाता है कि हम संविधान की धारा १९ का पूरा-पूरा पालन कर पायेंगे या नहीं और उसके अनुसार हमारा किया हुआ काम रद्दी की टोकरी में चला जायगा या नहीं हमें यह देखना पड़ेगा कि संविधान की धारा १९ (५) के अनुसार जो रेस्टिवशन्स हम लगा रहे हैं वह ठीक हैं या नहीं, यह अधिकार तो कोर्ट को है, लेकिन क्या हमने अपनी जनता को आगाह कर दिया था कि तुम्हारी सीलिंग होने वाली है इसलिये तुम होशियार हो जाओ।

मान्यवर, आप देखेंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना में यह विचार उत्पन्न हुआ। उसके बाद जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने बताया १९५३ में आया, उसके बाद १९५६ में आया।

[श्री हिम्मत सिंह]

उन्होंने कह दिया कि जो मालाफाइडी ट्रांस्फर हुए हैं उनका भी ध्यान दिया जायगा। उसके बाद जैसा सोशलिस्ट पार्टी ने विमति टिप्पणी में दिया है, १०-२-५९ को संसद में घोषणा कर दी गयी। मैं यह समझ नहीं पाया कि जनता के पास खबर पहुंचने का और कौन साधन होना चाहिए कि तुम्हारे खिलाफ सीलिंग ला रहे हैं। हमने देखा कि १५ अगस्त से २० अगस्त तक जो ट्रांस्फर हुए उनमें भी १२ हजार एकड़ जमीन चली गयी। जनता को इसका पूरा-पूरा नोटिस पहुंच गया। अगर नोटिस न पहुंचता तो जो इतने ट्रांस्फर इस बीच हो गये हैं वह न हो पाते और इतनी जमीन न निकल पाती। इस कारण मैं विरोध कर रहा हूं और चाहता हूं कि २० अगस्त को हटा कर जो संशोधन मैंने रखा है वह कर दिया जाय जिससे मालाफाइडी ट्रांस्फर्स पर प्रतिबन्ध लग जाय और कुछ जमीन बच जाय जो भूमिहीन मजदूरों को मिल सके, जिन को माननीय मंत्री जी मालूम तो होता है देना कुछ नहीं चाहते। उसका मैं उचित स्थान पर विरोध करूंगा।

श्री गोविंदसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (ग) के स्पष्टीकरण की दूसरी पंक्ति में शब्द "हो" व शब्द "या" के बीच शब्द "और वह १० जनवरी, १९५९ के पूर्व से पृथक रहता हो" जोड़ा जाय तथा चौथी व पांचवीं पंक्ति में शब्द "२० अगस्त, १९५९" के स्थान पर "१० जनवरी, १९५९" किया जाय।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जैसा कि कहा अगर कोई व्यक्ति, एक परिवार का, अलग है, जैसे पत्नी या पति, आश्रित पिता तथा आश्रित माता, पुत्र तथा पुत्र का पुत्र, आदि, अगर उसका खाता अलग हो तो मौजूदा विधेयक के अनुसार हर एक को अलग-अलग हक मिल सकता है। माननीय मंत्री जी ने एक बात और बतायी और माननीय मदन मोहन जी ने भी उसका जिक्र किया और उन्होंने कानून का भी हवाला दिया कि अगर हिन्दू संयुक्त परिवार के भीतर भी किसी की प्रापर्टी में अलग है तो अलग से उसे अधिकतम भूमि देनी पड़ेगी और देना चाहिए। नैतिकता की भी दुहाई दी गई। मेरा जो संशोधन है वह जो एक तरफ से संदेह प्रकट किया गया है और जो स्पष्टीकरण दिया है दोनों के बीच का रास्ता है। क्राइटेरियन यह होता है चाहे कोई इस परिवार की परिभाषा में आता हो या नहीं कि वह अलग रहता है या नहीं। अगर अलग रहता है तो जरूर दिया जाय। मेरे संशोधन के पहले भाग का मंशा यह है।

नम्बर दो यह है कि १० जनवरी से कानून को लागू करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय शुक्ल जी अभी फरमा रहे थे कि ९ जनवरी को आल इंडिया कांग्रेस ने सीमा आरोपण की घोषणा की थी। हमारा संशोधन उसकी प्रतिष्ठा को रखने के लिए है कि ९ जनवरी को आपके नेताओं के मुखारबिन्द से निकला और १० जनवरी को उसे कार्यान्वित कर दीजिये वरना आज कल हुआ क्या है? हजारों लोग ऐसे हैं, उनको पता लग जाना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है तो दूसरे दिन से अपना रवइया बदल देते हैं और फायदा उठा लेते हैं जैसा कि मैंने अर्ज किया था किछा में वह फार्म इसका उदाहरण है जिसमें नया बोर्ड लगा कर स्पेशलाइज्ड फार्म बनाया गया है। इस विधेयक में स्पेशलाइज्ड फार्म को छूट देने की बात कही गयी है मगर उसकी परिभाषा की गई है। यह इसमें नहीं लिखा गया कि वह मुर्गी पालने वाला फार्म कब से होना चाहिये या गाय वाला कब से होना चाहिये, ताकि वह सीमा आरोपण से मुक्त हो। श्रीमन्, वह शायद प्राग फार्म है या मुझे ठीक याद नहीं है लेकिन वह साइनबोर्ड नैनीताल जाते वक्त किसी ने भी देखा होगा, दुग्ध-शाला, डेयरी वगैरह का कुछ इसी तरह का है। तो यह कानून की मंशा को डिफीट करने के लिये कितने तरीके अख्तियार किये जाते हैं।

एक माननीय सदस्य शायद गौरीशंकर राय ने कहा था कि वह रिक्शा लेकर उसके चारों तरफ घूमे और उन्होंने देखा कि वहां हाल में छोटे-छोटे पौधे लगा दिये गये हैं। To defeat the purpose of this bill all sorts of efforts have been made. श्रीमन्, माननीय

मंत्री जो ने एक बात यह कही कि कुछ कांस्टीट्यूशन की उन्होंने दुहाई दी । संविधान में यह जरूर है धारा १९ में--"All citizens shall have the right to acquire, hold and dispose of property." इतने से ही है इसका मतलब । इसके साथ ही दफा ५३, ५४ और ५५ अगर हम ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट को देखें तो अगर कोई बोनाफाइडी परचेजर है उसने कीमत का रुपया दिया है ईमानदारी से और बेचने वाला भी बेचना चाहता है, कोई फ्राड नहीं है तो उसके हस्तान्तरण को कोई असर नहीं हो सकता । लेकिन हमारे कानून में भी यह कहीं नहीं है कि १५ अगस्त के बाद हुआ बैनामा अवैध होगा । यहां पर श्रीमन्, मैं आपके सामने श्री कन्हैयालाल मिश्र, ऐडवोकेट जनरल की राय जो उन्होंने इस सदन में दी थी पढ़ देना चाहता हूं । उन्होंने श्री त्रिलोकी सिंह जी के प्रश्न के ऊपर स्पष्टीकरण देते हुये कहा था श्रीमन्, मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर रहा हूं । माननीय त्रिलोकी सिंह जी का कहना सही है कि धारा ५ में यह नहीं लिखा है कि १५, अगस्त १९५९ के बाद जो विभाजन किया जायगा तो शून्य हो जायगा । "शून्य" संविधान का शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं । वह शून्य करार नहीं दिया गया है । अगर किसी के पास ८० एकड़ जमीन है, उस ८० एकड़ जमीन को वह कुल का कुल किसी दूसरे को दे देता है तो उसकी ८० एकड़ भूमि कुल की कुल चली जायगी । इसमें जरा भी संशय नहीं है और इस धारा का यह प्रभाव नहीं होगा कि वह व्यक्ति यह कह सके कि मैंने इस धारा के विरुद्ध स्थानान्तरण किया था और इसलिये मैने जो कुछ किया था वह मेरे पास वापस किया जाये । वह ८० एकड़ चली अवश्य जायेगी, परन्तु इस धारा का प्रयोजन केवल यह है कि किसी के पास ८० एकड़ भूमि हो और उसने उसमें से ४० एकड़ दूसरे को दे दी, इसलिये दे दी कि उसके पास भी ४० एकड़ रहे, दूसरे के पास भी ४० एकड़ हो जाय और दोनों में से किसी की भूमि इस विधि के अनुसार नहीं ली जाय । यदि उसने ऐसा कर दिया और उसको १५ अगस्त, १९५९ के बाद किया तो उसके शब्द ये हैं कि "ऐसी भूमि के हस्तान्तरण या विभाजन की, जो उस हस्तान्तरण या विभाजन के अभाव में इस अधिनियम के अधीन अतिरिक्त भूमि घोषित की जाती, उपेक्षा की जायगी और उस पर विचार नहीं किया जायगा" । धारा ३ को देखिये । आगे उन्होंने यह कहा है कि ट्रांसफर तो वैलिड होगा ।

अगर आज मैं उदाहरण दूं तो अगर मेरे पास ८० एकड़ था और मैंने ४० एकड़ गेंदा सिंह जी को दे दिया । तो जिस समय बाद में मेरी भूमि अवधारित होगी, माना यह जायगा कि वह ८० एकड़ ही है । ४० एकड़ जो मेरे हक में बची हुई है वह निकल जायगी पूरी की पूरी पर बैनामे पर उसका असर नहीं पड़ेगा । मान लीजिये मैंने ४० के बजाय ५० एकड़ ट्रांसफर किया, ३० मेरे पास रह गया तो वह ३० एकड़ निकल जायगा, उसमें यह होगा कि १० जो गेंदासिंह जी के पास एक्स्ट्रा गया है जिसके वे पूरे मालिक खरीदने से हैं उसका कम्पैन्सेशन गेंदासिंह जी को मिलेगा । मगर चूंकि वे ४० ही एकड़ तक रख सकते हैं इसलिये यह १० एकड़ निकल जायेंगे, तो परपज कहां डिफीट हुआ । मेरी समझ में नहीं आता कि सीमा आरोपण विधेयक को रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट देने में माननीय मंत्री जी को क्या दिक्कत आती है क्योंकि नल ऐंड वायड होने के लफ्ज प्रयोग कहीं नहीं किये गये हैं । अगर यह भी होता कि दिस ट्रांसफर विल बी नल ऐंड वायड फार दी परपजेज आफ दिस ऐक्ट, तो भी शायद खास फर्क नहीं पड़ता । तो माननीय मंत्री जी जरा इस पर गौर करें कि इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे ९ जनवरी का रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट देने में कोई दिक्कत हो । थोड़ा संविधान को मैं और पढ़ दूं । यू० एस० ए० का सुप्रीम कोर्ट तो इतना आगे गया है कि "Reasonable restriction can amount even to total prohibition" यानी कहीं पर वह कार्य बिलकुल रोका भी जा सकता है । अपने सुप्रीम कोर्ट में भी एक आध जगह ऐसा होल्ड किया गया है कि जहां पर इस चीज को माना गया है । एक जगह पर यह है कि :—

"In the latter case of Cooverjee *vs* Excise Commissioner, the Supreme Court has now held that in proper cases, restrictions may require prohibition, e.g. in the case of trades, which are illegal or immoral or injurious to the health and welfare of the nation."

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

अब देखा जाय इसमें यह इन्जूरियस कहां नहीं है ? यानी जहां तक गरीबों को जमीन दिये जाने का सवाल है और जो सिद्धान्त हम यहां पर प्रतिपादित कर रहे हैं उसके बरअक्स अगर कोई आदमी ज्यादा रखता है और उसको इस तरफ से दूसरे आदमी के नाम ट्रान्सफर करके रखता है तो जनता के हित के लिये जो कार्य किया जा रहा है, उसके यह खिलाफ पड़ता है । आप यह चाहते हैं कि उसके पास ४० से ऊपर न बचे । अगर वह दूसरे को अपने हक में मिला ले और कानून को छल कर भूमि उसके नाम करदे तो वह सीमा से अधिक बचा सकता है ।

इसी तरीके से मंत्री जी ने यह कहा कि कानून के लगाये जाने की तारीख १५ अगस्त के स्थान पर हमने २० अगस्त कर दी है । जिस समय यहां पर एडवोकेट जनरल तशरीफ लाये थे तो उन्होंने जो कुछ यहां पर जिक्र किया था उसमें यह नहीं कहा कि १५ अगस्त के बाद हुये और २० के पेश्तर हुये ट्रान्सफर अवैध हो जायेंगे । वह ऐसा कह सकते थे लेकिन नहीं कहा । सरकार ने इस विधेयक को असेम्बली में २० तारीख को पेश किया । सरकार का कहना है कि २० तारीख के बाद जितने ट्रान्सफर होंगे वह नाजायज होंगे चाहे उनकी कीमत अदा भी कर दी गई हो । ऐसे ट्रान्सफर इन्वैलिड होंगे । लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि वे ट्रान्सफर इन्वैलिड नहीं होंगे । हम ऐसा मानते हैं कि वह ट्रान्सफर जोत निर्धारण करने के लिये जैसे हुये ही नहीं तो फिर उस कानून का क्या असर पड़ेगा ? पहली मर्तबा जब यहां पर सन् १९४६ में यह सिद्धान्त पास हुआ कि जमींदारी का उन्मूलन किया जायगा तो उसके लिये बिल आया १९४९ में और ५० में वह पास हो गया । उसमें भी रिट्रास्पैक्टिव एफेक्ट दे दिया गया कि कोई आदमी उस बिल की मन्शा के खिलाफ अगर ट्रान्सफर करेगा तो उसको नहीं माना जायगा । पहली जुलाई, १९४८ से बाद हुये हस्तान्तरणों के लिये पुनर्वास अनुदान निर्धारण हेतु ऐसा माना गया । अगर इस सम्बन्ध में जमींदारी उन्मूलन कानून की धारा २३ को पढ़ लिया जाय तो मालूम हो जायगा । इसमें वह धारा नहीं है कि अगर कोई जमीन १९४८ के बाद बेची जायगी तो बेची हुई नहीं मानी जायेगी । मन्शा उनका यही था कि बड़ी जोत को छोटा करने पर वह पुनर्वास अनुदान नहीं मिलेगा । पुनर्वास अनुदान पाने के लिये जिसने अपनी जोतें छोटी कीं और दूसरों के हाथ भूमि को ट्रान्सफर कर दिये ताकि उसकी जोत छोटी हो जाय और उसको पुनर्वासन अनुदान भी मिल जाय उस व्यवस्था से वह सफल नहीं हो पाया । ऐसे वह १ जुलाई, १९४८ से माना गया जब कि असेम्बली के सामने वह बिल भी नहीं था । उस समय पता भी नहीं था कि उस कानून के अन्दर क्या व्यवस्था भविष्य में होगी । कोई भी रूप-रेखा उस समय असेम्बली के सामने जमींदारी उन्मूलन की नहीं थी । उसको बाद में हाईकोर्ट में चैलेन्ज किया गया और सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेन्ज किया गया पर सब जगह वह अधिनियम Valid रहा । जब इस तरह के उदाहरण मौजूद हैं तो फिर इनका अनुकरण करने में सरकार के सामने क्या अड़चन है ? जिस सिद्धान्त को सरकार ने मान लिया है और जिस सिद्धान्त को एक बार प्रतिपादित भी कर दिया है, और नागपुर कांग्रेस के समय प्रस्ताव पास करके माना है आज वह अपनी ही उन बातों को भी नहीं मान रही है । यह कैसी बिडम्बना है ? माननीय गेंदासिंह जी ने अभी कुछ द्वितीय योजना की रिपोर्ट को पढ़ा । तृतीय पंचवर्षीय योजना की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसकी कुछ लाइनें मैं आपकी इजाजत से पढ़ना चाहता हूं !

"In recent years transfers of land have tended to defeat the aims of legislation for land reforms. In the Second Five-Year Plan it was suggested that measures would need to be devised to deal with the problem of *malp-fide* transfers. Since it is difficult to distinguish between transfers which are *malafide* and those which are *bona fide*, it would seem desirable that all transfers made after the date of the publication of the ceiling proposals or an earlier date as may be prescribed in view of the local conditions, should be disregarded in computing the ceiling limit for any person or family as the case may be."

श्रीमन्, यह जो प्लान के लिये कमेटी है उसके निर्माण या रचना में हमारे गेंदा बाबू या मैं नहीं होते उसमें तो हमारे मुख्य मंत्री जी और डेवलपमेंट कौंसिल के सदस्य बैठ कर विचार करते हैं। उन्होंने इतनी बड़ी घोषणा कर दी।

१५ अगस्त की पवित्रता की इस बिल को पेश करते समय बहुत दुहाई दी गई, लेकिन वह सब आज खटाई में पड़ गयी। आज मंत्री जी पुरानी बातें भूल गये।

वीरसेन जी ने जो उधर के सदस्य हैं, कहा था कि उस कमेटी में जमींदारों के नुमाइन्दों को रखा गया, फार्म होल्डर्स को रखा गया जिन्होंने प्रवर समिति में इस विधेयक के साथ न्याय नहीं किया। और यह प्रश्न उन्होंने कांस्टीट्यूशनली उठाया था। एक प्रकार से उन्होंने कहा कि सेलेक्ट कमेटी पर उनको विश्वास नहीं रह गया है। वे कांग्रेस वालों के घर के आदमी हैं, जो भीतर की बातें कह सकते हैं। वहां का गड़बड़-घोटाला अच्छी तरह से समझ सकते हैं, मैं तो उतना नहीं कह सकता। बरेली के पास कुछ फार्म होल्डर्स हैं, शायद उस बीच उनकी सीमाओं में कुछ रद्दोबदल हुई है। भगवान जाने यह सब कहां तक सच है। मैंने एक सवाल पूछा था तो उसके जवाब में मुझे पता चला कि १५ और २० अगस्त के बीच में १२ हजार एकड़ से ज्यादा कुछ जमीन प्रदेश में ट्रान्सफर हुई है। इस के साथ ही मैंने पूछा था कि कितने बटवारे हुये, तो उस के लिये कहा गया कि आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं। (व्यवधान होने पर) राजा साहब जगम्मनपुर बीच में अपने पर क्यों शक कर रहे हैं। मैं तो उन के लिये नहीं कह रहा, उनका नाम भी मैंने नहीं लिया। उनको क्यों फिक्र होने लगी। लेकिन पता चला है कि उनकी जमीन सब लड़कों के नाम है। तो जब इतने ट्रान्सफर हुये हैं तो भगवान जाने फैमिली सेटिलमेंट कितने हुये हों। तो सरकार पर मेरा गंभीर आरोप है कि यह बिल केवल जनता को खुश करने के लिये लाया जा रहा है इससे गरीबों को मिलने वाला कुछ भी नहीं है। इसलिये माननीय मंत्री जी यदि इस बिल के सिद्धांतों में और अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में विश्वास रखते हों तो भगवान के लिये १० जनवरी की बात मानें।

श्री उपाध्यक्ष--(श्री अवधेश प्रतापसिंह से) आप अपना भाषण बहुत संक्षेप में दें।

***श्री अवधेश प्रताप सिंह**--मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड ३ के स्पष्टीकरण में पंक्ति ३ से "जब २० अगस्त, १९५९ से पूर्व" तथा पंक्ति ४ से "अथवा २० अगस्त, १९५९ को तथा उक्त दिनांक के पूर्व पारित" निकाल दिया जाय।

मैं पहले अपने संशोधन के समर्थन में कुछ कहूंगा और फिर माननीय मित्रों ने जो कहा है, उसका उत्तर दूंगा। मेरे इस संशोधन को रखने का मतलब यह है कि इस पर किसी तरह का कोई नियंत्रण न रखा जाय क्योंकि जब तक यह कानून दोनों सदनों से पारित नहीं हो जाता और उस पर गवर्नर महोदय की स्वीकृति नहीं मिल जाती, तब तक किसी तरह की पाबन्दी लागू नहीं की जा सकती। यह प्रश्न, जब हम विधान सभा में आये, उसी समय हमने उठाया था और उस समय उस संबंध में श्री कन्हैयालाल मिश्रा, एडवोकेट जनरल भी यहां पधारे थे और उन्होंने इस संबंध में एक बयान भी दिया था। यह ठीक है कि मैं वकील नहीं हूं, मैं वकालत नहीं करता हूं, लेकिन महज वकील होने से या वकालत पास होने से यह नहीं समझा जा सकता कि वही आदमी कानून को समझ सकता है। उस समय उन्होंने जो बयान दिया, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसमें कोई तथ्य नहीं था। मैं आज भी यह कहता हूं कि यह संविधान के विरुद्ध है। इस तरह का कोई प्रतिबन्ध आप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि संविधान की धारा १९(च) में सम्पत्ति के अर्जन धारण और व्ययन का, हर नागरिक को अधिकार दिया हुआ है। आप किस तरह से उसके विरुद्ध कोई प्रतिबन्ध लगा सकते हैं? इसलिये आप यह न समझें कि एडवोकेट जनरल की राय आपके पास है इसलिये यह वैध है, मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि यह अवैध है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

१५ अगस्त, २० अगस्त, १ जनवरी या २ जनवरी, जो कुछ भी आप रखते हैं उससे यह मालूम पड़ता है कि आप उत्तर प्रदेश में सीलिंग करना चाहते ही नहीं । अगर आप चाहते हैं, तो आप यह प्रतिबन्ध न लगाइये । इन अधिकारों पर आप प्रतिबन्ध तब लगा सकते हैं जब कि वे उचित हों, समुचित हों, जनहित में हों । मुझे यह कहना है कि यह प्रतिबन्ध न तो उचित है, न समुचित है और न जनहित में ही है ।

श्रीमन्, सब से बड़ी आपत्ति यह कही जा रही है कि बटवारा हो गया जब से सीलिंग आई । जायदाद और जमीन बेच दी गयी । मैं समझता हूं कि जिस जमींदार ने यह नहीं किया वह मूर्ख था । मैं तो दूसरी तरह से पेश करता हूं कि हमारा मौलिक अधिकार था । हमारे माननीय सदस्य ललकार रहे थे कि इन्होंने बटवारा कर लिया । मैं यह डिक्लेयर करता हूं कि मेरे पास सीलिंग से सरकार को जमीन मिलेगी, जो इस तरफ या उस तरफ के माननीय सदस्य देखना चाहे वह फैजाबाद चलकर तहसील के कागजात से मालूम कर लें । उत्तर प्रदेश में इसके पूर्व भी फ्यूचर सीलिंग, भविष्य पर एक सीमा निर्धारित हुई थी साढ़े १२ एकड़ की माननीय सदस्य बगैर इस भूमि सुधार के इतिहास को पढ़े ही बिना उसकी पृष्ठभूमि को देखे कह रहे हैं कि यह विभाजन हो रहा है, आज खेती बेच रहे हैं, लेकिन खेती बिकवाने का श्रेय चौधरी चरण सिंह पर है, जबकि बृहत जोतकर आया । इस सीलिंग के फलस्वरूप नहीं बिकी है जमीन । अगर वह कानून रहता तो इस सीलिंग की कोई जरूरत नहीं होती । किसी की हिम्मत नहीं थी कि जो पैदा न कर सके और वह जमीन रख सके । ऐग्रिकल्चरल इनकम टैक्स इनकम पर टैक्स था और बृहत जोतकर प्रापर्टी पर था । उदाहरण के लिये मेरा केस ले लिया जाय ।

जहां तक १५ अगस्त के लिये कहा जाता है कि २० अगस्त को विधेयक इस सदन में उपस्थित किया गया था इस वजह से वह तारीख बदल दी गई, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार को पूरा मजाज है, उनके अधिकार क्षेत्र में है कि जो विधेयक लावे उसको वापस ले सकते हैं । यह भी अधिकार सदन को है कि उसको पारित करे या फेंक दे । यह भी स्टेज आ सकता है कि बिल को किसी भी स्टेज में सरकार वापस करे या प्रेस करे । २० या १५ में कोई अन्तर नहीं, इसमें कोई तथ्य नहीं है जबकि फ्यूचर सीलिंग मौजूद है और १५-२०, साढ़े बारह तक किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, हुआ क्या है ? फ्यूचर सीलिंग अपनी जगह पर है । अगर हमने बेचा है तो उसके हाथ बेचा है जिसके पास १२ १/२ एकड़ से कम है, लिहाजा हमने कोई कार्य ऐसा नहीं किया है जो कि जनहित के विरुद्ध हो । मैं फंडामेंटल क्वेश्चंस रेज कर रहा हूं महज यह कह देने से कि ऐडवोकेट जनरल की ओपीनियन ऐसी नहीं है, मैं अपना कमेंट नहीं कर सकता, यह कोई राज्यपाल महोदय का भाषण नहीं है । मैं कहता हूं कि सरकार पूरा विचार करे इस विषय पर ।

अब हमारे माननीय सदस्य वकील रह चुके हैं । मैं तो देहाती हूं । मंत्री महोदय अपने को महादेहाती कहते हैं, मैं अपने को महा-महा देहाती कहता हूं ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---आप अपने को महा-ब्राह्मण कहिये ।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---वह फख्र इन्हीं को है, मुझे तो ठाकुर कहलाने का फख्र है ।

मान्यवर, हमारे एक मित्र जो कि पहाड़ के वकील हैं उनका कहना है कि यू० पी० जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में इस प्रकार का प्रतिबन्ध रखा गया था । लेकिन उस समय न तो कांस्टीट्यूशन था न आर्टिकल १३ और १९ ही अपनी जगह पर थीं । अगर कांस्टीट्यूशन होता तो उस ऐक्ट का भी वही हश्र होता जो कि तमाम कानूनों का हो चुका है । मैं तो मान्यवर, एक देहाती ही हूं, लेकिन अगर एक वकील की ओर से ऐसी बात कही जाय तो ठीक नहीं मालूम होता । विंट जो ने ऐडवोकेट जनरल की स्पीच में से कुछ कोट भी किया, लेकिन उन्होंने गलत कोट किया ।

उनकी स्पीच में लिखा है कि कोई भी हस्तान्तरण या विभाजन जो १५ अगस्त, १९५९ के बाद किया जायगा वह अतिरिक्त भूमि होने से बच नहीं सकेगा। उस समय माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने वायड क्या है और वायडेबिल क्या है, इसका फर्क निकाला था। उसको मैं भी समझता हूं।

एक माननीय सदस्य ने कहा मिसाल के लिये अगर मेरे पास ८० एकड़ जमीन है, मैंने उसमें ३० एकड़ अपने पास रखी और ५० एकड़ १५ अगस्त के बाद गेंदासिंह जी को दे दी तो वह ५० एकड़ शुमार नहीं होगी। दफा ४ के अनुसार वह अतिरिक्त भूमि में आयेगी। एडवोकेट जनरल ने कहा था कि जब-जब इस प्रकार का प्रश्न उठा है, हमारे उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायलय में भी जजों ने इसी बात को माना है कि इस बात का निर्णय कि कोई विधि सार्वजनिक हित में है या नहीं इसमें विधान मण्डल की राय यदि उन्होंने किसी सीमा का उल्लंघन न किया हो मान लेना चाहिये।

तो मेरा कहना यही है कि आप इस पर पुनर्विचार करें, हो सकता है कि मैं ही गलत होऊं। विधान मण्डल की राय मान ली जाती है यदि सीमा का उल्लंघन न हुआ हो। मैं कहता हूँ इस में सीमा का उल्लंघन हो रहा है। अगर वह ऐडवोकेट जनरल थे उनको समय की कमी नहीं थी; उनके लिये सब साधन उपलब्ध थे। वह कौन से समय पर सीमा होती है जिसके उल्लंघन करने के उपरान्त यह अधिनियम अवैध घोषित किये जाते हैं। लेकिन उन्होंने इस में ऐसी कोई चीज नहीं रखी।

ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट का हवाला वकील साहब देते रहे। यहां पर मेलाफाइडीज का कोई सवाल ही नहीं है। अगर मैं उन्हीं की बहस मान लूं वह कहते हैं कि यह कहीं नल और वायड नहीं डिक्लेयर किया जा रहा है, ट्रान्सफर सिर्फ इग्नोर किया जायगा तो अगर इग्नोर किया जायगा तो ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट में फिर कहां उसका सम्बन्ध आता है? मैलाफाइडीज कहां साबित होती है? बहुत सीधी-सी बात है। वह अपनी बहस से ही कटे जा रहे हैं।

इस सम्बन्ध में सरकार की तरफ से अगर यह कहा जाय तो उसके लिये मैं इन्तजार जरूर करूंगा, मन्त्री जी इस पर प्रकाश डालें। एक ऐक्ट बनाया जाता है, अधिकार दिया जाता है। कल कोई सदस्य कह रहे थे पेड़ कटवा डाले जायं और उसके हिमायती गेन्दा सिंह जी हैं, कोई कहते हैं कि ७ मन पर सर्किल रेट लगाया जाय। मैं समझ रहा था कि अकबर, हुमायूं या जहांगीर का वक्त है जहां लगान चाहे काइन्ड में लें या कैश में लें, मुआवजा देने का अधिकार पैदावार पर रखा जाय। सन् १९६० में इस तरह के भूमि सुधार में जब लोग संशोधन लाते हैं तो मैं समझता हूँ लोग न बोलें तो अच्छा हो, और अगर बोलें तो कहें कि भूमि सुधार नहीं है बल्कि जितनी भूमि जिसके पास हो उसको सीधे ले लीजिये, कोई मुआवजा न दीजिये। माननीय झारखण्डेराय जी को अपने शिखर पर पहुंचने के लिये इन्तजार करना चाहिये। आशा है सदन मेरे संशोधन का समर्थन करेगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन---उपाध्यक्ष महोदय, इस ढंग से तमाम तरमीमें पेश की गयीं और मुख्तलिफ तर्क लोगों ने दिये कि मैं कन्फ्यूज्ड हूं किसका जवाब दूं और किसका न दूं। अभी हमारे मित्र अवधेश प्रताप सिंह जी ने कहा कि एडवोकेट जनरल की राय पर सरकार को बड़ा गर्व नहीं होना चाहिये क्योंकि उनकी राय सही नहीं। आपने यह तरमीम पेश की कि अगर किसी किस्म की रुकावट ट्रान्सफर वगैरह में की जायगी तो वह अवैधानिक होगी। हमारे मित्र धारा ८ जमींदारी अबालीशन ऐक्ट को भूल गये जिसमें ८ अगस्त, १९४६ तारीख रखी गयी थी। अगर कोई मुहायदा उसके बाद इंटरमीडियरीज के साथ होगा तो वह इगनोर किया जायगा। हमारे मित्र भूल गये धारा ७७ जिसके अनुसार ट्रस्ट और वक्फ अगर ८ अगस्त, ४६ के बाद क्रियेट किये जायंगे तो वे भी इगनोर किये जायेंगे रिहैबिलिटेशन ग्राण्ट के साइयुन करने में। इतनी पाबन्दियां थीं और वह विधेयक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

में चैलेंज भी किया गया और एक-एक धारा उसकी वैध मानी गयी। ऐसा फैसला होते हुए अगर हम गर्व न करें तो क्यों न करें। हमारे मित्र उन मुकदमात में पैरोकार थे और बड़ी दिलचस्पी के साथ पैरवी करते थे। बड़े-बड़े लाइयर आये थे, लेकिन बाबजूद तमाम कोशिशों के हमारा वह विधेयक बैध करार हुआ जिसमें इतनी बन्दिशें थीं। इसमें तो थोड़ी बन्दिश है।

२० अगस्त की जो तारीख हमने मुकर्रर की है यह वह तारीख है जिस दिन बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। जमींदारी अबोलीशन ऐक्ट ४ जनवरी, ५१ को पास हुआ और ४६ से वह लागू किया गया, ४ वर्ष पहले। तो उसके रखने की एक वजह थी। ८ अगस्त, ४६ को बिला वजह तारीख मुकर्रर नहीं की थी। उसकी रिलेवेंसी थी। इसी सदन में उस वक्त मैं मेम्बर भी था और मंत्री भी था। उस तारीख को सदन ने प्रस्ताव पास किया तो उससे तमाम सूबे को नोटिस हो गयी कि ऐसा विधेयक आने वाला है। लिहाजा वह एक रिलेवेंट डेट थी। इसलिये ८ अगस्त, ४६ रख दी गयी। हमारे मित्र अपनी राय रखते हैं। उनको अधिकार है, उसमें मैं बाधा नहीं डाल सकता। मैं समझाने की कोशिश जरूर कर सकता हूं। हमारे पास ऐसे सबूत हैं जिनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह बिलकुल वैध है इस प्रकार की पाबन्दी लगाना।

(इस समय ४ जब कर ९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

गेंदा सिंह जी ने एक प्रस्ताव पेश किया है कि १ जनवरी, ५९ कर दिया जाय। यह बिलकुल इर्रिलवेंट है। अगर इसको मान लेते हैं तो हमारा ऐक्ट जरूर अल्ट्रावायरस हो जायगा, यहां मैं अवधेश प्रताप सिंह जी से समहत हूं। ऐसा खतरा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतनी मशक्कत के बाद यह सब हो, उसके बाद हमारा ऐक्ट अल्ट्रावायरस हो जाय यह बात नामुनासिब और अनुचित होगी। इससे हम एग्री नहीं करते। दूसरी बात उन्होंने कहीं कि फैमिली सैटिलमेंट रजिस्टर्ड तथा कार्यान्वित होना चाहिये। जो कानून जानते हैं वे इस बहस से इत्तफाक करेंगे कि फैमिली सैटिलमेंट के जरिये रजिस्टर्ड डीड भी होता है और ओरल भी हो सकता है बशर्ते कि ओरल के बाद एक मेमोरंडम भी लिखा गया हो जिसकी रजिस्ट्री लाजमी नहीं है। यह हमारा कानून इस वक्त है। इनकी तरमीम यह कहती है कि वह रजिस्टर्ड भी हो और कार्यान्वित भी हो। कानून से हमें इस वक्त अधिकार मिला हुआ है कि हम केवल रजिस्ट्री करा दें, चाहे कार्यान्वित हो या न हो, वह वैध माना जायगा। जैसे सेल डीड का है, हमने बैनामा लिख दिया, लेकिन जिसके हक में बैनामा लिखा उसको कब्जा अगर नहीं मिला तो यह कार्यान्वित तो हुआ नहीं। अगर इस तरह का कानून हो तो बैनामा उसी वक्त वैध समझा जायगा जब कि कब्जा भी साथ-साथ दे दिया जाय। हिबा में कब्जा देना जरूरी है, लेकिन बैनामे में कब्जा देना जरूरी नहीं है। जैसे ही दस्तावेज तकमील हो गयी परचेजर के हक में टाइटिल पास हो जाता है और उस टाइटिल के आधार पर परचेजर पजेशन भी क्लेम कर सकता है और अगर कोई नाजायज कब्जा किये रहता है तो उससे डैमेजेज पाने का भी उसे हक हो जाता है। तो हमार केस ला भी यही है कि फैमिली सेटिलमेंट रजिस्टर्ड हो जाय, कार्यान्वित हो या न हो वह वैध होगा। लिहाजा जो तरमीम है उसे मैं ठीक नहीं समझता।

लार्ज होल्डिंग टैक्स के बारे में हमारे भाई गेंदासिंह जी ने तरमीम रखी है कि वह निकाल दी जाय। पहले जो तरमीम रखी थी उसमें कंसालिडेशन से जो पार्टीशन होते थे उसे भी निकाला था, बाद को कुछ सोच कर और दया कर के उसको तो रखा लेकिन लार्ज होल्डिंग टैक्स के बारे में उनका कहना है कि इसमें गड़बड़ी हुई हैं और बेईमानियां हुई हैं और इस तरह से हुये पार्टीशन नहीं मानने चाहिये। मैं अर्ज करूंगा कि जुडिशियल कोर्ट के सामने वे मामलात पेश हुये और जरूरी इन्क्वायरी के बाद जुडिशल कोर्ट ने फाइन्डिंग दी कि बाप से लड़का अलग समझा जायगा और बाप से उसकी जायदाद जोड़ी नहीं जायगी लिहाजा पूरा टैक्स देने के लिये वह बांउड नहीं होगा। अब हमारे बस में तो यह है नहीं कि मैं यह कह दूं कि उन अदालतों के फैसले गलत हैं

क्योंकि हम अपीलेट कोर्ट नहीं हैं और हम उनके जजमेंट पर क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते । तो यह भी हमारे सामने दिक्कत है लिहाजा इसको भी मानना हमारे लिये मुश्किल है ।

जहां तक माननीय गोविन्दसिंह विष्ट के तर्क का सम्बन्ध है, उन्होंने कहा कि आर्टिकिल १९ आफेन्ड नहीं होता क्योंकि इग्नोर करते हैं इल्लीगल नहीं कहते हैं । मैं यह कहता हूं कि अधिकार है हर आदमी को अपनी जायदाद ट्रांसफर करने का अन्डर दि कांस्टीट्यूशन । उसके ट्रांसफर्स इग्नोर क्यों न किये जायं इसकी कोई वजह मालूम नहीं होती । यह युक्ति हमारे मित्रों ने दी और यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कम्पलीटली राइट्स का इंज्वायमेंट बंद क्यों किया जा सकता है और मिसाल दी कि जैसे इम्मोरल ट्रेड है । यह तो वाकई बंद कर दी जाय, लेकिन Transfer of a land is not an immoral trade. लिहाजा इस तरह का उदाहरण देकर यह कहना कि इसके आधार पर इसको कम्पलीटली बैन किया जा सकता है । यह बात मेरी समझ में नहीं आई । डर के मारे बोले नहीं, यह बात दूसरी है । लेकिन हमें तो अपनी ड्यूटी करना है और जो सही बात हो उसी को कहना है । इसलिये आपकी बहस मेरी समझ में नहीं आई ।

इसके अलावा और जो तरमीमें हैं वह सब तारीख के बारे में हैं और श्रीमन्, अगर सब अमेंडमेंट को पढ़ें तो मालूम होगा कि कोई पहली जनवरी कहता है, कोई दस जनवरी कहता है और कोई फरवरी कहता है यानी कहने का मतलब यह है कि इत्तफाक राय उधर भी नहीं है और सब एक दूसरे से डिफर करते हैं । इसलिये हमारे लिये बड़ी मुश्किल है कि गेंदासिंह जी की पहली जनवरी की बात मानें या विष्ट जी की दस जनवरी की बात मानें या हिम्मतसिंह जी की फरवरी की बात मानें । हम किसी की नहीं मानेंगे । हम अपनी मानेंगे ऐसी सूरत में हमारे लिये दिक्कत है और जो तारीख निश्चित करने के सम्बन्ध में बातें कही गई थीं उनको मैं दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता । आपको पसन्द आये या न आये लेकिन हमारे लिये मजबूरी है । हम वह तारीख रखना चाहते हैं जिसकी बीयरिंग हो और रेलीवेंसी हो । अगर हम इन तरमीमों को नहीं मानते हैं तो हमारे मित्र क्षमा करें । मुझे इतना ही कहना है कि कलेक्टिवली मैं सबकी मुखालफत करता हूं ।

श्री गोविंदनारायण तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ३ के स्पष्टीकरण में " निबंधित या कार्यान्वित" के स्थान पर. . . .

श्री अध्यक्ष—उस समय आप नहीं थे इसलिये अब इसको पेश नहीं कर सकते ।

***श्री गेंदा सिंह**—श्रीमन्, माननीय माल मंत्री जी ने जो कहा है उससे मैं एग्री नहीं करता हूं । हम लोगों ने भिन्न-भिन्न तारीखों के लिये कहा है तो जैसा कि हमारे एक भाई ने कहा कि हमारी बात मान लीजिये तो उनकी ही बात वह मान लेते । लेकिन उन्होंने कहा कि हम किसी की मानने वाले नहीं हैं । हम अपनी मानने वाले हैं । हम जानते हैं कि इस विधेयक का क्या असर पड़ने वाला है ? हमें ऐसा लगता है कि जैसे बालू में से तेल निकालने की बात की जाय वही हम कर रहे हैं । ऐसा व्यर्थ का श्रम मैंने आज तक इस सदन में कभी नहीं किया । जब मंत्री जी मानने वाले नहीं हैं तो जितना कम परिश्रम किया जाय वही ठीक है । अब मैं इसको वापस तो नहीं लेता हूं ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि जमींदारी एबालीशन ऐक्ट में ८ अगस्त १९४६ तारीख रखी गई थी और उसके लिये यह शब्द रखा गया था कि इग्नोर किया जायगा । उस बिल में भी इस शब्द का प्रयोग हुआ था कि इग्नोर किया जायगा । उस समय सार्वजनिक भूमि के बारे में प्रतिबन्ध था निजी भूमि पर नहीं । आज सार्वजनिक और निजी भूमि के झगड़े को ले कर हाई कोर्ट में गांव समाज मुकदमा लड़ता रहता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

है और उसे हार खानी पड़ती है। वह सार्वजनिक जमीन जिसका जमींदारों ने बन्दोबस्त कर दिया वह व्यक्तिगत मिल्कियत हो गयी।

मैं माननीय मंत्री का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो उनके लिये शोभा की बात हो सकती है। अगर माननीय शुक्ला जी अपनी वह अक्ल विधेयक के इस खंड में इस तरह लगाते कि संयुक्त परिवार की परिभाषा किस प्रकार की जाय और अधिक से अधिक भूमि बचायी जा सके तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन अक्ल उन्होंने इसमें लगायी कि किस प्रकार तोड़-मरोड़ कर बटवारे को ऐसा रूप दिया जाय जिसमें अधिक से अधिक भूमि निकल जाय। पहले तो बटवारा हम उसको मानेंगे जो पहले से किसी के नाम खाता दर्ज हो गया हो, चाहे वह रोटी एक में खाता हो, चाहे सम्मिलित खेती हो। दूसरा नियम यह है कि या तो २० अगस्त के पहले बटवारा हो चुका हो या २० अगस्त को किसी कोर्ट में बटवारे का मामला विचाराधीन हो या किसी अनुबन्ध या पारिवारिक समझौते के मुताबिक वह कार्यान्वित हो चुका हो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि वह डिवीजन की दुहाई देते हैं, लेकिन जहां चकबन्दी ऐक्ट लागू है वहां डिवीजन होगा और इस ऐक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे मंत्री जी बड़े उद्योगी हैं, पुरुषार्थी हैं महाभारत के भीष्म की तरह। लेकिन उनको अक्ल तब आयी जब १८ दिन महाभारत बीत गया। अन्त में उनकी भी अक्ल ठीक हो गयी। इसी तरह से अक्ल के ठेकेदार मंत्री जी को भी देखना है। इस ऐक्ट के लागू होने के बाद भी जब किसान को जमीन नहीं मिलेगी, तो शायद उनको भी वही परिणाम भोगना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री गोविंदसिंह विष्ट---माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दुर्भाग्य यह है कि जब मैं बोल रहा था तो माननीय मंत्री जी पीठ लौटा कर पीछे कुछ बातें कर रहे थे।

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं कान से सुनता हूं, आंख से नहीं सुनता हूं।

श्री गोविंदसिंह विष्ट---लेकिन माननीय मंत्री जी की भाव भंगी से ऐसा लगता है कि शायद वह पीठ से भी सुनते हैं।

मैंने करीब १०-१५ मिनट लिये, लेकिन माननीय मंत्रीजी ने कुछ सुना नहीं। उनके पल्ले केवल Immoral ही पड़ा। मेरी बातों का उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया। मैंने कतई नहीं कहा कि लैंड का ट्रांसफर immoral हुआ करता है। मैंने सुप्रीम कोर्ट की नजीर देते हुए यह कहा था कि अगर कोई चीज इम्मारल हो तो उसका संविधान के अनुसार कम्प्लीट प्राहिबिशन भी हो सकता है। लेकिन यहां पर ट्रांसफर आफ लैंड इम्मारल चीज नहीं है। हम यह भूल गये हैं कि हम यह बिल इस लिये ला रहे हैं कि गरीब लोगों को जमीन मिल सके। इसके लिये हमने सटेन रेस्ट्रिक्शंस लगा दिये। इसलिये मैक्सिमम जमीन जो होल्ड कर सकता है उतना भर उसको दिया गया। तो अपने प्रयोज्य भूमि के अतिरिक्त भूमि को कोई कानून को धोका देने के लिये Transfer करे तो वह कार्य शायद immoral की परिभाषा में खिच कर लाए जा सके क्योंकि उससे गरीब का गला कटता है। मैंने जो सारा तर्क देने की कोशिश की वह यह कि हम किसी पुराने कानून के परपज को डिफीट नहीं कर रहे हैं। यहां पर बैनामे के ट्रांसफर के या ऐसी किसी चीज के खिलाफ सिर्फ एक कानून पड़ता है और वह है ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट। उसकी मंशा के अनुसार अगर कोई ट्रांसफर हो गया हो, in good faith & for Consideration हो तो वह इनवैलिड नहीं होगा। मैंने प्रमाण में यह बात दी थी जो माननीय कन्हैयालाल मिश्र, ऐडवोकेट जनरल ने कहा था इसी सदन में कि इस बिल के प्रयोजनों के लिये अगर कोई हस्तान्तरण करता भी है १५ अगस्त के बाद भी करता है तो वह भी सीलिंग के अवधारण के लिये माना जायगा कि जैसे वह हस्तान्तरण न हुआ हो। इस सिलसिले में उन्होंने कहा था कि अगर किसी के पास ८० एकड़ जमीन है। उसमें से ४० एकड़ उसने बेच दी, तो जिस समय सीलिंग निर्धारित

की जायगी, उस समय यह माना जायगा कि उसके पास ही वह जमीन रही और जो ४० एकड़ उसके पास बच गई है वह ले ली जायगी। अगर ५० एकड़ उसने हस्तान्तरित कर दिया तो ३० एकड़ जो अवशेष रह गई है, बेचने वाले की, वह उसकी जायगी और दूसरे आदमी ने चूंकि १० एकड़ ज्यादा खरीद ली है तो वह १० खरीदार के हक से चली जायगी। लेकिन बैनामा वैध माना जायगा। जब बैनामे में कोई असर पड़ता ही नहीं तो हम इस सीमा निर्धारण अधिनियम को रिट्रास्पैक्टिव इफेक्ट दे सकते हैं। इसलिये मैंने माननीय मंत्री जी से अर्ज किया था कि यह धारा संविधान की जिसका वह जिक्र कर रहे हैं आर्टिकल १९, उसमें जो रीजनेबिल रेस्ट्रिक्शंस हैं उन रेस्ट्रिक्शंस के अन्दर ही हमारी बातें आ जाती हैं।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठिए।

श्री टीकाराम पुजारी—मैं बैठूं तो, लेकिन सदा मेरे ही ऊपर दया होती है, टाटा बिरला के लिये कभी नहीं कहा है आपने, कि बैठ जाइए। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है श्रीमन्, मैं चुपचाप बैठ जाता हूं, लेकिन हर वक्त कोशिश रहती है मेरे ही ऊपर कृपा करने की। मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि हमारे मंत्री जी जो बड़े गौर से सुन रहे हैं और उनकी मैं प्रशंसा करूंगा कि वह बात हमारी सुनते हैं और सुनते सुनते कभी पीठ इधर कर लेते हैं, कभी आवाज बदल देते हैं। लेकिन श्रीमन्, हठीली नहीं चलेगी। कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था कि सच्ची बात को मान लो। लेकिन उसने नहीं माना। तब कृष्णजी ने कहा कि जाओ तुम्हारा आखीर आ गया है। तो अब सन् ६२ में इनका भी आखीर आ गया है। अगर नहीं मानेंगे हमारी बात तो इनका भी आखीर आ गया है।

श्री अध्यक्ष—यह अव्यवस्था का प्रश्न था। (हंसी)

श्री गोविंदसिंह विष्ट—अगर हम इसको रिट्रास्पेक्टिव एफक्ट देते हैं। तो म माननीय मंत्री जी से फिर अर्ज करूंगा तो उसमें कोई कठिनाई नहीं है। श्रीमन्, सन् ४९ में जमींदारी उन्मूलन विधेयक यहां पर लाया गया और सन् ५० में पास हुआ। उसमें धारा २३ है। जिसमें लिखा है कि पहली जुलाई सन् ४८ से हुए हस्तान्तरण इस बिल के प्रयोजनों के लिये यानी रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट के लिये अवैध माने जायेंगे या उनका शुमार नहीं होगा। तो सन् ४९ में बिल आता है लेकिन उस बिल की मंशा को पूरा करने के लिये सन् ४८ से उस कानून को लागू कर देते हैं? रेट्रास्पेक्टिव एफेक्ट उसे दे देते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी चैलेंज होने पर उसमें कुछ होता नहीं। ठीक इसी तरह से हम यह कभी नहीं कह रहे हैं कि जो बैनामे होंगे उनको आप अवैध करार दे दीजिए। हमारा तो कहना यह है कि इस बिल के प्रयोजनों के लिये उनकी गणना न कीजिए।

श्री बलदेव सिंह—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य एक ही बात को बार-बार दोहरा रहे हैं। जिस चीज को वह एक बार कह चुके हैं उसी को फिर दोहरा रहे हैं। पहले जिस बिल का हवाला दिया था, वही बिल, वही दलील वह फिर कह रहे हैं। आप का हमेशा यह आदेश रहा है कि बार-बार एक चीज को यहां पर दोहराया न जाय। इसलिये मैंने इस ओर आप का ध्यान आकृष्ट किया।

श्री अध्यक्ष—आप दोहरायें नहीं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, मैं दोहरा नहीं रहा हूं। मन्त्री जी से जिन बातों को हमने पूछा है उनका समाधान हम उनसे चाहते हैं वे कर दें। हम यह नहीं चाहते हैं कि इस विधेयक के अन्दर कल के लिये कोई खामी बाकी रह जाय। हम यह भी नहीं चाहते हैं कि जो कुछ हम जनता के लिये यहां पर कर सकते हैं वह उससे वंचित रह जाय। हम तो यह चाहते हैं कि सीलिंग हो और उसका जो असली मंशा है वह उसमें निहित रहे।

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

मैं मंत्री जी से इस बात को कह रहा हूं कि हमारी बात अगर वे मान लेते हैं तो उससे यह विधेयक अवैध नहीं होगा। इस तरह के कानून पहले पास हो चुके हैं और इसी सदन से पास हो चुके हैं। हम यह कहते हैं कि २० अगस्त को जब बिल यहां पर पेश किया गया तो वही जनता के लिये सफिशियेन्ट नोटिस नहीं माना जा सकता। हम जो यहां पर विधेयक प्रस्तुत करते हैं वह अपनी नियमावली के नियमों के अनुसार पेश करते हैं। तब उनका प्रकाशन होता है। आप से उनकी अनुज्ञा लेनी पड़ती है तब जा कर उनका प्रकाशन गजट में होता है। अगर गजट में पहले विधेयक का प्रकाशन न हो तो इस आदरणीय सदन में वह नहीं आता है। उसके लिये फिर अनुज्ञा लेनी पड़ती है। प्रकाशन होने पर तब वह यहां पर आता है। नियम १२७ के मुताबिक विधेयक को प्रकाशित किया जाना आवयश्क है। गजट में प्रकाशन होने पर उस को नोटिस समझा जाता है। यह नियम बहुत अहमियत रखते हैं। मन्त्री जी कहते हैं कि यहां पर जिस दिन हमने उस बिल को पेश कर दिया उसी दिन का उसका प्रकाशन हो गया। हम यह कहते हैं कि जो कुछ अधिनियम हमारे यहां से पास होते हैं उनका महत्व इस प्रदेश के लिये ही नहीं है बल्कि सारे देश के लिये है। इस वजह से ला का गजट में प्रकाशन होना जरूरी है। माननीय माल मंत्री कहते हैं कि कोई विधेयक जिस दिन आदरणीय सदन में पेश हो तो उसके लिये यह माना जाय कि उस दिन से जनता को नोटिस हो गया। मेरी राय में इसको सफिशियेन्ट नोटिस नहीं माना जायगा कि २० तारीख को यहां पर बिल पेश कर दिया तो वह जनता के लिये नोटिस हो गया। मुझे मालूम हुआ है कि इसका पब्लिकेशन २७ अगस्त को हुआ है। अगर ऐसा है तो इस विधेयक में २० तारीख यानी २० अगस्त ट्रान्सफरों के लिये सीमा रखना कोई माने नहीं रखता। मैं तो यह कहता हूं कि अगर Retrospective effect नहीं दिया जा सकता तो २७ अगस्त रखा जाय या जिस दिन से गजट हुआ हो। माननीय मंत्री जी एडवोकेट जनरल या लीगल रिमेम्बरेन्टर की राय इस सम्बन्ध में पढ़कर सुना दें तो मैं मान लूंगा और मेरी शंका समाधान हो जायगी। हम तो कांग्रेस की बात ही रख रहे हैं अपनी ओर से कुछ नहीं। ९ तारीख को नागपुर प्रस्ताव पास हुआ इसलिये हमने १० तारीख रखी है ताकि सरकार अपनी कही बात माने। हम तो उसी बात को रख रहे हैं जिस के लिये कांग्रेस ने जनता में वादा किया है। मन्त्री जी को यह निश्चय रखना चाहिये कि इस तरह से रखने से कोई आपत्ति किसी कोर्ट या अदालत में नहीं आयेगी। आप के वादे के अनुसार हम इस बात के लिये आप से आग्रह कर रहे हैं। आप उन वादों को भूल गये किन्तु हम आप को याद दिला कर उनको पूरा कराने की बात करते हैं।

श्री हिम्मतसिंह--मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

***श्री अवधेश प्रताप सिंह**--मान्यवर, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे लिये दुबारा शिकायत करने का मौका आ गया है। यह ठीक है कि मैं अपने तर्कों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता, लेकिन कम से कम जब हम कोई प्रश्न उठावें जो महत्वपूर्ण हो तो हम यह जरूर चाहते हैं कि मंत्री महोदय उस पर अपने विचार प्रकट करें, उस पर कुछ प्रकाश डालें। उन्होंने उत्तर में एक कथा कह डाली और जमींदारी विनाश कानून के संबंध में जो मुकदमेंबाजी हुई थी उसका हवाला दिया।

श्री हुकुमसिंह विसेन--कोई गलत हवाला नहीं दिया।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--यह गलत या सही का सवाल नहीं है। अगर महज किसी सवाल का जवाब टालने के लिये वह यही स्तर रखना चाहते हैं तो ठीक है। उसका जवाब दूसरी तरफ से भी इसी तरह का आता रहेगा। आप की अनुपस्थिति में श्रीमन्, यहां बहुत सी बातें कही गयीं और उन्हीं के सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना है। यह शिकायत है कि बहुत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से ट्रान्सफर्स किये गये। मेरा कथन यह है कि लार्ज होल्डिंग टैक्स के कारण जितनी जमीनें बिकी हैं उतनी जमीनें इस सीलिंग के कारण नहीं बिकीं और माननीय चरण सिंह जी, जो इस सदन में विद्यमान हैं, उस समय माल मंत्री थे उनका वह दावा ठीक निकला और लोगों ने जमीनें बेचीं। अगर वही रफ्तार कायम रहती तो साल दो साल बाद इसकी जरूरत नहीं रहती। जब कन्हैया-लाल मिश्र जी यहां आये थे तो मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर उठा रहा था। मुझे अधिकार नहीं था कि मैं उनकी बात का जवाब दे सकता। आज मुझे मौका मिला है कि मैं आप के द्वारा उनको बतला दूं। उनका दावा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनका बनाया जमींदारी विनाश अधिनियम अल्ट्रा वायर्स करार दिया गया है और इसलिये वह जो कानून बनावेंगे वह अल्ट्रावायर्स करार दिया जायगा। लेकिन जब वह कानून बना तो कांस्टीट्यूशन का कोई सवाल नहीं था। अगर कांस्टीट्यूशन में संशोधन न हुआ होता तो मैं उनके दावे को देखता। मैं अर्ज करूंगा कि वे महाराज दरभंगा के केस की फाइल पढ़ लें। यह मैं कहना चाहता हूं कि बावजूद एडवोकेट जनरल के कहने के भी वह अबैध है। बावजूद इस बिल के भी, जो पहले व्यवस्था थी उस के हिसाब से साढ़े १२ एकड़ से अधिक भूमि कोई नहीं खरीद सकता था। आज देश में कोई भी पोलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसकी यह शिकायत हो कि साढ़े १२ एकड़ भूमि पर भी सीलिंग होनी चाहिये। वह तो हमारा मौलिक अधिकार है। हमारे झारखंडे राय जी भी साढ़े १२ एकड़ में एतराज नहीं करते। ऐसी हालत में अगर हमने १२ एकड़ से कम वालों को जमीन बेच भी दी तो उसमें आपत्ति किस बात की है। उन्होंने श्रीमद्भावगत् की कथा के तौर पर अपना बयान दे दिया। संभव है गेंदा सिंह जी को उन से शिकायत हो कि बालू से तेल नहीं निकलता। मुझे तो नहीं है। हमेशा मैं आप के द्वारा यह अनुरोध करता हूं और करना चाहता हूं कि माल मंत्री महोदय, हो सकता है मैं गलत हूं हो सकता है वे गलत हों, इस पर विचार कर लें। उस समय, समय के अभाव के कारण मैं जवाब नहीं दे पाया था। उस समय आप ने समय नहीं दिया था, मेरे पास प्रोसीडिंग्स हैं, उसमें भी यह लिखा है....

श्री अध्यक्ष—आप उसे पढ़ें नहीं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—आपकी आज्ञा शिरोधार्य है श्रीमन्, मगर कुछ शिक्षा उस तरफ भी कभी-कभी दे दिया कीजिये कि वे हमारी बातों का उत्तर तो दे दिया करें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—हम तो सब कुछ कह चुके हैं। अब कुछ कहना है नहीं। हमारी यह आदत तो है नहीं कि एक बात को बार बार दोहरायें।

श्री अध्यक्ष—अब प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (ग) के स्पष्टीकरण के स्थान पर स्पष्टीकरण को निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय—

> "इस खंड के प्रयोजन के लिये पुत्र या पुत्र का पुत्र उस दशा में पृथक समझा जायगा जब भूमि पृथक रूप से उसके नाम अभिलिखित हो, या जब १ जनवरी, १९५९ से पूर्व निबंधित तथा कार्यान्वित किसी पारिवारिक समझौते के अधीन या उक्त दिनांक के पूर्व पारित न्यायालय की किसी डिग्री द्वारा पृथक अंश घोषित कर दिया गया हो, या उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा १२-ख के अधीन उसे पृथक अंश दिया गया हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (ग) के स्पष्टीकरण की पंक्ति ३ में अंक तथा शब्द "२० अगस्त" के स्थान पर अंक तथा शब्द "१ जनवरी" रख दिया जाय। चौथी पंक्ति में "२० अगस्त" के स्थान पर "१ जनवरी" कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (ग) के स्पष्टीकरण में जहां कहीं भी "२० अगस्त, १९५९" आया है उसके स्थान पर "१ फरवरी, १९५९" कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (ग) के स्पष्टीकरण की दूसरी पंक्ति में शब्द "हो" व शब्द "या" के बीच शब्द "और वह १० जनवरी, १९५९" के पूर्व से पृथक रहता हो" जोड़ा जाय तथा चौथी व पांचवीं पंक्ति में शब्द "२० अगस्त, १९५९" के स्थान पर "१० जनवरी, १९५९" किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड ३ के स्पष्टीकरण में पंक्ति ३ से "जब २० अगस्त, १९५९ से पूर्व" तथा पंक्ति ४ से "अथवा २० अगस्त, १९५९ को तथा उक्त दिनांक से पूर्व पारित" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ––

पक्ष में––११,

विपक्ष में––१२६।)

***श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह**––श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (ङ) में पहली पंक्ति में शब्द "है" के बाद के सब शब्द हटा दिये जायं और उनके स्थान पर शब्द "जिसके धारक के पास २० अगस्त, १९५९ या उससे पहले तक ट्रैक्टर हो" रख दिया जाय।

श्रीमान् जी, यह बहुत सीधा-सादा प्रस्ताव है। सरकार ने उन लोगों का यांत्रिक फार्म माना है जिनके पास ३ वर्ष तक ट्रैक्टर रहे हों। मेरे खयाल से जो हमारे सामने सदस्य बैठे हुये हैं, उनकी मैं सराहना करता हूं, वह भी ट्रैक्टर रखे हुए थे, उनके बिल भी गये और उन्होंने काफी उनका इस्तेमाल किया। उन्होंने भी ट्रैक्टर्स से खेती की है या उसके पहले करते रहे हैं। तो यह ३ वर्ष का प्रतिबन्ध न रखा जाय। २० वर्ष के पहले भी ट्रैक्टर रहा हो तो उसको यांत्रिक फार्म मान लिया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी मेरे संशोधन को मान लेंगे।

***श्री गेंदा सिंह**––श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड 'ङ' के शब्द "ट्रैक्टर" के पहले शब्द "निजी" बढ़ा दिया जाय। मैं समझता हूं कि खाली ट्रैक्टर से जोतने पर ही अगर यह सुविधा दे दी जाय तो उसमें दिक्कत होगी। क्योंकि इसका परिणाम यह होगा कि कहीं से ट्रैक्टर लाकर जोतने के बाद कोई भी आदमी इस सुविधा को प्राप्त कर सकता है। इसीलिये मैं सोचता हूं कि अगर उसके पास अपना निजी ट्रैक्टर हो तो उसको यह सुविधा दी जाय, इसमें किसी पर कोई ज्यादती नहीं होगी। इसीलिये मैंने शब्द "निजी" बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। मैं समझता हूं कि सरकार को इसे मान लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)––अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन यंत्रीकृत फार्म के लिये है। मैं समझता हूं कि इस शब्द की कोई परिभाषा करने की यहां जरूरत नहीं थी। सरकार यंत्रीकृत फार्म उसको मान रही है जिसमें तीन वर्ष पहले से ट्रैक्टर से खेती होती हो। गेंदा सिंह जी का संशोधन है कि शब्द "निजी" और बढ़ा दिया जाय यानी निजी ट्रैक्टर से वह खेती करता हो। जिसके पास निजी ट्रैक्टर हो उसका फार्म यंत्रीकृत माना जाय। इससे कम जमीन निकलने की गुंजायश है। वर्तमान परिभाषा जो है उससे हर आदमी सिद्ध कर सकता

---

* सभा ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, चाहे वह किराये या किसी प्रकार से ट्रैक्टर लाकर कि वह ट्रैक्टर से खेती करता है इसलिये वह फार्म भी यंत्रीकृत में आ सकता है। इसका संबंध दूसरी धाराओं से है जिसमें यंत्रीकृत फार्म के बटवारे की बात नहीं सोची गई है बल्कि यह नियत है कि सीलिंग के बाद जो अतिरिक्त भूमि होगी वह उसी धारक, जो पहले का फार्मर होगा उसको देकर मेनेजर वगैरह बना देगी कुछ शर्तों के साथ। अगर गेंदासिंह जी का संशोधन न माना गया तो भूमिहीनों का नुकसान होगा जिनके हित के लिये यह विधेयक लाया गया है। इन शब्दों के साथ मैं गेंदासिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री हिम्मतसिंह---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (ङ) को निकाल दिया जाय। जब हम सीलिंग लगाने जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि एक ओर एक परिवार की आमदनी ३,६०० रुपये से अधिक न हो तो फिर ट्रैक्टर द्वारा खेती और मुख्यतः पिछले तीन सालों से हो रही हो, ऐसी परिभाषा मैं समझता हूं, बेकार है। चाहे कोई अपने मजदूरों से खेती कराये या ट्रैक्टर से कराये उसका आमदनी पर क्या असर पड़ता है? दफा २४ और ३४ में कुछ और तर्क है। मालूम पड़ता है कि जिन फार्मों को मेकेनाइज्ड मान लिया जायगा उनको सुविधा दे दी जायगी। इसके माने यह होते हैं कि जनवरी से अब तक पौने दो लाख एकड़ जमीन निकल चुकी है जो सीलिंग में आ जाती। तो सारे के सारे फार्म मेकनाइज्ड होकर स्टेट के फार्म बन जावेंगे। जो धारक हैं अगर वे चाहते हैं कि हम उनके मैनेजर बन जावें तो वे मैनेजर भी बना दिये जावेंगे। ये फार्मों के मालिक गवर्नमेंट के पैसे से अपनी खेती करेंगे। वे उनमें टोटा दिखलावेंगे। इस प्रकार गन्ने की खेती तो सबकी सब मुक्त हो जायगी और जमीन प्राप्त नहीं होगी। इसलिये मैं इस परिभाषा का विरोध करता हूं। परिभाषा निकालने से सीलिंग पर कोई असर नहीं पड़ता है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---(श्री अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारे जाने पर) भीखा लाल जी का भी तो संशोधन है।

श्री अध्यक्ष---उनका भी वैसा ही है कि उपखंड (ङ) निकाल दिया जाय। एक ही संशोधन को २ व्यक्ति मूव नहीं करेंगे।

श्री हकुमसिंह विसेन---ठीक है।

मान्यवर, जहां तक राजा साहब और गेंदासिंह जी के संशोधनों का सम्बन्ध है, इन दोनों के मान लेने से यह असर होगा कि मैकेनाइज्ड फार्म का रकबा कम हो जायगा। ऐसी इत्तिलाआत हैं कि २० अगस्त के बाद बहुत से फार्मर्स ने अपने ट्रैक्टर बेच दिये हैं। वे यह कहेंगे कि हमारे पास अब कोई टैक्टर नहीं है, लिहाजा हमारा फार्म मैकेनाइज्ड फार्म की डैफीनीशन में नहीं आ सकता है। अगर हम गेंदासिंह जी का "निजी" का लफ्ज लगा दें और किराये पर हमेशा वह चलाते आये हैं, तो मैकेनाइज्ड फार्म हैं लेकिन निजी लगाने से किराये के फार्म निकल जावेंगे। इस तरह से फार्मों का रकबा कम हो जायगा।

हिम्मत सिंह जी ने कहा कि इसकी व्याख्या ही न की जाय। दफा २४ में हमने मेकैनाइज्ड फार्म का शब्द इस्तेमाल किया है। जो लफ्ज विधेयक में इस्तेमाल होते हैं उनकी परिभाषा देना लाजिमी होता है। इसमें कुछ ग़लत फ़हमी मालूम पड़ती है, जैसा कि हिम्मतसिंह जी की तकरीर से अन्दाजा लगता है। उनका यह खयाल है कि मैकेनाइज्ड फार्म में स्टेट फार्म भी डिक्लेयर हो जावेंगे और गवर्नमेंट ओरीजनल ओनर को दे देगी, इसलिये वे गवर्नमेंट के खर्चे पर फायदा उठाते रहेंगे। यह लाजिमी नहीं है कि हम दे ही दें। गवर्नमेंट ने पावर रख ली है कि अगर वह यह समझे कि हम इन फार्मों पर ठीक तरह से, साइंटीफिक ढंग से, जैसी उनमें खेती होती आई है, हम सरेदस्त नहीं कर सकते हैं तो नतीजा यह होगा कि हमारे प्रोडक्शन में कमी होगी। अगर ओरीजनल ओनर बतौर मैनेजर काम करने के लिये तैयार होंगे तो सरकार उनको दे भी सकती है और अगर हमारी शरायत के मातहत वह तैयार नहीं होते तो उनको मैनेजरी का चांस भी नहीं मिलेगा। दफा २४ में "प्रबन्धक" का लफ्ज है....

श्री बंशीधर शुक्ल---सब तैयार हो जायेंगे।

श्री हकुमसिंह विसेन---कोई तैयार नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष---अब अप कल भाषण देंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
४ अगस्त, १९६०।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी०---ए० पी० ११५ एल० ए०---१९६०---८४५।